Haryana Vidhan Sabha

Debates

11th February, 1971

Vol. I-No. 4

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 11th February, 1971

	Page
Ruling by the Speaker	(4)1
Postponement of Supplementaries to Starred Question No. 1113	(4)3
Starred Question and Answers	(4)5
Ruling by the Speaker regarding the Expunction of certain remarks	(4)26
Discussion on the Governor's Address	(4)27-106

Price Rs. 3.35 Paise

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, the 11th February, 1971

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh-at 2.00 P.M. of the Clock.

Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

RULING BY THE SPEAKER

Mr. Speaker: On 9th February, 1971, Ch. Ranbir Singh, M.L.A. raised a point of order whether a Minister could take a stand different from the one taken earlier in reply to the same question and, if so, which of the replies should be taken as correct. This point of order cropped up out of the reply given by Sm.t Sharda Rani, Chief Parliamentary Secretary, to starred question No. 1113 of Ch. Ranbir Singh, M.L.A. to the effect that the time and labour involved in collectiong the information would not be commensurate with any possible benefits to be obtained. Subsequently when preseed by the Hon. Member it was stated that some information was available with her which could be given to the House if the Hon. Speaker permitted. The Chief Parliamentary Secretary started giving the information whatever she had with her.

From the sequence of events it appears that it is not a case of changing the stands but a case of supplementing the information to the earlier reply as the reply givven by the Chief parliamentary Secretary, on insistence, was in continuation of the reply already givne in the first instance. Therefore, question of taking two different stands in this case does not arise. Even if it is

taken to be a case of two different stants, a Minister can correct his earlier reply and the latter reply should be considered as a correct reply and if a Member has any doubt regarding the correctness of the reply given by the Minister, he can seek the clarification from the Minister as to which of his replies is a correct reply.

Ch. Ranbir Singh, M.L.A. also raised a point of order whether a Minister could insist on reading a lengthy reply instead of laying it on the Table of the House.

In this connection, I may point out that the object of question is to elicit important information in public interest. The weapon of puttin questions by the Hon. Members is to draw attention to the grievances of the public. Therefore, it is essential that the question hour should be propertly utilised and ther should be no wastage of time. If the time available during the question hour is consumed only in reading out a lengthy statement by a Minister while replying to a question, this will defeat the very purpose and importance of the question hour. In such cases it is better to lay such lengthy statement on the Table of the House, this will avoid the wastage of time of the House and allow the members tomake full use of the question hour. Therefore, I would advise the Ministers that in future where the answers are lengthy it is desireable, profitable and more appropriate tolay the statements on the Table of the House. In this connections I would refer to the Lok Sabha Debates dated 27th August, 1970, page 27, Col. 2, where the Speaker, Lok Sabha, in similar circumstances observed –

"I would advise Ministers that where the answers are lengthy it is better to lay the statements on the Table of the House."

Incidentally I may also observe that although there is not legal objection to the raising of points of order during the

question hour yet no points of order should normally be raised during the question hour so that the time is saved for asking the answering maximum number of questions.

On 9th February, 1971, I reserved my ruling whether supplementaries on Starred question No. 1113 in the name of Ch. Ranbir Singh should be allowed or not. As the whole time was taken in answering this question, I allow the supplementaries to be asked in respect of this question today before the regular list of questions for today is taken up.

POSTPONEMENT OF SUPPLEMENTARIES TO STARRED *QUESTION No. 1113

चौ. रणबीर सिंह: आपके आदेश को ध्यान में रखते हुए मेरी यह प्रार्थना है कि जितना भी जवाब उनके पास तैयार है उसे ये टेबल पर रख दें और नैक्सट सिटिंग के ऊपर यह सवाल सप्लीमैंटरीज के लिए रख दिया जाए।

Mr. Speaker: Laying of the reply on the Table, I cannot insist. That is the privilege of the Minister. I think, it is advisable and better, if there is lengthy answer, for the Minister to lay the information on the Table of the House. But I cannot insist on that.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि वे तो एक लम्बा चौड़ा जवाब दे रहे हैं और प्रौसीडिंज में भी वह बात आई है मगर उसके ऊपर हम सप्लीमैन्टरी कैसे कर सकते हैं जब तक कोई चीज हमारे सामने न आए।

Mr. Speaker: What you cna do and if the Minister concerned, is agreeable, that we can allow you to go through the proceedings of the House and then we can take it up tomorrow, day after tomorrow or on some other day. That can be done. But I cannot ask or insist that, that information should be laid on the Table of the House.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह कार्यवाही का पार्ट होगा मगर मेरी सबमिशन यह है कि पहले जो इन्होंने जवाब दिया है उसकी कापी मेरे पास है। मुझे पहले की इन्फर्मेशन नहीं चाहिए। मेरा सवाल तो इतना था कि वर्ष 1970–71 में जून महीने के बाद इन्होंने कितनी एडवरटाईजमैन्टस दी है। गर पहले क्वेश्चन का नम्बर यह जानना चाहें तो वह मैं दे सकता हूं। इसमैं कोई लेबर का सवाल नहीं, टाईम का सवाल नहीं। (विघ्न) लम्बी चौड़ी स्टेटमैंट तो इन्होंने पहले यहां मेज पर रखी हुई है और उसकी कापी मेरे पास है।

*Starred Question No. 1113 appears in the EVS Debates, Vol. 1, No. 2, dated th 9th February, 1971 (M.S.)

Mr. Speaker: So you have got the information, Ch. Sahib. (हंसी)

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, यह तो वही कल वाली बात आ गई। वजीरों के हंसने से ही अगर सवाल का जवाब आ जाता है तो वह बात दूसरी है मगर जब हम आपसे निवेदन करते

हैं उस वक्त भी ये हंसते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही सदन की कार्यवाही को ठीक से चला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जून, 1970 तक का जवाब तो इन्होंने उस सवाल के जरिए, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, दे रखा है। मुझे जो अडिशनल इन्फर्मैशन चाहिए थी वह यह है कि जून 1970 के बाद इन्होंने उन्हीं अखबारों का या कुछ और अखबारों को क्या क्या और कितने कितने रूपऐ की एडवरटाईजमैंन्टस दी है। मेरे पास जून 1970 तक का जो जवाब दिया गया है उसकी कापी है। जून 1970 के बाद किन अखबारों को कितने इश्तहार दिए गए हैं उसकी कापी नहीं। जब मेरे पास कोई ब्योरा नहीं है तभी मैंने उस ब्योरे को हासिल करने के लिए यह सवाल पूछा था।

Mr. Speaker: Well, I can request this much; it is possible for the Minister to get the remaining part of the information during this session?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): कौशिश करेंगे।

Mr. Speaker: They will try.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिस रोज वे जवाब सदन के टेबल पर रख दे या जबानी दे दें उसके बाद मुझे कुछ अर्ज करने का मौका मिलना चाहिए।

Mr. Speaker: Naturally.

STARRED QUESTION AND ANSWWERS

Cases of Illicit Liquor In Mohindergarh

***1097. Smt. Chandravati**: Will the Minister for House be pleased to state :-

(a) the number of cases of illicit distillation of liquor registered during the year 1970-71 to-date in the Mohindergarh district which is a prohibited area, together with the number of cases in which the punishment was awarded and the names of places from where such cases were detected; and

(b) the police station-wise details of the culprits involved in the cases as referred to in part (a) above?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): (a) in 1970-five. In 1971 to-date nil. All cases are pending in courts. These cases were detected from villages Partal (Police Station Kanina), Bond Kalan. Manheri, Misri and Jhojhu-Kalan (Police Station Dadri).

(b) Details of culprits involved police station-wise are:-

(i) Rura S/o Sh. Ram Jiwan Bawaria of Partal.	Police Station Kanina
(ii) Jumman S/o Sh. Buga Balmiki of Bond-Kalan.	

(iii) Ram Chander S/o Sh. Harnam Rajput of Halqa	Police Station Dadri
(iv) Dhan Singh S/o Jadha Ahir of Misri	
(v) Hoshiar Singh S/o Sh. Siri Ram Shani of Jhojhu Kalan	

श्रीमती चन्द्रावती: ये केस कौन सी तारीख्वा तक के रजिस्टरड हैं?

श्री के.एल.पोसवाल: पहला केस 22.1.70. का है, दूसरा 24.3.70 का है, तीसरा 18.5.70 का है, चौथा 6.8.70 का है और पांचवां 15.10.70 का है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या नोंवे और ग्यारवें महीने में कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ?

श्री के.एल.पोसवाल: जो मैंने बताए उन्हीं में हुए हैं और पांच हुए हैं। इनके अलावा कोई नहीं हुआ।

Allotment of Surplus Land in the State

***1142. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Revenue be pleased to state:

(a) the total area of un-allotted surplus land district-wise in the State as on 1.1.71;

(b) the reasons for not allotting the land referred to in part 9a) above so far;

(c) the period within which the surplus land referred to in part 9a) is likely to be allotted; and

(d) the total area of such surplus land which has been allotted but physical possession thereof has not been delivered?

राजस्व मंत्री (श्री नेकी राम): (ए) जिलावार ब्योरा इस प्रकार है:—

(1) अम्बाला	994 स्टे—एकड़
(2) करनाल	14222 स्टे—एकड
(3) हिसार	9168 स्टे—एकड
(4) गुड़गांव	853 स्टे—एकड
(5) रोहतक	541 स्टे—एकड
(6) महेन्द्रगढ़	1 स्टे—एकड
(7) जींद	1672 स्टे—एकड
	27451

(बी) जिस गांव में योग्य मुजारें हैं, उस गांव में फालतू भूमि उपलब्द नहीं है तथा मुजारे अपने गावं से बाहर जाकर

आबाद होना पसन्द नहीं करते। कुछ भूमि नाकारा है और मुजारे उस पर आबाद होना पसन्द नहीं करते।

(सी) आशा है कि एक साल के अन्दर सारी भूमि योग्य मुजारों को अलाट कर दी जाएगी।

(डी) 6514 स्टैण्डर्ड एकड़।

श्री दया कृष्ण: वजीर साहब ने अपने जवाब के पार्ट सी में फरमाया है कि एक साल में जमीन अलाट कर दी जाएगी। क्या वजीर साहब यह बताते की कृपा करेंगे कि उसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि यह भूमि अलाट हो जायेगी?

चौ. नेकी राम: इसमें पौजीशन यह है कि एग्रेरीयन रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। वह रिपोर्ट विचाराधीन है। उसके पश्चात् जल्दी ही जमीन अलाट करेंगे।

चौ. दल सिंह: क्या वजीर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सरप्लस जमीन मुजारों को अलाट की जाती है वह उस जमीन को कितने अरसे के बाद बेच सकता है और क्या आइन्दा उस जमीन को बेचने से बन्द करने की कोशिश की जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): उसके लिए तो कानून बने हुए हैं।

चौ. जय सिंह राठी: जैसा कि ''बी'' पार्ट के जवाब में बताया गया है कि कुछ योग्य मुजारे बसने के लिए तैयार नहीं हे और ''सी'' पार्ट के जवाब में बताया गया है कि योग्य मुजारे बसाये जायेगे। क्या वजीर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि वे मुजारे बाहर से लाकर बसाये जायेंगे, कहीं से इम्पोर्ट करके लाये जायेंगे, किस जगह से लायेंगे?

श्री बंसी लाल: जवाब में यह कहा गया है कि इलीजिबल टेनेन्टस की अलाट की जायेगी।

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब मिनिस्टर महोदय ने अपने जबाव में बताया है कि वहां मुजारे बसना पसन्द नहीं करते हैं ओर सी पार्ट में बताया है कि यह जमीन साल भर के अन्दर अलाट कर दी जायेगी। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जब से बसना नहीं चाहते हैं तो क्या बाहर से लाकर बसाये जायेंगे?

श्री बंसी लाला: हम तो इलीजिबल टेनेन्टस को कब्जा दिला सकते हैं, जबरस्ती किसी को कब्जा नहीं दिलायेंगे और न ही हम इलीजिबल टैनेन्टस पैदा कर सकते हैं और न ही उनको जबरदस्ती कब्जा दिया सकते हैं। जितीन भी सरप्लस जमीन होगी वह अलाट कर दी जायेगी और अगर वे कब्जा सेना चाहेंगे तो कब्जा भी दिलाया जायेगा।

Eligible tenants are to take possession of the land and it is upto them to do so ro not.

Smt. Chandravati: What does the Chief Minister mean by 'reasonable'?

Sh. Bansi Lal: 'Reasonable' means reasonable.

Smt. Chandravati: I want to know, Sir, the explanation of reasonable time.

चौ. दलसिंह: जो जमीने मुजारों को अलाट की हैं अगर वे अपनी किस्त एकदम से जमा कराना चाहते हैं तो क्या सरकार उनको एकदम किस्त जमा कराने की इजाजत देगी?

Mr. Speaker: This does not arise from the answer given to the question. But, I think, Smt. Chandravati's question reamins still unanswered, and it could be clarifed at little more.

Sh. Bansi Lal: Sir, reasonable time covers everything.

Smt. Chandravati: The explanation is rather vague and it should be defined.

Mr. Speaker: The Minister may like to say that it will take them three months, six months or so. In any case, he says that he will consider the matter; and then ....

Sh. Bansi Lal: Everything has been clarified. The report is under consideration of the Government and it will be done in a reasonable time.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब मैं अर्ज कर रहा था कि जो जमीन अलाट होती है उनमें से कुछ मुजारे उसकी रकम इक्ट्ठी जमा कराना चाहते हैं परन्तु जब वे तहसीलदार के पास

जाते हैं तो वे कहते हैं कि हम नहीं लेगें। यदि वे एकदम सारी किस्त जमा कराना चाहते हैं तो वह क्यों नहीं जमा की जाती है?

Mr. Speaker: The point is that this question does nto arise from the answer given by the Minister.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब मेरी गुजारिश यह है कि बहुत सारी सरप्लस जमीन उन मुजारों को अलाट नहीं हुई जो जायज मुजारे थे अर्थात जो हकदार थे बल्कि वह जमीन उन लोगों को अलाट हुई है जो सिफारशी हैं और जिन्होंने पटवारी आदि से मिल कर गलत गिरदावरी करा रखी थी। यदि यह बात गवर्नमैंट के नोटिस में है तो क्या सरकार उस अलाटमैंट को कैंसिल करने के लिये तैयार है?

श्री बंसीलाल: यदि आनरेबल मैम्बर इस किस्म का कोई केस गवर्नमैंट के नोटिस में लायेगें तो जरूर गौर किया जाएगा।

श्री दया कृष्ण: अगर इलीजिबल टैनेन्टस जमीन अलाट न कराना चाहें और कब्जा न लेना चाहें तो क्या वह जमीन हरिजनों या मजदूरों को अलाट की जाएगी।

Sh. Bansi Lal: Harijans are 'Mazdoors'. In fact, everybody, who wants to cultivate land is a mazdoor.

श्री दया कृष्ण: मैंने यह पूछा है कि वह जमीन किसको अलाट की जायेगी अगर इलीजिबल टैनन्टस लेने के लिए तैयार न हों?

श्री बंसी लाल: एग्रेरीयन रिफोमर्ज की रिपोर्ट पर गौर किया जा रहा है। उसके बाद ही कुछ कार्यवाही की जायेगी।

चौ. रणबीर सिंह: मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि कुछ भूमि ऐसी है जो खेती करने लायक नहीं है और साथ ही यह भी बताया है कि मुजारे दूसरे गांव में मुजारे बनकर आना नहीं चाहते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कुछ जमीन की अलाटमैंट हुई और उन्होंने कब्जा नहीं लिया। तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी कितनी जमीन है जो बाहर वाले मुजारों को अलाट की गई अर्थात दूसरे गांवों में अलाटमैंट हुई और उसमें कितनी जमीन खेती करने योग्य नहीं है?

श्री बंसी लाल: इस वक्त तो इसके बारे में डिटेल नहीं है। यह बात ठीक है कि जो जमीन काश्त करने के योग्य नहीं है जैसे कोई जोहड़ा है और खाते में मालिक अलग–अलग नाम के हैं और वह जमीन सरप्लस में आयी हुई है लेकिन काश्तकारी के लायक नहीं है या एक आदमी को दस–पंद्रह मील के फासले पर चार–पांच एकड़ सरप्लस जमीन अलाट कर दी जाती है तो वह परेशान होकर उस जमीन को छोड़ देता है।

चौ. रणबीर सिंह: मंत्री महोदय के पास एक नोट फार पैड है उसमें यह सारी जानकारी दी हुई होती है लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी उसको देखकर नहीं आए हैं।

श्री बंसी लालः मैं आनरेबल मैम्बर को बताता चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ कर आया हूं। उनको तो अपनी काबलियत पर बहुत ज्यादा बहम है।

चौ. रणबीर सिंहः मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह नोट फार पैड को देखकर बतायें कि कितनी जमीन ऐसी है जो खेती करने के लायक है और जिसको सरप्लस डिक्लेयर किया हुआ है और कितने एकड़ ऐसी भूमि हैं जिसको अलाट किया गया और कितने एकड़ भूमि ऐसी है जिसको बाहर के गांवों के मुजारों का अलाट किया गया और वह अभी तक उनके कब्जे में नहीं है।

Mr. Speaker: Ch. Sahib, your question is clear and it has been answered, but, at the moment, they do not have the details.

श्री बंसी लालः यह प्रोसैस तो 15 साल से चला आ रहा है। एक बार अलाट की गई और फिर वापस कर दी गई। इस प्रकार से 15 साल के नोट फार पैड तैयार करें दो हजार पेज हो जायेंगे।

Mr. Speaker: What I can seen is that the Government themselves are cooperating in this matter. They say that they do not have the details, but ther eis some such land, and we can find out from them whether they can give the requisite information within the next 6/7 days or in the next session. Of course, the land is there; they are improving it so that it can be cultivated by others.

चौ. दल सिंहः क्या वजीर साहब यह बतायेंगे कि जिन मुजारों को जमीन अलाट हुई है और वे मुजारे किसी वजह से अपनी एक किस्त दालिख न कर सके हों और उनकी अलाटमैंट कैंसिल कर दी गई है। अगर वे अपनी किस्त दाखिल करने के लिए तैयार हों तो क्या उनको वह जमीन अलाट कर दी जायेगी?

श्री बंसी लालः अगर आनरेबल मैम्बर नोटिस में कोई हार्ड फैक्ट केस है कि मुजारे को दिक्कत है तो उसको मिमपेथेटेक्ली कन्सिडर किया जायेगा।

श्री दया कृष्णः अगर किसी का फर्जी कब्जा दिया जाए और कब्जा दिये जाने के फौरन बाद उससे जमीन वापस ले ली जाए तो ऐसी हालत में सरकार का प्रबन्ध करेगी?

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब ऐसी बातें कई बार हो जरूर जाती हैं कि मुजारों को 10—15 मील दूर दो चार एकड़ धरती पर कब्जा दिला दिया जाता है। लेकिन जो लैंड ओनर वहां का होता है वह उनको डरा धमका कर भगा देता है। तो हम मुजारों को दोबारा सैटल करते हैं, वे फिर भाग जाते हैं। उनके भागने का अल्टीमेटली हमार पास कोई इलाज नहीं।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः स्पीकर साहब, चौधरी दलसिंह के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है कि यदि कोई केस है तो वह इनके नोटिस में लाया जाए इस किस्म का केस मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं ओर क्या वह उसके

ऊपर कार्यवाही करेंगे? गेलावा गांव के अन्दर दो मुजारों को जमीन अलाट की गई थी उनमें से एक सैनी था और एक जाट था। वहां के नायब तहसीलदार ने कब्जा तो दिला दिया लेकिन उसने यह नहीं बताया कि पैसे भी दाखिल कराने हैं क्योंकि वह नायब तहसीलदार इस जमीन को दूसरों के नाम अलाट कराना चाहता था इसलिए उसने पैसों के बारे में नहीं बताया। उन दोनों ने कहा कि हम पैसं भरने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम से कैंसलेशन का नोटिस जारी कर दिया गया।

श्री बंसी लाल: यह तो इन्डिविजुयल केस है। सप्लीमेंटरी में यह नहीं कहा जा सकता। अगर कोई हार्ड केस है तो हम जरूर गौर करेंगे। ऐसा अगर कोई नोटिस में केस हो तो बतायें?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: यह तो इन्डिविजुयल केस है। मगर मैं हाउस में बता रहा हूं। जैसा कि यह कहते है कि अपोजीशन की हमने कोई बात नहीं माननी इसलिए अगकर मैं चिट्ठी वगैरा लिखकर भेजूंगा तो हो सकता है कि यह फाड कर फेंक दें।

Mr. Speaker: I think we are getting into confusion. If there is an act or if there are two Acts, as stated, then naturally all this information is available in these Acts and, therefore, why should the questions be asked about those Acts.

A Voice: The law it silent on this point.

Mr. Speaker: In that case the hon. Minister cannot expect an answer from the Government.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि कुछ जमीन ऐसी हो सकती है या है जिसका पोजेशन तो दिया गया है मुजारों को, पर उनके कब्जे में यह नहीं है क्या मैं जान सकता हूं कि यह भूमि कितने एकड़ है। जिसका कब्जा तो दे दिया हो और आज मुजारों के पास न हो और यह भूमि किस इलाके में है। क्या वह इस बारे में ब्योरा देने की कृपा करेंगे।

Mr. Speaker: The difficulty came out of the Question put and it is very difficult to tell all this at this stage.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेंटरी की इजाजत तो दी है लेकिन कुछ ऐसी खबरे हैं जो आदमी वैसे ही जान सकता है कि कितनी भूमि थी। जब मैंने सवाल किया तो उसका जवाब मंत्रीमंडल या मुख्यमंत्री के पा होना चाहिए। ऐसा करने के लिये अगर ये समय चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। वे अगर चाहते हैं तो हाफ एन आवर डिस्कशन मानकर या शारट नोटिस कवैश्चन की आप हमें हजाजत दे दें तो उसके अनुसार कर लेंगे।

Mr. Speaker: The point is that if this information is there then you can also get it from those Acts as they, the Government can get.

Ch. Ranbir Singh: The position boils down to this that if there is law on this point, then we are fools but if there is no law about it then what I am to say about the Ministers.

चौ. दल सिंहः स्पीकर साहब, ला है तो यह जाहिर है कि सरप्लस जमीन बिक सकती है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सा ला है?

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, मैं तो जहां तक समझता हूं हमारे यहां टेनेसी ला दो हैं एक एरेस्टवाइल पैप्सू का, एक पंजाब का। पैप्सू का जो इलाका है उसमें जो सरप्लस जमीन होती है उसको सरकार ले लेती है और फिर मुजारों को दे देती है लेकिन जब पंजाब के इलाके में मुजरों को दती है तो उसके छः सालों के बाद या छः फसलों के बाद मुजारों एक दरखास्त देकर जमीन खरीद सकता है और पहली इश्रस्आलामैंट देने के बाद वह मालिक बन जाता है। यदि पांच, छः इन्स्टालमैंटस बाकी रह जायें तो वह लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिक्वर कर ली जाती है। That is what we can do and we are prepared for that.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः स्पीकर साहब, जब कोई जमीन एक किसान से ली जाती है और मुजारों को अलाट कर दी जाती है और वे मुजारे आगे उस जमीन को बेच देते हैं तो इससे लाजमी तौर पर जमीन वाले को दुख होता है?

श्री बंसी लालः उसके लिये कानून में आप कोई अमैंडमैट ले आयें?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, यह कोई कानून बता दें जिसके द्वारा यह अमेंडमैंट लाई जा सकें क्योंकि हमें तो इस बारें में पता नहीं।

Mr. Speaker: An assurance has been givne that if some hard cases are brought to the notice of the Government they will certainly look into them.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा कानून है तो कया उस कानून में यह अमेंडमैंट करेंगे कि जो अलाटिड लैंड है उसको मुजारे बेच न सके?

श्री बंसी लाल: मैंने यह नहीं कहा कि कानून है, मैंने यह कहा कि कानून होगा। That is not my duty (Interruptions) That is none of my duties.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने सवेरे ही अपने आदेश में कहा था कि यदि कोई सदस्य कलैरीफिकेशन चाहे तो वह सरकार से पूछ सकता है और सरकार उसकी कलैरीफिकेशन दे सकती है। जैसं अभी सरकार ने बताया कि यह कानून की बात है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में कोई ऐसा कानून है कि जिसके तहत टेनैंट सरप्लस जमीन जो उसे अलाट हुई है उसे बेच सकता है?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, आनरेबल मैंबर टनेंसी एक्ट लाकर या सिक्यूरिटी आफ लैंड टैनयोर्ज एक्ट लाकर पढ़ लें उसमें इस बात का जवाब मिल जायेगा।

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि सरकार सदन में जवाब या तो हां में दे सकती है या व में लेकिन इफ एन्ड बट्स में नही दे सकती। मैं आपको आपके चेम्बर में तसल्ली दिया सकता हूं कि सरकार पोजेटिव या नेगेटिव में जवाब दे सकती है लेकिन इफ्स एंड बट्स में नहीं दे सकती।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, यह घने पढ़े हुए हैं, हम थोड़े पढ़े हुए हैं (हंसी)

Mr. Speaker: No question or supplementary is allowed in respect of information already available in any law or publication.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश यह है कि इस बारे में ला साइलैंट है। हम यह चाहते हैं कि जो मुजारे जमीन लेते ही बेच देते हैं उस पर पाबन्दी होनी चाहिए।

श्री बंसी लाल: उसके लिए अमैंडमैंट लाइये।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, झगड़ा तो इस बात का है कि ये यह कहते हैं कि इस बारे में कानून है लेकिन ला की किताबों में कोई ऐसा कानून नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः इन्होंने तो यह कहा है कि आप इस बारे में अमैंडमैंट लाइऐ।

चौ. रणबीर सिंहः स्पीकर साहब, अगर ये हमें क्लैरीफिकेशन नहीं दे सकते तो आप ही दे दें।

श्री अध्यक्षः क्या क्लैरीफिकेशन चाहिये?

चौ. रणबीर सिंहः स्पीकर साहब, या तो सरकार यह कह दे कि इस बार में ला है या यह कहे कि ला नहीं है। लेकिन एक सवाल के जवाब में तो कहते हैं कि ला है और दूसरे के जवाब में कहते हैं कि अमैंडमैंट लाइए। जैसा चौ. दल सिंह जी ने कहा था कि इस बारे में ला साइलैंट है अगर उनकी भी यही कंटेशन है कि ला इस बारे में साइलैंट है तो आप उनसे पूछिए कि क्या वह इस बारे में कुछ करेंगे?

श्री अध्यक्षः उन्होंने कहा है, ला है, जो सवाब दलसिंह जी ने पूछा था उसके जवाब में इन्होंने यह नहीं कहा कि हमें मालूम नहीं बल्कि यह कहा था कि ला है।

चौ. रणबीर सिंहः स्पीकर साहब, वही तो मैंने पूछा था।

श्री अध्यक्षः आप फिर पूछिए किस ढंग से पूछते हैं। यह आप पर निर्भर करता है (हंसी) I really want to help you.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः स्पीकर साहब, इस प्वाइंट पर लाल बिल्कुल साइलैंट है कि मुजारे को जमीन अलाट होने के

अगले ही दिन बाद वह जमीन बेच सकता है या नहीं यानी उन पर इस बारे में कोई पाबन्दी या रिस्ट्रीक्शन ला में नहीं है। क्या यह सरकार ला में कोई तरमीम करके इस किस्म की पाबन्दी लगाना चाहेगी कि मुजारा जमीन खरीदने के फौरन बाद या कुछ अरसा के लिए उसे बेच न सके?

Mr. Speaker: The hon. Member may ask a straigth question.

Ch. Jai Singh Rathi: I will put a straight questioin. क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मुजारे पर जमीन खरीदने के फौरन बाद न बेचने के लिए कोई पाबन्दी है?

श्री बंसी लाल: यह तो कानून की किताब बताएगी।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ तो बता दें।

Sh. Bansi Lal: As far as I remember, there is a provision in the Punjab Act. But, I am not sure.

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहब, पी. राइटस के तहत जो जमीन मुजारे को अलाट की जाती है वह उसको फौरन ही नहीं बेच सकता और जो सरप्लस लैंड उसको अलाट की जाती है, उसको बेच सकता है, इन दोनों चीजों में अन्तर है। एक जमीन को वह बेच सकता है और एक को नहीं बेच सकता। क्या सरकार इस बात का विचार रखती है कि जैसे पी. राइटस की जमीन को

वह कुछ सालों के लिए बेच नहीं सकता उसी तरह से सरप्लस लैंड पर भी कुछ समय के लिए पाबन्दी लगाई जाए?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, इस बात का जवाब तो पहले ही दिया जा चुका है। एग्रेरियन रिफामर्ज कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया जायेगा और उस रिपोर्ट को मदेनजर रखते हुए यानी उस कमेटी की रिपोर्ट की लाइट में जो अच्छे–से–अच्छा कानून बनाया जा सकेगा, बनाने की कोशिश की जायेगी।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: नहीं, जी पहले यह जो कानून बनाया गया था एग्रेरियन रिफामर्ज कमेटी की रिकमैंडेशन्ज पर ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद भी इसमें यह लैकूना रह गया है। एग्रीकल्चरिस्ट से जब कोई लैंड ली जाती है और उसको मुजारे को दे दिया जाता है और वह मुजारा किसी और को बेच देता है, तो उस एग्रीकल्चररिस्ट को बड़ा दुःख होता है कि ख्वामखाह उससे जमीन लेकर मुजारे को दी गई। इस चीज पर पाबन्दी लगाने के लिए यह एग्रेरियन रिफामर्ज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट न दी हो तो कया यह सरकार इस चीज को नोटिस में लेगी कि उसकी रिकमैंडेशन ली जाए?

श्री बंसी लाल: जी हां, नोटिस में लेगी।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय यह बयायेंगे कि जिन मुजारों को कई सालों से जमीन अलाट हो चुकी है और वह

मुजारे गरीब और अनपढ़ हैं, उनको अब नाजायज तौर पर बेदखल किया जा रहा है, उनकी कुछ हिफाजत की जायेगी?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, अगर कोई हार्ड केस गवर्नमैंट के नोटिस में लाया जायेगा तो सरकार उस पर अवश्य ध्यान देगी।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: क्या मंत्री महोदय के यह नोटिस में है कि जींद के अन्दर 1672 एकड़ जमीन अलाट होने के लिए बाकी पड़ी है और वहां पर मुजारे भी बहुत हैं जिनको कि यह जमीन अलाट होनी है और वहां पर एग्रेरियन नायब तहसीलदार इस बात पर अड़ा हुआ है कि उन मुजारों को यह जमीन अलाट करनी ही नहीं?

Sh. Bansi Lal: This is a complaint against a particular officer. We shall look into it.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, उसके खिलाफ कई कम्पलेन्टस भी आई हैं। इन्होंने इन्क्वायरी भी शुरू करवा दी है। लेकिन इन्क्वायरी आफिसर वहां इन्क्वायरी करने नहीं पहुंचा है और अब तब भी नायब तहसीलदार उसी ढंग से चला रहा है और किसी भी मुजारे को लैंड अलाट नहीं कर रहा। क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष: आपने खुद ही तो फरमाया है कि इन्क्वायरी शुरू हो गई है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहिब, इन्होंने इन्क्वायरी आफिसर अपायन्ट तो कर दिया था लेकिन वह तो इन्क्वायरी करने के लिए गया ही नहीं।

Mr. Speaker: Naturally, the orders are there. He will go.

Sh. Bansi Lal: He may be busy some where else.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, हम उसके खिलाफ सबूत देने के लिए बिल्कुल तैयार होकर गये लेकिन इन्क्वायरी आफिसर वहां आया ही नहीं। मैं इस बात की इनको दाद देता हूं कि इन्होंने आर्डरज बड़े सख्त किये हैं।

श्री दया कृष्ण: जैसे कि वजीर साहब ने बताया कि 6514 एकड़ जमीन अलाट तो हो चुकी है लेकिन उसका अभी कब्जा नहीं दिया गया तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन का कब्जा अब तक क्यों नहीं दिलवाया गया और कब तक दिलाया जायेगा?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब बई केसिज में तो टेनैंट कब्जा लेने के लिए आता ही नहीं है और कई केसिज में वह दूरी की वजह नहीं आता। जैसे ही मुजारे कब्जा लेने के लिए आयेंगे, सरकार इमीजेटली उनको कब्जा दे देगी।

चौ. बनवारी राम: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरप्लस जमीन है यदि कोई तहसीलदार या आदमी उसे अपने

रिश्तेदार या औरत के नाम कर देता है, उस जमीन को सरकार लेगी?

चौ. नेकी राम: अगर इस तरह की कहीं बोगस कार्यवाही है, तो सरकार उसकी इन्क्वायरी करवायेगी।

चौ. लाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस आदमी के पास कानून की जद में जमीन रही हो, क्या उसका लड़का औरत मुजारा बन सकता है या नहीं?

श्री बंसी लाल: यह फिर कानून की बात आ गई।

श्री सत्य नाराण सिंगोल: स्पीकर साहब, मेरी दिक्कत तो एक ही है और वह यह है कि मेरे जिले में बड़ी गड़बड़ हो रही है। जो नायब तहसीलदार एग्रेरियन है वह अपनी कास्ट के अलावा किसी और कास्ट के मुजारे को जमीन देता ही नहीं है और यह कह देता है कि मुजारा अबेलेबल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह तो इस सवाल से पैदा ही नहीं होता।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि वहां मुजारे अवेलेबल हैं, मैं कास्ट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यह ले दूंगा तो आप कहेंगे कि किसी कास्ट पर हमला किया है।

श्री बंसी लाल: कास्ट का नाम भी लेते जा रहे हैं और कहते यह हैं कि किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, वह नायब तहसीलदार एक स्पैशल कास्ट के अलावा किसी दूसरी कास्ट वाले मुजारे को जमीन अलाट करने को तैयार नहीं। जाट और सैनी वहां हैं जो कि बाई प्रोफैशन एण्ड बर्थ मुजारे हैं, लेकिन उनको भी वह जमीन अलाट करने को तैयार नहीं है।

श्री बंसी लाल: अगर आनरेबल मैम्बर कोई चार–छः फैक्ट हमें दे देगे कि उसने फलां–फलां आदमी को दूसरी जाति का होने के तौर पर जमीन नहीं दी तो जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Mr. Speaker: I will finish the matter. It appears to be a serious matter. If you have something concrete in your possession, bring it to the notice of the Minister concerned. He has said that he will do something about it.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे जिले के अफसरों से यह सूचना मांग ले कि वहां पर कितनी लैंड अलाटमैंट के लिए पड़ी हुई है, कितने एजीजिबल टैनैंटस हैं जिनको अभी जमीन देनी बाकी है और किन–किन को दी हुई है, तो इनको सारी चीज पता लग जायेगी।

चौ. नेकी राम: स्पीकर साहब, जिला जींद में 1672 एकड़ सरप्लस जमीन है और इस वक्त वहां पर कोई भी योग्य मुजारा नहीं है, इसलिए वह अलाट नहीं हो सकी।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, जवाब में काफी कमी है। मै। आपको ऐसी मिसाल दे सकता हूं कि एक व्यक्ति 35 साल से मुजारा है परन्तु उसे अब तक भी जमीन नहीं दी गई है। No body is carrying a bit for him.

Mr. Speaker: There appears to be something in this matter. If I may suggest, the Hon. Minister may go into it.

चौ. नेकी राम: अच्छा जी, हम इस बारे में जांच करेंगे।

चौ. लाल सिंह: सरकार ने पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज किया है। यह जो मुजारे और मालिक के बीच में झगड़ा है, उसका इलाज करने का कोई तरीका क्या इसके विचाराधीन है?

चौ. नेकी राम: जरूर इलाज करेंगे?

Officers/Officials Under Suspension

***1143. Sh. Daya Krishan**: Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) the total number of Gazetted and non-gazetted Government employees under suspension as on 1-1-1971 separately;

(b) the total number of gazetted and non-Gazetted employees out of those referred to in part (a) above who are under suspension for more than six months, one year, two years, three years and more than three years separately; and

(c) the reasons for the delay in deciding the cases of the employees referred to in part (b) above together with the period within which their cases are likely to be decided?

Chief Parliamentary Secretary (Smt. Sharda Rani Kanwar): The time and trouble involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्री दया कृष्ण: क्या सरकार यह बताने की तकलीफ करेगी कि – जनवरी 1971 को सिर्फ गजेटिड अफसर कितने सस्पेंडिड थे?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): जो पढ़ा है इसमें सभी का जवाब आ गया है।

श्रीमती चंद्रावती: मेरा एक सबमीशन है कि वह नम्बर बता दें कि कितने लोगों के साथ ज्यादती हुई और उनको न्याय क्यों नहीं मिव रहा है?

Mr. Speaker: Anyway, answer has been given and you have heard it. Now next question.

चौ. रणबीर सिंह: जहां तक न्म्बर का सवाल है कि कितने गजेटिड अफसर या नान–गजेटिड अफसर सस्पेंडिड थे, इसके बारे में यह कह रहे हैं कि इसमें टाइम और लेबर बहुत इनववाल्वड है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय हम इसमें आपका सरंक्षण चाहते हैं।

(व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फार खां): स्पीकर साहब कल से मैं सुन रहा हूं कि ये थोड़ी–थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मैं चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या मांगते हैं और क्या आप देना चाहते है?

श्री अध्यक्ष: मैंने तो न लेना है और न देना है इन्होंने लेना है और आपने देना है।

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, खान साहब मेरे एक योग्य दोस्त हैं लेकिन जहां तक प्रोटेक्शन का ताल्लुक है न मैंने उनसे लेना है और न उनके पास है। सदन के सदस्यों को प्रोटेक्शन आप ही दे सकते हैं।

Mr. Speaker: You may kindly ask the number. They will tell you. I don't know.

चौ. रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं– कि जनवरी 1971 को कितने नान–गजेटिड अफसर और गजेटिड अफसर मुअत्तल थे?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दे चुके हैं। They have not got the number.

श्रीमती चंद्रावती: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सबमिशन है, इसी तरह का सवाल मेरा पिछले साल था जैसा कि श्री दयाकृष्ण जी का है। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि जिस सवाल का जवाब लम्बा हो वह हाउस की मेज पर रख दिया जाए।

पता नहीं उन्होंने कितने आफीसर्ज को सस्पेंड कर रखा है। आप इनसे नम्बर दिलवा दीजिए कि कितने लोगों को सस्पेंड किया हुआ है।

Mr. Speaker: I will certainly confess that much, that normally this is very important privilege of a Member to ask questions and normally, as far as possible, the Government should cooperate in giving a suitable answer or a reasonable answer. Now, in this case, the Government has taken the stand that the time and labour involved ini collecting the information will nto be commensurate with any possible benefit to be obtained. So I cannot force an Hon. Minister to give an answer. But let us say, if it was only about Gazetted Officers, I may observe that it is not very long. You may please give this information in 3 days or 4 days. I don't know how much work is involved. It is upto the good judgment of the Minister concerned to answer an Hon. Member's question. So they know and not me as to how much number is involved.

श्री बंसीलाल: स्पीकर साहब, अगर इस इंफरमेशन को कलेक्ट करने लगें तो हर महकमे की, ब्लाक लेवल पर, हर तहसील में एक–एक सरकुलर भेजना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि किस आदमी को सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ क्या चार्ज है। सारे डिपार्टमेंट्स का काम रोक कर यह काम करना पड़ेगा। इसमें बहुत लेबर इन्वाल्वड है और इससे फायदा कुछ नहीं होगा।

चौ. जय सिंह राठी: हम तो यह पूछना चाहते है कि सिर्फर गजेटिड अफसर कितने सस्पेंडिड हैं?

श्री बंसी लाल: इसमें सारे पूछे गए हैं। अगर माननीय सदस्य सिर्फ गजेटिड अफसरों की बाबत पूछना चाहते हैं तो अलग से नोटिस दें।

चौ. रणबीर सिंह: मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास बाकायदा कोई ऐसी रिपोर्ट आती है कि तीन महीनों में कितने गजेटिड अफसर या नान–गजेडिड अफसर मुअत्तल हुए और किस जुर्म में उनको सस्पेंड किया गया है और तीन महीनों में कितने आदमी फिर बहाल किए गए।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मुझे याद नहीं आता कि ऐसी कोई रिपोर्ट आती है।

चौ. रणबीर सिंह: मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि तिमाही या छ माही कोई ऐसी रिपोर्ट आती है या नहीं आती। अगर आती है तो इस चीज को बताने में कि कितने गजेटिड आदमी और कितने नान–गजेटिड आदमी मुअत्तल किए गए हैं।

Mr. Speaker: The stand taken is that this supplementary does not arise from the answer given.

Ch. Ranbir Singh: It does, Sir. Because it mentions the nunber : मैंने सिर्फ यह पूदा है कि क्या सरकार के पास तिमाही या छमाही ऐसी कोई रिपोर्ट आती है या नहीं जिससे यह पता लग सके कि तीन महीनों में इतने आदमी सस्पेंड किए गए।

Mr. Speaker: The answer was that he did not remember.

Sh Bansi Lal: It does not arise. The reply is 'No'.

Mr. Speaker: That stand taken is that this supplementary does not arise from the answer given to them main question.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर महोदय, इस सूचना को लेने में स्टेट का ही भला है इसीजिए हमने यह प्रश्न पूछा है क्योंकि जो आदमी मुअत्तल होते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। स्टेट का बड़ा भारी इन्टरैस्ट हसमें इन्वालवड है। यह कहते है कि टाईम एंड लेबर कम्नस्यूरेट नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि तीन महीने में या छह महीने में डिपार्टमैंट वाइज कोई रिपोर्ट आती है या नहीं अगर आती है तो 'हां' कर दें और अगर नहीं तो 'ना' कर दें, मैं कोई ना नहीं पूछ रहा हूं और न नम्बर ही पूछ रहा हूं।

श्री बंसी लाल: 'नो' कह देने के बाद this question does not arise. The Government is better judge of what should be taken into consideration and what not.

Ch. Ranbir Singh: Well, it is for the Speaker to decide whether an answer to this question should come or not.

Mr. Speaker: That is correct, but I shall read the main question which says:

"(a) the total number of Gazetted and non-gazetted Government employees under suspension as on 1-1-1971, separately;

(b) the total number of gazetted and non-Gazetted employees out of those referred to in part (a) above who are under suspension for more than six months, one year, two years, three years and more than three years separately; and

(c) the reasons for the delay in deciding the cases of the employees referred to in part (b) above together with the period within which their cases are likely to be decided?"

It will be seen that the answer given does not relate to any returns which you are now referring to, and which may be received by the Government monthly or quarterly, from which they can give the requisite information. About the information asked for, the Govt. have stared that the question was so lengthy that the time and labour involved in collectiing the information would not be commensurate with any possible benefit to be derived therefrom.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहिब इस किस्म की रिपोर्ट इस मंत्रिमंडल के बनने से पहले तो आया करती थी सरकार को, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं कि इस सरकार ने वह रिपोर्ट मंगवानी बन्द कर दी है। अगर इन्होंने बन्द कर दी है तो मुख्यमंत्री साहिब बता दें।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहिब वह मानते हैं कि आती है लेकिन उनका स्टैंड यह है कि मेन सवाल में क्वाटरली रिटर्न की कोई बात नहीं पूछी गई, उसके लिए आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं।

चौ. रणबीर सिंह: तो स्पीकर साहिब क्या मुझे शार्ट नोटिस क्वैश्चन पूछने की इजाजत मिल जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आप पूछ लीजिए। Well, it depends upon the Minister, but I shall certainly forward it to Government.

STARRED QUESTION No. 1111

Mr. Speaker: Expension was asked for in respect of this question which I have granted.

Sh. Daya Krishan: By what date, Sir?

Mr. Speaker: Upto 17th February, although the extension was asked for by the Minister upto 22nd or something. The question House is over now.

On 9th February, 1971, Ch. Jai Singh Rathi in his speech stated that. "हाई कोट ने तो सरकार के मुंह पर चपेड़ मार दी थी" The Chief Minister objected to the use of the workds "मुंह पर चपेड़ मार दी थी" being unparliamentary and further stated that. "वैसे चपेड़ तो यह खुद खाते रहते हैं, इनका तो धंधा यही है" I reserved my ruling on the point whether the words "चपेड़ मार दी थी या चपेड़ खाते रहे हैं" are parliamentary or unparliamentary. I hold that the words. "मुंह पर चपेड़ मार दी थी" when used in relation to the Government are parliamentary but when such words are used in relation to a member or a person, these are unparliamentary. The words used by the Chief Minister that. "वैसे चपेड़ तो यह खुद खाते रहे हैं" may be expunged from the proceedings dated the 9th February, 1971.

Sh. Banarsi Dass may now pleased move his motion on the Governor's Address.

DISCUSSION ON THE GOVERNOR'S ADDRESS

श्री बनारसी दास गुप्ता: (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव निम्नलिखित शब्दों में पेश करता हूं :–

''इस अधिवेशन में इक्टठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 8 फरवरी 1971 को सदन में देने की कृपा की है।''

(श्री बनारसी दास गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय इस सदन के शुरू होने पर हरियाणा के राज्यपाल महोदय ने एक बड़ा उत्साहजनक और हरियाणा सरकार ने जो दो ढाई सालों में प्रदेश का विकास किया है उसका विवरण और भविष्य को एक आशाजनक चित्र अपने अभिभाषण में सींचा है। अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चंडीगढ़ और फाजिलका के फैसले के बारे में जो चर्चा की है उससे हरियाणा की तमाम जनता को बड़ा भारी सन्तोष प्राप्त हुआ हैं। आपको मालूम है कि पिछले दिनों पंजाब के बजट सैशन में पजांब के गवर्नर महोदय ने फाजिलका का जो कि एक विवाद वाला प्रश्न है जिक्र किया था और मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की चर्चा जो उस सदन में हुई वह मुनासिब बात नहीं थी। जो कुछ उन्होंने अपनी स्पीच में कहा उससे हरियाणा की तमाम जनता में क्षोभ पैदा हुआ। जब एक फैसला हुआ, सैंटर की सरकार

ने उसका फैसला दिया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए और चंडीगढ़ यूनियन टैरिटरी का कुछ हिस्सा और फाजिलका तहसील हरियाणा को दी जाए तो फिर उनके लिए उस किस्म का एड्रेस पंजाब के सदन में पढ़ना मुनासिब बात नहीं थी। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)। डिप्टी स्पीकर साहिबा उस फैसले के दो भाग हैं। पंजाब सरकार और पंजाब के नेताओं का जहां तक सम्बन्ध है वह उस कहावत वाली बात कर रहे हैं जो हमारे हरियाणा में कही जाती है मीठा मीठा गट और कड़ववा कड़वा थू। जो बात उनके अनुकूल पड़ती है उसको वह स्वीकार करते हैं लेकिन जिस बात से उनके ऊपर करारी चोट पड़ती थी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। यह बात सम्भव नहीं हो सकती आपको याद होगा कि यह चंडीगढ़ का सवाल कैसे पैदा हुआ। जब पंजाब की रीओर्गेनाईजेशन हुई, हरियाणा और पंजाब का आज की शकल में जन्म हुआ तो उसके लिए पहले शाह कमिशन मुकर्रर किया गया था जिसने चंडीगढ़ को हिन्दी भाषी करार देकर हरियाणा को देने की सिफारिश की थी और साथ ही तहसील खरड़ भी हिन्दी भाषाई करार दी थी लेकिन अफसोस की बात थीकि शाह कमिशन की यह सिफारिश सैंटर की सरकार ने लागू नहीं की। वह फैसला लागू न करने के वक्त हरियाणा में जब सरकार बनने लगी थी तो उस वक्त बड़ा सही मौका था कि हमारे नेता जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी वह इस बात का एलान करते कि अगर शाह कमिशन की सिफारिश के मुताबिक चंडीगढ़ तथा दूसरा इलाका नहीं दिया जाता तो मैं मुख्यमंत्री की शपथ

नहीं लूंगा। उनको इस बात पर अड़ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे उस समय के नेता, जिनका मैं नाम यहां पर लेना नहीं चाहता, को मुख्यमंत्री के पाद की ज्यादा लालसा थी, और हरियाणा की बेहतरी का कोई ख्याल नहीं था। उस वक्त अगरवह उस बात पर अड़ जाते तो आज यह हालत न होती। लेकिन मुझे खेद है कि एक तरफ शाह कमिशन की रिपोर्ट को ठुकरा कर चंडीगढ़ का चार्ज केन्द्र की सरकार को सौंपा जा रहा था और खरड़ की तहसील का चार्ज पंजाब को दिया जा रहा था ठीक उसी वक्त हमारे नेता राज भवन में मुख्यमंत्री के पद की कसम उठा रहे थे। यह हमार` उस नेता की लापरवाही कारण है जो चंडीगढ़ हमारे हाथ से चला गया, चंडीगढ़ का केस हम उस समय ही हार गए थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा आपको याद होगा कि इस सरकार के बनने के बाद उस प्रश्न को फिर जागृत किया गया और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये तमाम हरियाणा के अन्दर आवाज बुलन्द की गई और बड़े जोर के साथ यह दावा किया गया कि शाह कमिशन को रिपोर्ट लागू की जाये और न्याय का पक्ष लेते हुये चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाये। इसके लिए आपको मालूम है कि तमाम हरियाणा के जितने वर्ग हैं उन सबमें जोश था उत्साह था और चंडीगढ़ प्राप्त करने की कितनी लगन थी। उसी का परिणाम था कि देहली के अन्दर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और मैं समझता हूं कि देहली के इतिहास में आजतक जितने भी प्रदर्शन हुये उनमें इतनी भारी संख्या में लोग शामिल नहीं हुये हैं जितने कि इसमें हुये। यह

लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी गई। विरोधी दल के नेता चंडीगढ़ का नाम ले लेकर आजकी इस कांग्रेस सरकार पर कांग्रेस पार्टी पर इस बारे में तरह तरह के आरोप लगाते हैं लेकिन मैं इस सदन में बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि इस चंडीगढ़ के मामला पर जो फैसला हुआ और उसके मुताबिक जो फाजिल्का हमें मिलने का निर्णय लिया गया और जिससे हरियाणा को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है उसका सारा श्रेय इस सरकार को है और हरियण की जनता को है जिसने उत्साह के साथ आज की सरकार के नेतृत्व में इसके लिये लड़ाई लड़ी। आज वह लोग कहते हैं कि इन्होंने चंडीगढ़ गंवा दिया और जब हम यह बात करते हैं कि चंडीगढ़ के बदले में हमें फाजिलका दिया गया है जोकि बहुत उपजाऊ इलाका है और जिससे करोड़ों रूपए की आमदनी हरियाणा को मिलने वाली है तो यह लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ तो गया परन्तु फाजिलका नहीं मिलेगा। मुझे अफसोस हे न विरोधी दल के नेताओं पर जो ऐसी बातें जनता को कहते हैं और ऐसे नुकसानदेह वक्तव्य जनता में जाकर देते हैं। मैं तो समझता हूं कि वह ऐसा करके पंजाब के लोगों के ही हाथ मजबूत करते हैं। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये। इनका और पंजाब वालों का दोनों का स्वर मिलता है। उधर वह कहते हैं कि फाजिल्का पंजाबी भाषी है इसलिए हरियाणा को न दिया जाये और इधर विरोधी दल के नेता यह कहते हैं कि फाजिल्का हमें मिलेगा नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह भाई क्या हरियाणा की ऐसा करके सेवा करते हैं या पंजाब वालां की आवाज में आवाज मिला कर

उनके हाथ मजबूत करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपने पंजाब विधान सभा की कार्यवाही सुनी होगी और अखबारों में पढ़ी होगी कि वहां पर कितना इस फसले के खिलाफ दावेला हुआ। अगर यह फैसला पंजाब के फायदा में होता और हरियाणा के लिये घाटे का होता तो कया वजह थी पंजाब विधानसभा में इतना बवंडर उठा इस फैसले के खिलाफ? उसका नतीजा हुआ कि गुरनाम सिंह सरकार का पतन हुआ आपको याद होगा कि जब चंडीगढ़ का प्रश्न चल रहा था और इस बारे में आंदोलन चल रहा था तो यह कहा जाता था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को न मिला तो पंजाब की वह सरकार टूट जायेगी और अगर हरियाणा को न मिला तो हरियाणा की सरकार का पतन होगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, नतीजा इसके उल्ट हुआ। चंडीगढ़ मिला पंजाब को लेकिन टूटी गुरनाम सिंह सरकार और चंडीगढ़ नहीं मिला हरियाणा को लेकिन हरियाणा की वह सरकार न सिर्फ पहले जैसी है बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रही है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह नहीं था कि हरियाणा के लोग चंडीगढ़ को पसन्द नहीं करते थे बल्कि इसका कारण यह था कि हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ के सफेद हाथी के बदले में फाजिल्का का उपजाऊ और खुशहाल इलाका हरियाणा को दिया जिससे हरियाणा की सीमा जो सिरसा और डबवाली पर खतम हो जाती है। अब पाकिस्तानके बार्डर तक पहुंच जाती हैं इससे हरियाणा में खुशीकी लहर दौड़ी और लोगों ने इस बात को समझा कि चंडीगढ़ मिलने से इतना फायदा हरियाणा को

नहीं था जितना फाजिल्का मिने से हो रहा है। आपने सुना होगा कि पंजाब विधान सभा के अन्दर जब इस फैसला पर नुकताचीनी चलती था तो वहां कई मैम्बरान ने बड़े जोर के साथ कहा और मैं वह बात पंजाबी भाषा में ही कहता हूं कि ''तुसीं मुझ बेच के खेती ले आये हो'' यह रिमार्कस पंजाब विधान सभा में इस फैसले पर कसे गए थे। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह फैसला हरियाणा के कितने हक मे ंथा, इससे हरियाणा को कितना लाभ हाने वाला है और वह होगा इसमें कोई संदेह नही। आज विरोधी दल के नेता हरियाणा की जनता में चाहे जिताना भ्रम पैदा करने की कोशिश करें कितने ही चंडीगढ़ के नारे लगाकर इस चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करें लेकिन करें लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार होगी और हरियाणा के लोगों पर इस बात का असर नहीं होगा। चंडीगढ़ तो गया और फाजिल्का नहीं मिलेगा यह किस तरह हो सकतता है। जब एक ही फैसले के दो हिस्से हैं तो एक हिस्सा लागू कर दिया जाये और दूसरा हिस्सा न लागू किया जाये कैसे हो सकता है? मैं इसे अपनी बदकिस्मती कहूं या इस सदन की कि आज सदन में विरोधी दल के नेता राव साहब नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता था कि आप जो विशाल हरियाणा का नारा लगाते हैं और उसका झंडा उठाकर चलते हैं और कहते हैं कि हरियाणा की सीमा बढ़ाना चाहते है तो जिस फैसले से हरियाणा की सीमा बढ़ी है और कई सौ वर्ग मील क्षेत्र मिला हैं जिससे हरियाणा की सीमा पाकिस्तान तक पहुच गई है उसका विरोध वह कैस करते हैं। विशाल हरियाणा का दम भरने वाले

अगर इस फैसले का विरोध करे तो अफसोस की बात है। यह देखकर मुझे अफसोस होता है उसकी लियाकत पर उनकी सूझबूझ और उनके राजनैति उदेश्य पर। इसलिए उपाध्यक्ष महोदया मैं सदन से कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो फाजिल्का का जिक्र किया है यह हरियाणा की जनता की भावनाओं का प्रतिविम्ब है। मैं यह बात मानता हूं कि हरियाणा के लोग इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और वे समझते हैं कि जो फैसला हुआ है वह हरियाणा के हक में हुआ है और यह फसला पूरी तरह से लागू होगा। यह जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं इस सम्बन्ध में बहुत सारे विरोधी दल के नेता बेतुका प्रचार करते फिरते हैं और तरह तरह की अनर्गल बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि अगर इन्दिरा जी हार गई तो हमें फाजिल्का मिलेगा वना नही मिलेगा। मुझे उनकी बुद्धि दीवालियेपन पर अफसोस आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया है और हरियाणा को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है उसके अपदस्थ करने के बाद उनके पास क्या तरीका रह जाता है कि किसी दूसरे आने वाले व्यक्ति से इस फैसले में न्याय हासिल कर सकें। इसलिस मैं कहना चाहता हूं कि यह बात होने वाली नहीं है। आज तो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में हिन्दुस्तान की जनता का मत आज प्रधानमंत्री के पक्ष में हैं और इन लोगों के स्वपन बेकार सिद्ध होंगे (श्रीमती शकुन्तला की तरफ से विघ्न) मैं अभिभाषण पर बोल रहा हूं और उपाध्यक्ष पर ही बोल रहा हूं। मैं

कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरियाणा की जनता की भावनाओं की छाप दी है।

दूसरे उन्होंने अपने अभिभाषण में हरियाणा में हो रहे और हुए विकास कार्य का चित्र खींचा है। आप देखे पिछले दो सालों में जो काम हरियाणा में हुए मैं उनका श्रेय इस सरकार को आता है। इस सरकार से पहले कोई भी सरकार हरियाणा में स्टेबल नहीं रही और न ही कोई व्यक्ति स्टैबिलिटी ला पाया जिसके कारण हरियाणा का नाम सारे भारत वर्ष में बदनाम हुआ। हमारे भाई जो सामने बैठे हैं उन्हे पता है कि उनकी एक सरकार बनी थी जिसको खिचड़ी सरकार या चूं चूं का मुरब्बा वाली सरकार कहा जा सकता है। उस सरकार का आठ महीने के अन्दर ही गर्भपात यानी अबोर्शन हो गया।

श्री सत्यनारायण सिंगोलः यह आपके भाग्य की बात है, अगर वह सरकार न टूटती तो आप न आ पाते व्यवधान शोर

उपाध्यक्षाः आप इन्ट्रप्ट न करें।

श्री बनारसी दास गुप्ताः कल हमारी वित्त मंत्री महोदया ने अपनी बजट स्पीच सदन में पढ़ी और बजट सदन में पेश किया। उससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा में कितनी तेजी से तरक्की हो रही है। उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। इस सरकार के बनने से पहले हरियाणा प्रदेश की क्या दशा थी और आज क्या है। कई कमियों के बावजूद इस

सरकार ने हरियाणा में चमत्कार करके दिखाया इसके चमत्कारों को प्रशंसा हरियाणा और हिन्दुस्तान भर में ही नहीं की गई बल्कि यूरोप, अमेरीका और जापान के अखबारों ने भी प्रशंसा की है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे विरोधी दल के नेताओं का हाल नट के खेल की तरह है। आपने बचपन में नट का खेल देखा होगा। एक नट रस्सी पर चढ कर अपने चमत्कार दिखाता है और नीचे एक ढोलकी वाला ढोलकी बजाता है और कहता है कि – ''मैं न मानू, मैं न मानू''। हमारे विरोधी दल के नेताओं का भी ढोलकी वाले जैसा हाल है। हम कितना ही प्रदेश को ऊंचा उठाएं, ये कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हम क्रिटिसीजम इन्वाइट करते हैं, नुक्ताचीनी को सहर्ष स्वीकार करते हैं लेकिन वह नुक्ताचीनी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए तभी उसका फायदा है। जो काम किया है उसकी सराहना हो और जो कभी रह गई है उसकी नुक्ताचीनी हो तो इस सदन को स्वस्थ वातावरण हो सकात है अगर इस प्रकार का रोल सदन में हो तो जिन मतदाताओं से हम वोट लेकर आते हैं उनकी और प्रदेश की अधिक सेवा कर सकेंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने देखा होगा हिन्दुस्तान में पार–कैपिटा–इन्कम क्या है। आप जानती हैं और आँकडे आपके सामने हैं। हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति आय 3.10 प्रतिशत बढ़ी है और हरियाणा में पर–केपिटा आय 26 फीसदी बढ़ी है। क्या इतीन वृद्धि होना प्रशंसा की बात नहीं है? क्या हिन्दुस्तान का कोई प्रदेशइस बात का दावा कर सकता है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय 26 प्रसेंट तक बढ़ी है? हरियाणा के अतिरिक्त कोई

दूसरा प्रदेश नहीं है जिसने इतनी तरक्की की हो। जहां तक रोजगार का ताल्लुक है, हमने 8.3 प्रसेंट औसत रोजगार दिया है जबकि तमाम हिन्दुस्तान मं मिलने वाले रोजगार की औसत 2.4 प्रसेंट है। मान लीजिए हरियाणा की चौथी पंच वर्षीय योजना 225 करोड़ रूपये की है। अगर आबादी के हिसाब से इस एक्सपैडिचर को देखें तो पता चलेगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर हरियाणा प्रदेश ही ऐसी स्टेट है जिसमें योजनाबद्ध होने वाले खर्च या पर–कैपिटा–ऐक्सपेडिचार सबसे ज्यादा है। इस मामले में हरियाणा हिन्दुस्तान की पहली स्टेट है जिसका पर–कैपिटा–एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है। जहां तक इन्कम का सवाल है, हिन्दुस्तान की तीन रियास्तेां में हरियाणा का नम्बर एक पर आता हैं क्याआप इस चीज की सराहना नहीं करेंगे? क्या यह सदन इस बात काक नहीं सोचेगा कि प्रदेश को कहां से उठाया और कहां ले जाकर छोड़ा है पिछले अढ़ाई साल के अर्से में? एक और चमत्कार हुआ है। आपने पिछला बजट भी देखा है और इस साल का बजट भी देखा है। इस साल कोई नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया इसके बावजूद करोड़ों रूपया लोगों की भलाई के लिए खर्च किया है। लाखों एकड़ मरूस्थल भूमि को पानी दिया। मुझे व्यक्ति अनुभव है उस इलाके का जहां अगर कोई व्यक्ति गर्मी के मौसल मैं सफर करता था तो राह चलते हुए पीने का पानी नसीब नहीं होता था और पड़न कर अपने प्राण त्याग देता था। उन बालू के टिब्बों में जाकर देखो नहर का पानी पहुच रहा है। हमारे भाई कहते थे कि जुई कैनाल पर जो रूपया खर्च किया जा रहा है वह वेस्ट किया

जा रहा है। इसको फजूल खर्च मानते हैं। हमने तड़पते हहुए लोगों को न केवल पीने का पानी दिया बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी दिया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये वे बदकिस्मत लोग हैं जो हर दूसरे तीसरे साल कहत का शिकार होते थे, उनके पशुधन का सर्वनाश होता था और खाद्यान्न न मिलने के कारण बच्चों के साथ काम की तलाश में बाहर चाले जाते थे। आप देखें कि ऐसे इलाके को कैसे चमत्कार के साथ पानी दिया है। चौ. दल सिंह, जो आज बढ़–चढ़ कर बोलते हैं और जो नहर और बिजली के मंत्री भी रह चुके हैं इनके समय में अगर कोई नई योजना तैयार करके इंजीनियर्ज को देते थी तो पांच साल तक उसका सर्वे भी नहीं हो पाता था लेकिन यहां केवल आठ महीने के अन्दर 45 मील लम्बी पक्की नहर बनाकर दे दी गई। जमुना का पानी उन टिब्बों में दिया गया जहां लोग बूंद–बूंद के लिए तरसते थे। डिप्टी स्पीकर साहिबा आपने भागीरथि का नाम सुना होगा जो गंगा नदी लाये थे। वे भी पानी को ऊपर से नीचे लाये थे लेकिन हमारे इंजीनियर्ज ने पानी का नीचे से ऊपर उठाया और 110 फुअ पानी ऊपर उठाकर उन तड़पते हुए लोगों को पानी दिया। लेकिन विरोधी दल के भाई उस हिस्से को हरियाणा का हिस्सा नहीं मानते। अगर ऐसी गरीब इलाके के लोगों को पानी दिया जाये, उनमें जान डाल दी जाए तो बजाय प्रशंसा करने के नुक्ताचीनी करते हैं। पिछले अधिवेशन में सदन में कहा गया था कि सारापैसा उधर जुई कैनाल पर ही खर्च कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ी दलेरी के साथ जवाब दिया था कि वह हमारी जनता है, हरियाणा

का एक हिस्सा है, वे सदियों से तड़नते रहे हैं और उस इलाके के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार होता रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको मालूम होगा, केवल जुई कैनाल बनने पर ही सब्र नहीं किया, एक लोहारू कैनाल की योजना तैयार की गई है। उस पर जुई कैनाल की तुलना में तीन गुणा रूपया खर्च होना है। जुई कैनाल में 110 फुट पानी ऊपर उठाया गया था लेकिन इसमें 200 फुट ऊंचा पानी उठाया जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न केवल हिन्दुस्तान सारे एशिया में इतनी ऊंची लिफ्ट देकर पानी देने की स्कीम कार्यन्वित नहीं हुई है। यह हरियाणा सरकार ही है जिसने हिम्मत और साहस के साथ इस काम को हाथ में लिया। 5 जुलाई, 1970 को जुई कनाल का उद्‌घाटन हुआ था और इसी प्राकर 5 जुलाई, 1971 को लोहारू कैनाल के अन्दर पानी चला दिया जाएगा जिससे उस रेगिस्तान के लोगों को पानी मिलेगा जहां लोग पानी के लिए तड़पते थे। चौधरी दल सिंह ने उस इलाके को देखा है। उन्हें पता है कि वह इलाका कितना पिछड़ा हुआ है। इस नहर के बनने से महेन्द्रगढ़, लोहारू, तहसील झज्जर और आप पास के बारानी इलाके को पानी दिया जाएगा, प्यासे लोगों को अमृत का आभास होगा और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान आएगी और नया जीवन पैदा होगा। और वे लोग भी समझेगे कि हिन्दुस्तान कभी आजाद हुआ था। तो इस प्रकार की अनेक योजनाएं इस सरकार ने हाथ में ली और उनको अमली जामा पहनाया मैं और कितनी बातों का जिक्र करूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा एक बड़ा भारी ग्रंथ है बजट का, एक बी लम्बी चौडी

स्पीच थी हमारी फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा की, जो सदन में पढ़कर सुनाई गई और कमाल की बात यह है कि किसी प्रकार का टैक्स बढ़ाने की बजाय पहले लगे हुए करो के अन्दर भी राहत दी गई। कई चीजों पर बिक्री कर को कम करने के लिए बड़ी मांग थी इसलिए सरकार ने उस मांग को स्वीकार किया है। व्यापारिक क्षेत्र के अन्दर जो काम करते हैं वे महसूस करते थे कि पड़ौसी प्रदेशों के अन्दर जो व्यापार चलता है उससे उनको नुकसान होता है, इसलिए सरकार ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए कई वस्तुओं पर बिक्री कम करके राहत दी। इससे भी ज्यादा सराहनीय काम किया प्रौफैशनल टैक्स को माफ करने का जिस देहात में बसने वालो छोटे–2 हरिजन कारीगारों, अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों और छोटे–2 दुकानदारों को देना पड़ता था। (विघ्न) आने वाले साल के बजट में इस खतम कर दिया गया है। यह समाजवाद के रास्ते पर सही ढ़ग से ले जाने वाला तथा हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला बजट और गवर्नर साहब का यह अभिभाषण है जिसमें सरकार की नीतियों और सरकार के कार्यो की चर्चा की गई है। आपको, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह भी मालूम है कि जिस वक्त हरियाणा का जन्म हुआ उस वक्त खुराक के मामले में, अन्नोत्पादन के मामले में यह डैफिसिट स्टेट थी लेकिन आज मुझे कहते हुए फख होता है कि हम आज न केवल अपने गुजारे लायक अन्न पैदा करते हैं बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी अन्न भेजते हैं। आज यह सरप्लस स्टेट है किसान जो खेती का काम करते हैं उनको तरह तरह के फायदे

पहुचाने के लिए इस सरकार ने जुई कैनाल और लोहारू कैनाल जैसी योजनाएं बनाई तथा माईनर इरीगेशन कार्पोरेशन की भी स्थापना की। इस कार्पोरेशन की तरफ से हजारों की तादाद में नलकूप लगाने की योजना है और भूमि के अन्दर जहां मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है वहां उस पानी का हासिल करके एक एक इंच भूमि को पानी देने की योजना है। जो जानते हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, वे तथा तमाम हरियाणा की जनता भी इस बात में विश्वास करते हैं कि यह सरकार तरक्की के काम के लक्ष्य निर्धारित करके करती है जैसे बिजली का लक्ष्य निर्धारित किया गया, एक टारगैट फिक्स किया गया कि 26 जनवरी, 1971 तक हरियाणा के एक एक गांव को बिजली दे दी जाएगी लेकिन आपको पता है कि वह टारगैट उससे दो महीने पहले ही अचीव कर लिया गया और 29 नवम्बर को हमारी प्रधान मंत्री महोदया पधारी उचानी गांव में तथा लास्ट विलेज को इलैट्रिफाई किया। आज सारा देश जानता है कि हरियाणा की सरकार जिस काम को करने का इरादा बना लेती है, एक योजना बना लेती है और उसके लिए जो तारीख निश्चित कर लेती है, उस तारीख से पहले अपना काम पूरा करती है। तारीख या समय बढ़ाने की कोई नौबत नहीं आती अब बिजली के बाद हरियाणा सरका ने ऐलान किया है कि अगले सववा दो साल के अन्दर हरियाणा के एक एक गांव को, चाहे वह दस धरों का गांव है, पक्की सड़क से कुनक्ट कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले पांच साल में हरियाणा की एक एक इंच भूमि को जो सदियों से

प्यासी है, पानी दिया जाएगा। तो जहां पानी के साधन जुटाये जा रहे हैं, जहां बिजली के साधन जुटा दिये गए हैं, वहां किसानों को अच्छे अच्छे औजार, मशीनें, खेती करने के लिए ट्रैक्टर, सुधरे हुए बीर, अच्छी खाद देने के लिए भी बहुत कुछ सोचा जा रहा है। यह नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसान को एग्रीकल्चार फाइनेन्शल कार्पोरेशन के द्वारा सहायता प्राप्त कराई जाती है और मौरटगेज बैंक से हर प्रकार का कर्जा सुलभ बनाने की कोशिश भी की जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने गवर्नर साहब के आभिभाषण में यह भी पढ़ा और सुना होगा कि अब सरकार का ध्यान गांव की तरफ जा रहा है क्योंकि आप जानती हैं कि न केवल हरियाणा की बल्कि हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। आज हम गांव में देखते हैं कि उनकी हालत में बहुत तरक्की नहीं हुई है। आज गांव के मकान, गांव का बाहर का एरिया हमें उसकी प्रकार नजर आता है जो आज से बीस पच्चीस साल पहले नजर आता था। यह ठीक है कि कुछ गांवों में तरक्की के काम हुए, कुछ गलियां पक्की हुई, कुछ गांवों में स्कूल के अच्छे भवन बने, कुछ गांवों के अन्दर डिस्पैसरियां और हस्पताल खुले और कुछ गांवों को पक्की सड़कें मिलीं, बिजली तो हर गांव मैं पहुंची है। तो सरकार ने आदर्श गांव बनाने की योजना शुरू की है जिसका जिक्रहमारे गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में किया है। फैसला यह है कि प्रत्येक ब्लाक के अन्दर दो गांव ‘माडल विलेज’ बनाए जाएंगे।

चौ. दल सिंह: पांच लिखाहै बनारसरी दास जी।

समाज कल्याण मंत्री (सूबेदार प्रभु सिंह): अगर पांच है तब तो सरकार तेज है। (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ता: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस काम के लिए दस करोड़ रूपये की एक बहुत बड़ी राशि बजट में नियत की गई है। यह ठीक है कि गांव की हालत सुधारने पर पूरा जोर देना चाहिए, गांव की दशा उन्नत करने के लिए इससे भी अधिक रूपए दिए जाने चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं हरियाणा सरकार से और वित्तमंत्री महोदया से यह प्रार्थना करूंगा कि वैसे तो हरियाणा में नगर बहुत कम हैं परन्तु जितने भी हैं उनकी हालत बहुत बुरी है इसलिए उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जितनी नगरपालिकाएं नगरों के अन्दर हैं उनकी इतनी क्षमता नहीं, उने पास साधन नहीं कि नगर निवासियों को नागरिक सुविधायें प्रदान कर सकें। आपने यह भी देखा होगा कि हर शहर की सड़क टूटी हुई है, गली टूटी हुई है, नालियां टूटी हुई हैं, सफाई का कोई अच्दा तरीका नहीं है और मल निवारण स्कीम, सिवरेज स्कीम भी शायद ही हरियाणा के किसी एकाध शहर में हो। तो मैं सुझाव दूंगा अपनी सरकार को कि जिस प्रकार प्रत्येक ब्लौक में पांच गांव मौडल विलेज बनाने जा रहे हैं वैसे ही प्रत्येक जिले के अन्दर एक एक आदर्श नगर बनाने की भी योजना तैयार करें क्योंकि नगरों के अन्दर भी –

चौ. दल सिंह: सारे ब्लैक मारकिटिये इक्टठे हुए हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उसी प्वायंट को मैं टच कर रहा हूं। मेरे भाई कुछ और शब्दों में कहते हैं परन्तु मैं कुछ और शब्दों में कहने जा रहा था वह यह है कि ऐसा कहा जाता है कि नगरों में पहले से सब सुविधायें प्राप्त हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शहर के अन्दर बिजली, सड़क, हस्पताल, कालेज और बहुत सारी चीजें काफी अर्से से मौजूद हैं लेकिन मैं अपने उन भाईयों को बतलाना चाहता हूं जो रिमार्कस केस रहे है कि नगर के अन्दर भी भाई, मजदूर और किसान निवास करते हैं, वहां भी हरिजन बसते हैं। अगर आप किसी भी शहर में जाकर देखेंगे तो हरिजन भाईयों के मुहल्ले बिल्कुल नजर–अन्दाज हुए पायेंगे न वहां पानी है, न बिजली है और न किसी अन्य प्रकार की दूसरी सुविधायें हैं।

श्री भगवान दास सहगल: हमारे शहर अम्बाला मैं तो है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: बड़ी खुशी की बात है।

उपाध्यक्षा: आप अपनी सीट पर बैठें। आप अपनी सीट से ही बोल सकते हैं, किसी दूसरे की सीट से नहीं।

श्री भगवान दास सहगल: यह मेरी अपनी ही सीट है।

उपाध्यक्षा: अच्छा।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अभी मेरे भाई श्री भगवान दास सहगल ने फरमाया कि उनके यहां अम्बाला में किसी तरक्की की आवश्यकता नहीं हैं मुझे तो अत्यन्त खुशी है अगर अम्बाला में किसी तरक्की की आवश्यकता न हो और वहां पर सब चीजें मौजूद हो अर्थात सब तरक्की के काम हों। परन्तु अम्बाला के अलावा हरियाणा में अन्य अनेक शहर हैं जहां पर बिजली, पानी तथा सड़कों की आवश्यकता है।

मैं पहले अर्ज कर रहा था कि शहरों के अन्दर भी गरीब आदमियों की बस्तियां हैं। वहां पर गरीब हरिजन, मजदूर तथा अन्य तबका बसता है। शहरों में किसानों के मोहल्ले भी हैं उन बेचारों को पूर्ण रूप से सब सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। इसलिए सरकार को उनके विषय में भी निश्चय करना चाहिए कि उनको भी वही सुविधायें प्रदान की जायें जो शहर के हर नागरिकों को हैं।

उपाध्यक्षा: श्री भगवान दास सहगल मेरे नक्शे के मुताबिक आप अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं। इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री भगवान दास सहगल: पहले दिन जब हाउस लगा उस दिन सीटों पर नाम नहीं लिखे हुए थे इसलिए मैं यहां बैठ गया। अगर अब सीट बदल गई है तो मुझे पता नहीं है।

उपाध्यक्षाः आपकी सीट नम्बर 64 है। इसलिए आप अपनी ही सीट पर बैठें।

श्री भगवान दास सहगलः बहुत अच्छा जी।

श्री बनारसी दास गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि हरियाणा सरकार मेरे सुझाव को स्वीकार करे और कम से कम प्रत्येक जिले में एक आदर्श नगर की योजना तैयार करे ताकि उस नगर में बसने वाले भाई जो अभी तक शहर के पिछड़े हुए मौहल्लों में रहते हैं उनको लाभ हो। इससे ऐसा होगा कि जो नगर के मध्य में या मिडल में बसने वाले नागरिक हैं उन जैसी ही सब सुविधाये उपलब्ध हो जायेगी।

इसके अलावा आपको मालूम है और आप बजट स्पीच से और राज्यपाल के अभिभाषण से अन्दाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने तरक्की और विकास के काम करने में किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं छोडा है। हर क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करने का प्रयत्न किया गया है। जहां हरियाणा में कृषि का बढ़ावा दिया है और बिजली को गांव–गांव में दिया है वहां सड़कों के निर्माण करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखी हैं उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों प्राइमरी स्कूलों को मिडल बनाया। मिडल स्कूलों को हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी बनाया। कई स्थानों पर जहां कालेजिज की आवश्यकता थी वहां पर कालेज खोले गये। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें, मुझे याद है कोई

शहर ऐसा हरियाणा में नहीं जहां पर अब हस्पताल नहीं है। जिन हस्पतालों की हालत अच्छी नहीं थी, जहां पर पूर्ण सुविधाये उपलब्ध नहीं थी उन पर लाखों और करोड़ों रूपया खर्च करके उद्धार किया जा रहा है। करोड़ों रूपया हस्पतालों की बिल्डिंगों पर खर्च किया जा रहा है। हस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने और औषधियों की मात्रा बढ़ाने पर बजट में लाखों रूपये का प्रोविजन किया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा आपको पता है कि हरियाणा में केवल एक रोहतक में ही मैडीकल कालेज है। अब उसमें हजार बिस्तरों का प्रबन्ध किया जा रहा हैं दूसरे वहां पर जो मैडिकल स्टूडेन्टस के लिए 125 सीटें होती थी अब उनको बढ़ा कर 150 सीटें करने का लक्ष्य बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र के अन्दर सरकार बड़े जोरों के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार ने जनता में एक विश्वास पैदा किया है कि एक बार सरकार ने अपनी जबान से जो कुछ कहा है वह पूरा करके दिखाया है। आजकल हरियाणा में पार्लियामेंट के इलैक्शन हो रहे हैं उनमें हमारे विरोधी दल के भाई फायदा उठाने के लिए यहां हाउस में तरह तरह की बातें करते हैं परन्तु बार–बार सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है और घोषणा की गई है कि जुई कैनाल के अन्दर जो पानी जायेगा वहपानी जमुना के अन्दर से जो बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी होता है और वह पानी जो अम्बाला, करनाल और राहतक जिले की बरसाल के दिनों में

तबाही करता था वह जुई कैनाल में जायेगा। आपको पता है कि ऐसा करने से हरियाणा को दोहरा फायदा होगा। एक तो वे इलाके जो बाढ़ से नुकसान उठाते हैं उनको भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरे जो भिवानी का पिछड़ा हुआ इलाका है उसको पानी मिल जायेगा। परन्तु ये विरोधी दल के भाई लोगों को गुमराह करने के लिए एक ही बात कहते हैं कि जींद, रोहतक का पानी खींचकर यह सरकार जुई कैनाल में ले गयी। मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार की अनर्गल बातें कहने के लिए उन भाईयों को लज्जा आनी चाहिए। उनको इस किस्म की झूठी बातें नहीं कहनी चाहिए। जब वे ऐसी बातें कहते हैं तो उनको अपने ग्रेबान में मुंह डालकर यह सोचना चाहिए कि वे सत्य कह रहे हैं या गलत। मैं यह दावे के साथ कहता हूं और साबित करने के लिए तैयार हूं कि इस कैनाल में केवल बाढ़ का ही पानी दिया जायेगा अन्य किसी नहर के रैगूलर पानी को नहीं काटा जायेगा। इस प्रकार से लोगों को गलत बातें कह कर उनको गुमराह किया जाता है और भड़काया जाता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा आपको पता है कि लोहारू परियोजना बनाई जा रही है। ये भाई इसके विषय में भी एतराज करेंगे कि इसमें कहां से पानी आयेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसमें ड्रेन नम्बर आठ का पानी आयेगा जो रोहतक जिले को आये साल तबाह करती है। आपने सुना होगा कि आये साल रोहतक शहर डूब जाता है। स्कूल कालेजों में छत तक पानी भर

जाता है। वहां के लोग नावों में बैठकर बाहर जाते थे। इस प्रकार से वहां पर करोड़ों रूपया नष्ट होता था। इसी प्रकार से गोहाना का इलाका भी पानी से घिर जाता था अगर वहां गांव के अन्दर मौत हो जाती थी तो शमशान भूमि तक ले जाने के लिए रास्ता तक नहीं मिलता था। इस ड्रेन नम्बर आठ के पानी को यूटेलाइज करने के लिए लोहारू लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनायी गई है। मेरी समझ मैं नहीं आता है कि इस विषय में भी तरह तरह के क्यों प्रोपेगन्डे करते हैं। जलसों के अन्दर ये कहते फिरते हैं कि ये गढ़े खुदवाये जा रहे हैं और इनमें पानी कहां से आयेगा। जब भिवानी तहसील में जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि यह सरकार जो गढ़े खुदवा रही है इनमें तो आक ही पैदा होंगे पानी कहां से सप्लाई करेंगे और जब जीन्द और रोहतक के एरिया में जलसे करते हैं तो उनमें कहते हैं कि तुम्हारे इलाके का सारा पानी तो जुई कैनाल के लिए ले जाया जा रहा है (विघ्न)।

उपाध्यक्षा: आपको बोलने का टाईम मिलेगा उस टाईम पर जो कुछ कहना चाहो उस वक्त कह लेना।

चौ. दल सिंहः आन प्वायंट आफ आर्डर मैडम, मेरी गुजारिश यह है कि ये गवर्नर एड्रैस पर बोल रहे हैं जलसे में नहीं। इसलिए इनको आप कहे कि ये गवर्नर एड्रेस पर ही बोलें। दूसरे गवर्नर साहब ने जो एड्रैस पढ़ा हैं उसी से पढ़कर यह बोल रहे हैं इसमें नई बात यह क्या बता रहे हैं।

DEPUTY SPEAKER. It is for me to see whether he is speaking onthe Governor's Address or not. That thing should be left to me.

श्री बनारसी दास गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं जो कुछ अर्ज कर रहा था वह कोई रैपीटीशन नहीं है। मैं तो वही अर्ज कर रहा हूं जो राज्यपाल के अभिभाषण में है। राज्यपाल के अभिभाषण में हरियाणा के विकास का चित्र खींचा है और उसी का चर्चा मैं कर रहा हूं और साथ ही यह भी बता रहा हूं कि हमारे विरोधी दल के साथी किस प्रकार से अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों के सामने गलत बातें पेश करते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं कि जब भाखड़ा डैम बनाया जा रहा था और उसका पानी हमारे हिसार जिले में बड़ी तेजी के साथ लाया जा रहा था और उसका पानी हमारे हिसार जिले में बड़ी तेजी के साथ लाया जा रहा था, किसानों के खेतों में पानी बड़ी तेजी के साथ पहुचने लगा था, उसी समय चुनाव का मौका आया, तो हमारे विरोधी दल के भाई जो मेरे सामने बैठे हैं, इन्हीं में से एक ने यह कहा कि यह तो बड़ी मुश्किल बात हो गई अभी पानी आ गया और अभी चुनाव आ गया। यह जो भाखड़े का पानी किसानों को दिया जा रहा है इससे किसानों के खेत लहलहायेंगे ओर उसका सारा सत्तारढ़ पार्टी का श्रेय मिलेगा जिसके कारण हमें वोट नहीं मिलेंगे, लोगौं के सामने इन्ही ने एक बात कही कि क्यों पागल हो रहे हेा यह पानी वगैरा कुछ नहीं हैं इसमें से बिजली निकाली हुई है, जिस तरह से दूध में से मक्खन निकालने

के बाद छाछ रह जाती है उसी प्रकार का यह फोका पानी है। यह विरोधी दल के भाई ऐसा निराधार प्राप्रोगन्डा करते है। डिप्टी स्पीकर साहिबा अगर कोई रचनात्मक सुझाव दें तो माना जा सकता है जैसे जो काम हमारी सरकार ने किया है उसके अन्दर अगर कोई कमी है तो उसकी नुक्ताचीनी करें हम उसको अच्छी प्रकार से सुनेंगे और उस कमी को दूर करने कोशिश करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज कर रहा था कि गवर्नर साहब के एड्रेस में जैसे जुई कैनाल और लोहारू परियोजना का जिक्र किया गया है उसके बारे में यह कहते हैं कि उसमें पानी कहां से आयेगा। जैसे कि इन्होंने पहले भी जब गावों के अन्दर बिजली पहुंची थी कहा था कि दो सौ गावों में बिजली नहीं पहुची है, फिर इन्होंने कहा कि सौ गावों में नही पहुंची है उसके बाद कहने लगे कि 50 में नहीं पहुची है ये इस तरह का प्रापोगन्डा कर रहे हैं। राव साहब जो आज यहां नहीं बैठे हैं अगर वे यहां बैठे होते तो मैं उनको बतलाता कि हरियाणा में वह कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने कोई तरक्की का काम नहीं किया। वे इस बात को कि विकास का काम हुआ दूसरे प्रदेशों में स्वीकार कर लेते हैं। यू.पी. के अन्दर किसी एक यादव सम्मेलन मे राव साहब गये थे वहां दी गई उनकी एक स्पीच अखबार में मैंने पढ़ी। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर यह इलाका हरियाणा में शामिल हो जाता तो जिस तरह से हरियाणा में पिछले दिनों तरक्की के काम हुए हैं, जैसे बिजली, नहरें और सड़कों से लोगों को फायदा पहुंचा है वही यहां पर भी हो जाता (विध्न –)

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह तो अपने वक्त का जिक्र कर रहे थे इनके वक्त का नहीं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या वह एक भी ऐसी उदाहरण दे सकते हैं जहां उन्होंने किसी गांव में एक मील लम्बी भी सड़क बनाई हो। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता है कि आजकल बिजली का एक बहुत बड़ा कराइसिज आया हुआ है, बिजली पर रोज कट लगता है यह कुछ प्राकृतिक बात है जिसके कारण पूरी बिजली भाखड़ा से नहीं मिलती है तो सरकार इस बात की लापरवाही नहीं कर रही, आप देखें कि राज्यपाल महोदय ने अपने एड्रैस में इस चीज का जिक्र किया है कि कई जगह थर्मल प्लान्ट लगाकर कई मेगावाट बिजली प्राप्त करने की योजना बन रही है जिससे इस प्रकार की कमी का सामना किया जा सकेगा। जिस तरह से गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण के अन्दर एक चित्र हरियाणा के विकास का खींचा है और पिछले कामों की उन्होंन चर्चा की है और आने वाले भविष्य के लिये जिन योजनाओं का जिक्र किया है और वित्तमंत्री महोदया ने जो बजट सदन में पेश किया है।

उपाध्यक्षा: आप गवर्नर एड्रेस पर बोल रहे हैं इसलिए बजट का हवाला नहीं दे सकते।

श्री बनारसी दास गुप्ता: यह बात भी गवर्नर साहब के अभिभाषण से पूरा ताल्लुक रखती है।

उपाध्यक्षा: जो इन्होने बजट में कहा है वह बजट स्पीच के मौके पर ही बोलिए।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, मेरी गुजारिश सुनिए, यह सारा गवर्नर साहब का अभिभाषण बजट स्पीच से संबंध रखता है।

उपाध्यक्षा: आप इसका हवाला नहीं दे सकते कि फाइनैन्स मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में यह कहा है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, आपको यदि बजट के नाम से चिढ़ है तो मैं बजट का नाम नहीं लूंगा।

चौ. रणबीर सिंह: प्वांइट आफ आर्डर मैडम, डिप्टी स्पीकर साहिबा अगर वह अपनी बहस में बजट का नाम लेना चाहते हैं तो वह बहस बाद में होनी है इनको उसमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि यह तो गवर्नर साहब के अभिभाषण के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव।

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फर खां): प्वायंट आफ आर्डर मैडम, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि कल पा परसों जब बजट पर बहस होगी और कोई सदस्य यदि गवर्नर साहब के एड्रेस का जिक्र कर देगा, क्या उस वक्त आप उसे रोकेंगे?

उपाध्यक्षा: इसमें रूल 85 है वह आप पढ़ सकते हैं और मेरी रूलिंग यह है कि जो चीज हाउस में पहले आ चुकी हो बाद

में उसका आप जिक्र कर सकते हैं। (विरोधी बैचों की तरफ से प्रशंसा)

चौ. जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले ऐसे प्रोसीजर रहा है और पार्लियामेंट में भी प्रथा है कि पहले तो गवर्नर या प्रेजीडेंट एड्रेस पर बहस होती है और उस बहस के खतम होने के बाद बजट पेश होता है लेकिन यहां पर पहले बजट पेश कर दिया और बाद में गवर्नर एड्रैस पर बहस हो रही है इसमें गलती हो गई है। इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

उपाध्यक्षा: क्या आपको जवाब अभी चाहिए या थोड़ी देर में?

चौ. जय सिंह राठी: थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा।

चौ. रणबीर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा मेरी सबमिशन यह है कि जो आफ प्वायंट आर्डर अभी राठी साहब ने रेज किया था उसी सिलसिले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आमतौर पर तमाम सदनों का यही कायदा रहा है कि पहले गवर्नर या राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है फिर उस पर बहस हो जाती है और उसके बाद वोट आफर थैंक्स हो जाता है। उसके बाद बजट पेश किया जाता है। लेकिन यहां पर तो एक नई बात ही हुई। यह सही है कि जो भी नई बात होती है, वह सदन के फैसले के मुताबिक होती है चाहे उसमें कुछ भाई नाराज हो या राजी हो लेकिन जो फैसला सदन कर दे वह ठीक समझा जाता

है। जहां तक मैं समझता हूं आपने जो फैसला दिया है वह इसलिये अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं और आगे को कभी यह कंटनजैंसी आएगी भी नहीं कि अभिभाषण के वक्त पर बजट का जिक्र किया जाये। अगर ऐसा किया जाता है तो वह बजट का लीकेज हो जाता है जो कि कानून की खिलाफ वर्जी हे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपने पहले फैसले पर ही कायम रहना चाहिए और गुप्ता साहब को यही सलाह देनी चाहिए कि अच्छा यही रहेगा कि बजट की बात न कही जाए क्योंकि आगे कोई इस तरह की कंटनजैंसी आने वाली नहीं है।

उपाध्यक्षा: मैंने यही कहा है कि उसी वक्त बजट का जिक्र होना चाहिए जबकि बजट पर डिस्कशन हो रही हो, तो अच्छी बात है।

वित्तमंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। अब क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में भी यह बात है कि इस साल में हमने यह काम किए हैं और अगले साल के बजट में जो पैसा रखा गया है उसकी ब्रौड discussion की गई है, इसलिए मैं समझती हूं कि बजट की ब्रौड discussion जो है, वह उचित है।

उपाध्यक्षा: मैंने यह नहीं कहा है कि अनुचित है। मैंने उन्हें कहा कि आप बजट का नाम तो इस्तेमाल कर सकते हैं मगर

यह नहीं कह सकते कि फाइनैंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया और उसमें उन्होंने यह कहा कि :–

Smt. Om Prabha Jain: That is an established fact now and to refer to afact is not bad.

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्योंकि बजट पेश हो चुका है इसलिए गुप्ता जी कोई भी चीज बोल दें लेकिन क्योंकि श्री बनारसी दास जी गुप्ता एक मोशन आफ थैक्स पर जो कि गवर्नर साहब को देना है, बोलने के लिये खड़ेहुए हैं इसलिए मैं यह समझती हूं कि हाउस की रवायात के यह खिलाफ है कि वह बजट का नाम लेकर बोलें। राज्यपाल के अभिभाषण तक ही इनको रहना चाहिए क्योंकि अगर बजट पेश नहीं हुआ हो और राज्यपाल के अभिभाषण में भी जिक्र न हुआ हो और कोई बजट कके बारे में बात कह दे, तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाता है कि बजट लीक आउट हो गया। मैं समझती हूं कि जिस मोशन आफ थैंक्स पर गुप्ता जी बोलने के लिये खड़े हुए है वे उसी पर बोलें क्योंकि हाउस की रवायात के अनुसार यह है कि भाषण रैलेवैन्ट ही होना चाहिए। मैं आपकी रूलिं की दाद देती हूं और सिर्फ उसकी ताईद करने के लिये खड़ी हुई हूं।

उपाध्यक्षा: धन्यवाद।

श्री खान अब्दुल गफ्फार खां: मैडम, आपने अभी फरमाया कि इस समय बजट का जिक्र नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि बजट जो कि यहां पेश हो चुका है, वह आगे पीछे

नहीं हो सकता। बजट के मुताल्लिक हाउस को इस बात का पूरा अख्तियार हे कि यहां पर कोई भी मेम्बर इसका हवाला दे सके कि ऐसी बात वहां दी हुई है। मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे पहले यह रवायात क्यों न रही हो कि जो मोशन हो, उस पर ही बोला जाये, लेकिन अब तो हमारा हक है कि हम उस बजट का जोकि यहां पेश हो चुका है और हमारी प्रापर्टी बन चुका है उसका हवाला दें।

चौ. जय सिंह राठी: मैडम, मेरी एक सबमिशन है।

उपाध्यक्षा: पहले मुझे खां साहब को जवाब दे लेने दें।

चौ. जयसिंह राठी: मैडम, उसी सिलसिले में मेरी एक छोटी सी सबमिशन है। इस वक्त अगर बनारसी दास जी बजट का कोई हिस्सा बोल जाते हैं या बजट के बारे में कुछ कह देंगे तो इस बात में डिस्टीगुइश करना मुश्किल हो जायेगा कि वह गवर्नर के धान्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या बजट पर। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से स्पीच में डुप्लीकेशन हो जायेगा और मिक्स अप हो जायेगा। अगर वह दोनों चीजें अगल–अलग रखें तो अच्छा है।

उपाध्यक्षा: मैं दोबारा कहना चाहती हूं, चाहे आप इसे मेरी रूलिंग ही समझिए क्योंकि जब मैं चेयर पर हूं, मेरा अख्तियार है कि मैं रूलिंग दूं कि यहां पर यह रवायात भी है और रूलिंज भी हैं कि हाउस के अन्दर जो मिशन हो, उसके ऊपर ही बोला जा सकता है। जो चीज हाउस के सामने नहीं है, उसके ऊपर नहीं

बोला जा सकता। इस वक्त जो हाउस के सामने है, वह गवर्नर साहब का अभिभाषण है, इसलिए आप अभिभाषण पर बोल सकते हैं। जब आप यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि गवर्नर महोदय का अभिभाषण के लिए धन्यवाद किया जाय तो बजट पर नहीं बोल सकते हैं। यहां पर तो गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है। इसलिए बजट पर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने एक एक शब्द गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोला है और जिन बातों की चर्चा गवर्नर साहिब ने अपने अभिभाषण में की हैं, वह सारी बातें यहां एक्सप्लेन की हैं। इसके साथ ही एक बात मैंने कही जो कि बजट के बारे में थी और जिस पर कि यहां कन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई।

उपाध्यक्षा: कन्ट्रोवर्सी चेयर की तरफ से नहीं खड़ी की गई यह हाउस की तरफ से हुई है। .....

श्री बनारसी दास गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने यह नहीं काह कि बन्ट्रोवर्सी आपकी तरफ से हुई है बल्कि मैं तो यह कह रहा था कि हाउस में इस मामले पर कन्ट्रोवसी हो गई है। जब मैं अपनी स्पीच दे रहा था तो मैंने हवाला दिया था कि वित्तमंत्री महोदया ने जो स्पीच दी है उसमं यह बातें कही गई हैं कि राज्यपाल महोदय ने जिन बातों का अपने अभिभाषण में जिक्र

किया है वह सारी चीजें इस बात से साबित हो जाती है जैसे कि राज्यपाल के भाषण में यह दिया हुआ है कि पिछले साल इतने गांवों को पीने का पानी दिया गया और अगले साल 145 गांवों को पानी दिया जाएगा, मकसद यह है कि उनके अभिभाषण में बजट में दी गई चीजों का जिक्र आता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर साहब ने जिन बातों का अपने अभिभाषण में जिक्र किया है, मैं उन पर चर्चा करने जा रहा हूं। पहले भी मैं उसके अभिभाषण से एक शब्द भी बाहर नहीं गया था। मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया है, उसमें उन्होंने हरियाणा की एक कम्पलीट तस्वीर पेश की है और मेरे ख्याल से उनके अभिभाषण में कोइ कमी नहीं रह जाती। मरे कहने का अभिप्रायः यह है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कि विकास का या जन कल्याण का कार्य न हुआ हो। जहां तक अनुसूचित जातियों और दलित वर्गों को ऊंचा उठाने का सम्बन्ध है मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं हमारे गवर्नर साहब ने कहा कि 99 करोड़ और 95 लाख रूपया इन लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जायेगा, यह बहुत बड़ा भारी काम हैं। जो जातियां और जो वर्ग सदियों तक दलित रहे और जिनकी तरफ किसी ने कभी नजर उठाकर नहीं देखी, उनके कल्याण के लिए यह सरकार पूरा ध्यान दे रही है।

चौ. दल सिंहः गुप्ता जी, फिगर्ज आप जरा दोबारा पढ़ लें।

श्री बनारसी दास गुप्ताः 99 लाख और 95 हजार रूपया ....

चौ. दल सिंहः अब ठीक है। ....

श्री बनारसी दास गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको भी पता होगा कि हरिजन कल्याण के लिए सरकार ने वित्त निगम कायम किया है। उसमें बड़ी भारी पूजी लगाई है और अब निगम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है उसका कार्य बड़े संतोषजनक ढंग से चल रहा है। अब जो हरिजन भाई काम करना चाहें और जिनके पास साधन न हों, वित्त निगम के द्वारा उनको साधन प्रोवाइड किये जायेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब कभी किसी हरिजन भाई के चन्द मेहमान आ जाते हैं या उनके यहां बारात आती है तो उसे दूसरी चौपालों या धर्मशालाओं में जगह नहीं मिलती। गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में भी जिक्र किया है कि यह सरकार उन लोगों के लिए चौपालों ओर धर्मशालाओं के निर्माण के लिए अनुदान देने जा रही है। मैं सदन का काफी समय ले चुहा हूं। मेरा यह तमाम बातें कहने का अभिप्रायः यह है कि गवर्नर साहब ने अपने भाषण के अन्दर एक सुधरी और बड़ी सुन्दर तस्वीर जो हरियाणा अब तक बना है और बनने जा रहा है वह तस्वीर सदन के सामने पेश की है और गवर्नर साहब ने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर प्रथा के अनुसार इस सदन में इतना

सुन्दर भाषण इतने अच्छे शब्द यहां पढ़कर सुनाये। उसके लिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि गवर्नर साहब के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव जो मैंने प्रस्तुत किया है सहर्ष स्वीकार करें।

उपाध्यक्षाः अब श्री दया कृष्ण जी अनुमोदन करेंगे।

श्री दया कृष्ण (जींद): डिप्टी स्पीकर महोदया, जो मोशन श्री बनारसी दास जी ने पेश की है मैं उसकी ताईद करता हूं। गवर्नर साहब ने अपने भाषण में बससे पहले फाजिल्का एरिया का जिक्रकिया और कहा कि मेरी सरकार इन विचारों से नाराज है जो पंजाब के गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहे।

"The Fazilka tract is a Punjabi-speaking area. My Government are committed to the retention and inclusion of all Punjabi-Speaking areas in the State of Punjab."

इन लफ्जों से हरियाणा के लोगों की भावना भड़की है ओर मै। तो यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो भी फैसला हो चुका है यह फाईनल है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला इसलिए मन्जूर किया था कि पंजाब और हरियाणा दोनों भाई हैं और वे दोनों ठीक तरह से रह सके। लेकिन दरअसल बात तो यह है कि चंडीगढ़ हमारा था। शाह कमिशन ने इसे हमें दिया था, फाजिल्का हिन्दी स्पीकिंग एरिया है। अगर वह कोई बात छेडते है तो मैं यह कहूंगा कि चंडीगढ़ और फाजिल्का दोनों हमारे हैं। जो हमारे गवर्नर साहब ने यह बात कही यह बिल्कुल ठीक है और पंजाब गवर्नमैंट

को चाहिए कि वह इस किस्से को दुबारा न उठाए। उन्होंने देखा है कि हरियाणा में पहले कितीन भावनाएं भड़की थी। हरियाणा के लोग बोलते कम है और कम ज्यादा करते हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि हरियाणा के लोग कुछ नहीं कर सकते। हम तो यह समझते हैं कि हरियाणा और पंजाब दो भाई हैं जो अलग हुए हैं, उनको ठीक तरह से रहना चाहिए। गवर्नर साहब ने ऐड्रैन में जो बात कही है वह ऐड्रैन तक नहीं रहेगी बल्कि वह मुकम्मल बात है और यह नामुम्किन बात है कि फाजिल्का जो हमें मिला है वह हमसे चला जाए। हरियणा के साथ पहले ही ज्यादती हुई है और जब फाजिल्का जो कि हिन्दी स्पीकींग एरिया है वह भी छिन जाए यह कभी भी बर्दाष्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा कभी दब नहीं सकता। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार का स्टैड गवर्नर साहब ने अपने भाषण में बिल्कुल साफ तरीके से पेश कर दिया है और अगर कोई बात फिर उठती है तो उसका मुकाबला किया जाएगा। अगर वह इस प्रश्न को फिर छेडेंगे तो हम फाजिल्का और चंडीगढ़ को लेकर रहेंगे। भाई जरूर हैं लेकिन अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे।

इसके बाद गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रैस में टेक्सेशन की पालिसी के सम्बन्ध में जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि पीछे भी हरियाणा में कोई टैक्स नहीं लगा और इस साल भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मेरी अपनी राय है कि डेमोक्रेसी में, सोशलिज्म में हम टैक्स लगाकर ही उन्नति कर सकते हैं। जो

बड़े–बड़े साहूकार हैं, बड़े–बड़े जमीदार हैं उनसे अगर टैक्स नहीं लिया जाएगा तो गरीबों का कल्याण कैसे होगा। बड़े–बड़े जो प्लांट है वे कैसे मुकम्मल होंगे। मैं नहीं समझता कि हरियाणा सरकार टैक्स न लगाकर कैसे काम चलाएगी। जिनके पास काफी पैसा है उन पर टैक्स लगाना चाहिए और उसको गरीब आदमियों पर खर्च करना चाहिए ताकि हरियाणा जल्दी तरक्की करे। हरियाणा के आदमी बहुत मेहनती है वह हर तरह का काम करना जानते हैं। हरयिाणा एक पिछड़ा हुआ एरिया था लेकिन उसने आहिस्ता–आहिस्ता तरक्की की है जैसे गाड़ी शुरू में खड़ी होती है और फिर उसको कुछ स्पीड देकर स्टार्ट किया जाता है और फिर वह फुल स्पीड पर चलने लग जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां टैक्स और ज्यादा लगने चाहिएं। जो आदमी टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स हम जरूर लें।

इससे बाद गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रैस में प्रोहिबिशन के मुताल्लिक जिक्र किया है। इस विषपय में सरकार की पालिसी ठीक नहीं रही हैळ। पहले रोहतक में प्रोहिबिशन था वहां से उसको खतम किया फिर सप्ताह में दो दिन यानी सोमबार और मंगलवार को शराब बन्दी के दिन मुकर्रर किए लेकिन वह भी खतम किए। अब महेन्द्रगढ़ में प्रोहिबिशन है। बहुत ठीक है लेकिन इस पर एक हिम्मत के साथ अमल करना है ताकि लोग सुखी रह सकें। हमारे हरियाणा का जमींदार बहुत भोला भाला है और जो पैसा वह अपनी मेहनत से कमाता है उसमें से ज्यादा

पैसा वह शराब में खो देता है। सरकार को चाहिए कि इन पालिसी को जिले वार शुरू करे और महेन्द्रगढ़ के बाद अब इस साल जींद का नम्बर आना चाहिए ताकि इस पालिसी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को हो।

एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन के मुताल्लिक गवर्नर साहब ने जिक्र किया। जो फिगर्ज गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रैस में पेश की उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि सारा हिन्दुस्तान मानता है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा पैदावार हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां का किसान बहुत मेहनती है। एग्रीक्लचर प्रोडेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज पानी है। नहर के पानी का होना बहुत जरूरी है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) नहर का पानी किसानों को समय पर ाऔर उनकी जरूरत के मुताबिक मिले यह बहुत ही जरूरी चीज है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुजेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले सतलुज ब्यास लिंक योजना जिस पर काम चालू है और जो कुछ अर्से से पूरी हो जायेगी उसकी जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। इस योजना से हमारे हरियाणा को बहुत फायदा होगा। इसमें एक दिन की डिले भी हरियाणा के लिए घातक सिद्ध होगी। इसकी तरफ हरियाणा सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और सैन्ट्रल गवर्नमेंट से इस काम के लिए जो इमदाद मिलनी चाहिए वह ले और सैन्ट्रल गवर्नमैंट से इमदाद लेकर जल्दी से जल्दी उसे पूरा करना चाहिए।

मेरी एक और अर्ज है कि वहां के इंजीनियर कुछ डिस्सेटिसफाईज हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो उनकी तकलीफें हैं उनको दूर करना चाहिए। उनकी मदद से इस योजना को जल्दी ही पूरा करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः आप कितना टाईम और लेना चाहेंगे?

श्री दया कृष्णः पन्द्रह मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्षः दस मिनट में पूरा कर लीजिए।

श्री दया कृष्णः जमुना पर जो डैम बनाने की तजवीज है उसको जल्दी बनाने की जरूरत है ताकि नहरी पानी किसानों को दिया जा सके। हमारा हरियाणाा एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहां ज्यादा दारोमदार लोगों का खेती पर है और खेती बगैर पानी के नहीं हो सकती। जमुना पर डैम बनाने की स्कीम सालों साल से चली आ रही है लेकिन उस डैम को नहीं बनाया जा रहा। वहां पर कम अभी तक अलफ बे पे तक भी नहीं पहुंचा है। इस तरफ खास ध्यान करके सरकार को इस स्कीम को जल्दी मुकम्मल करना चाहिए ताकि खेतों को पानी मिल सके और हमारे सूवा खुशहाल हो सके। इसके अलावा हमारे हरियाणा कमें मारकण्डा, टांगर और घग्गर तीन नदियां हैं जिनमें फलड आता है ओर बहुत सा नुक्सान हर साल होता ळें इनके ऊपर कोई डैम वगैरा बनाने की तजवीज बनाई जाए और उस पानी का फायदा उठाया जाए। पानी सबसे पहली और जयरी चीज है किसानों के लिए इसलिए सराकर को

इस बाता की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गवर्नर साहब ने अपने भाषण में इन्डस्ट्री का जिक्र किया है खेती के बाद इन्डस्ट्री दूसरे नम्बर पर आती है। जमीन इतनी नहीं है कि उसको खेंच कर बढ़ाया जा सके क्योंकि उस में तो प्रोडक्सन ही बढ़ाई जा सकती है और वह भी अगर पानी की सहूलियत हो। इन्डस्ट्री की तरफ जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही। आप जानते है कि इन्डस्ट्री की खास तरक्की हमारी स्टेट मं नहीं है। इसके लिए एक कारपोरेशन भी है और इन्डस्ट्री का डिपार्टमैंट भी ळे लेकिन इसके बावजूद भी कोई खास काम नहीं हो रहा। जो इक्की दुक्की फैक्ट्रीज लगी हैं उन से फायदा नहीं पहुचता। मैं जींद के जिले की बात करता हूं, वहां पर जितना रूपया लोगो को कर्जे के रूप में दिया जाता है उससे ज्यादा महकमें के मुलाजमों का खर्चा ही बन जाता है। मैं यह अर्ज करूंगा कि आपको कर्जे की लिमिट ज्यादा करनी चाहिए वरना चार चार सौ या पांच पांच सौ रूपया कर्जा देने का कोई फायदा नहीं हैं क्योंकि इतनी थोड़ी रकम से काम नहीं चल सकता। आप देहातों में जाकर देखें आपकी काफी लोग ताश खेलते या सोते हुए दिखाई पडेंगे क्योकि उनको इतनी जागृति नहीं है कि कहीं बाहर जाकर काम कर लें। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके पास कोई छोटी मोटी इन्डस्ट्री पहुंचाए ताकि उनको रोजगार मिले और स्टेट का भी भला हो। हर जिले में हर गांव में छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज लगानी चाहिए ताकि जिनके पास जमीन नहीं है या जमीन थोड़ी है वह अपना गुजारा कर सकें।

इसके बाद गवर्नर साहिब ने पीने का पानी का जिक्र किया है। पीने के पानी इन्सान की सबसे पहली जरूरत है लेकिन इसके लिए जो रकम मुहया की गई है वह बिल्कुल नाकाफी है। हरियाणा में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर कि पीने का पानी नहीं मिलता। महेन्द्रगढ़ नाम का एक गांव है, वहां पर पीने का मीठा पानी नहीं है। मैंने वहां पर देखा एक तालाब में बिल्कुल गन्दा पानी था जिसमें से बाल्टी के साथ एक औरत घडे मे पानी डाल रही थी। कितनी बुरी हालत है आप अन्दाजा लगाएं। यहां चण्डीगढ़ में एक एक मकान में आठ आठ दस दस नलके लगे हुए हैं और देहातों में लोगों के लिए पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं हे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और हर गांव में एक दो सालों में पीने का मीठा पानी पहुंचाना चाहिए ताकि लोग यह समझे कि आजादी का फायदा हमें भी मिला है वरना जो गन्दा पानी है उससे हजारो किस्म की बीमारियां फैलती हैं।

श्री अध्यक्षः सूबेदार प्रभु सिंह जी आपकी गौर के लिए श्री दया कृष्ण जी फरमा रहे हैं।

समाज कल्याण मंत्री (श्री प्रभु सिंह): स्पीकर साहब जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर उनकी तसल्ली करवाऊंगा।

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहब देहातों की हालत बिल्कुल नागुफताबे है जो वहां पर मकानात बनते हैं उनको देखकर आदमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन्होंने बहुत नुक्सान किया है। उसी मकानन में दस दस पशु बांधे हुए होते हैं और उसी में वह रहते हैं इतनी गन्दी हवा आती है कि जो आदमी समझ रखता है वह वहां पर बैठता पसन्द नहीं करेगा। लेकिन बेचारे देहाती लोगों की इगरोरेस एक्सपलायट हो रही है, वह मिस्तरी को लगाते हैं जैसे उनको मिस्तरी बना देता है वैसे ही बन जाता है। इसके अलावा पहले बने हुए मकान भी उनके ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को प्लैन करके उनके मकानों को कुछ ठीक ढंग से बनवाना चाहिए और उनमें रोशनी का प्रबन्ध होना चाहिए और गंदी हवा निकलने का भी प्रबन्ध होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम सल्मज दूर करेंगे, लेकिन देहातों और शहरों में नए सल्म बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि नए मकानात तरतीब से बनवाने का प्रबन्ध करें और सल्मज जो हैं उनको दूर करें। मकानों के बारे में मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं। जब हम शहरों में जाते है तो उनके आस पास हमें गंदी झोपडियां दिखाई देती हैं, कई दफा तो बगैर फूस के भी होती है और ऊपर चिथड़े से लगे हुए होते हैं जो बारिश और हवा में ऊपर से उड़ जाते हैं और वह बेचारे गरीब लोग और उसके बच्चे सर्दी में सुकड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग एशोइश्रत करते हैं वह उनको देखते तो हैं लेकिन उनकी आखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आजादी मिली का कितने साल हो गए हैं लेकिन उनका रहने

के लिए अभी तक हम एक एक कमरा भी नहीं दे सके। अमीर आदमियों के पास तो कारें खड़ी करने के लिए कितने कितने बड़े गराज हैं। कम से कम गराज के बराबर ही उनको कमरा दे दिया होता, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी हालत जैसे सदियों से चली आ रही हैं उससे भी बदतर होती जा रही है। गवर्नर साहिब ने फरमाया है कि इस तरफ सरकार का ध्यान है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज कागज पर ही नहीं रहेगी, साल या दो सालों में हर आदमी के लिए रहने के लिए कमरे का प्रबन्ध गवर्नमैंट करने का यतन करेगी और उन गरीबों के बच्चों का सर्दी और बारिश से बचाने की कृपा करेगी।

अब मैं बेरोजगारी की प्राबलम की तरफ आता हूं। गवर्नर साहब ने बेरोजगारी के बारे में अपने एड्रेस में कुछ तो कहा है लेकिन इससे भी ज्यादा फोर्सफुली कहना चाहिए था। आप जानते हैं कि तालीम का फैलाव काफी हो चुका है लेकिन जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं उनको कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई रोजगार नही मिलता। मां बाप तंग हैं और बच्चे उन से ज्यादा तंग हैं अगर इन अनएम्पलाएमैंट का जल्द दूर करने का प्रबन्ध न किया गया तो मुझे डर है कि यहां पर बंगाल वाले हालात न पैदा हो जाएं।

अनएम्पलाएमैंट को दूर करना सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए। सरकार को ऐसे—ऐसे काम शुरू करने चाहियें जिनसे लोगों को काम मिले और बेरोजगारी दूर हो। सरकार ने

जो सड़कों और बिजली का काम किया इससे लोगों को काफी काम मिला और बेकारों को रोजगार मिला है और अनएम्पलाएमैंट दूर करने में काफी मदद मिली है। मुझे परसो ही एक आदमी मिला। उसका दसवीं पास लड़का है जिसके रोजगार के लिए वह मारा–मारा फिरता है लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती। वह कहने लगा कि अब उसे अपने लड़के की लाश नजर आती है। इतनी मुश्किल के साथ पढ़ाने के बाद नौकरी न मिलने की वजह से कोई बाप अपने लड़के के बारे में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करे तो आप समझ सकते हैं कि उसे कितना दुख है और यह कोई हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। सरकार को इस अनएम्पलाएमैंट दूर करने की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिये। इससे सरकार को भी फायदा है क्योंकि इसके दूर होने से ला एंड आर्डर भी ठीक रहेगा और रहता है। एक बात मैं कुरपशन के बारे में कहना चाहता हूं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि काफी कुरपशन है ओर उसकी वजह हम सब ही हैं। मैं अर्ज करता हूं कि इस कुरपशन को ज्यादा नहीं फैलने देना चाहिए और जो है उसे खतम करना चाहिये। मेरा हरियाणा बनने के बाद 5/6 डी. सीज का तजरूबा है और वह आई.ए.एस. केडर के थे। मैं अपने तजरूबा की बिना पर कह सकता हूं कि वह सारे ही निहायत ईमानदार हैं। बड़ी अच्छी बात है कि उस पर केडर के अफसर अपने मन पर काबू रखे हुये हैं।

Ch. Dal Singh: And what about the Superintendents of Police.

श्री दया कृष्ण: Otherwise. जिस तरह यह डी.सीज. ईमानदार रहते हैं और रहे हैं तो जिस तरह चौ. दल सिंह ने काह सारे ऐस.पीज. और दूसरे सारे अफसर ईमानदारी से काम करें तो यह अच्छी बात है और इससे देश की भलाई होगी। अफसरों को काफी तनख्वाह मिलती है स्टेटस मिला हुआ है और सारा शहर सिर झुकाता है अगर इसके बावजूद कोई अपने हाथ फैलाता है तो यह न सिर्फ जनता के लिए, उसके अपने लिए बल्कि सारे देश के लिए नुकसान देह बात है और शोभा की बात नहीं है।

Mr. Speaker: I hope no more and only one minute because you have alread taken fifteen minutes.

श्री दया कृष्ण: सिर्फ पांच मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपने खुद ही कहा था कि 15 मिनट लेगे और वह हो चुके हैं।

श्री दया कृष्ण: अच्छा जी मैं अभी खतम करता हूं। एक बात मैं स्टूडैंटस के बारे में अर्ज करता चाहता हूं स्टूडैंटस जो हैं वह हमारे देश का भविष्य हैं और आयंदा की उम्मीद हैं लेकिन आप देखते हैं कि आज उनका क्या हाल हो रहा है। मामूली बात पर एजीटेशन करते हैं और दूसरी खराबियां करते हैं जिससे जाहिर हे कि हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हैं इस तरफ हमें पूरी तवज्जुह देनी चाहिये। इस बारे में प्रोपोज करता हूं कि हमें अपने स्कूलों कालिजों में धार्मिक शिक्षा देनी शुरू करनी चाहिये ताकि उनकी आचार–विचार ठीक हों। एक बात मैं हरिजनों के बारे में

कहना चाहता हूं। आम तौर पर बड़े जोर के साथ कहा जाता है कि हमने उनको बहुत सुविधाये दे दी हैं और उनको हर लिहाज से बहुत ऊंचा कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई खास बात अभी नहीं बनी है। आप जाकर देखें उनकी अब भी बुरी हालत है और उनके पास न मकान हैं न रोजगार है और न खाने के लिए रोटी है और न पहनने के लिए कपड़ा है। मोटी–मोटी बातें करके हमें उन्हें बहकाना नहीं चाहिये और उनकी तरफ पूरी तवज्जुह देनी चाहिये ताकि उनकी दशा सुधरे। सरकार ने इस दफा काफी उम्मीद उनको दिलाई है और मैं समझता हूं कि सरकार उन सारी बातों का पूरा करेगी। यह बड़े ुखर की बात है कि सरकार ने सड़कों और बिजली का हरियाणा में बहुत काम किया है। हिन्दुस्तान में यह फखर सिर्फ हरियाणा को हासिल हुआ है कि गांव–गांव में बिजली पहुच गई है और आखिरी गांव में बिजली जा पहुची है। सरकार का दावा है कि सड़क भी हर गावं में जाएगी और इस बारे में काफी काम हुआ है और हो रहा है। यह काबिले तारीफ बात है और इस पर हम सबको फर्क है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। इस अलफाज के साथ मैं राज्यपाल महोदय ने जो एड्रैन हाउस के सामने पेश किया है उसकी ताइद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने अर्ज की हैं सरकार उन पर पूरी तरह से अमल करेगी।

श्री अध्यक्षः मोशन मूव की जाती है कि –

इस अधिवेशन में इक्ट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 8 फरवरी 1971 को सदन के सामने देने की कृपा की है।

चौ. दल सिंह (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सरकारी पक्ष की ओर से राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करने का आया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हू। (अपोजीशन की ओर से थम्पिंग) राज्यपाल साहब ने अपने अभिभाषण के शुय में ही चंडीगढ़ के बारे में जिक्र किया है। श्री बनारसी दास गुप्ता, जिन्होंने यह धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उन्होंने भी काफी कुछ चंड्ीगढ़ के बारे में कहने की कोशिश की। दो बातें साफ तौर पर कही गई हैं। पहली बात यह कि शाह कमिशन ने चंडीगढ़ का फैसला हरियाणा के हक में किया और दूसरी बात यह कि 29 जनवरी 1970 को भारत के प्रधानमंत्री ने जो फैसला दिया उसका यह सरकार एक पक्ष थी। किन हालात में चंडीगढ़ हमारे हाथ से गया उसके बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। जिस वक्त यह री–आर्गोनाइजेशन हुई और चंडीगढ़का फैसला हुआ उस वक्त हरियाणा में कोई सरकारा नहीं थी और राज्यपाल साहब का राज था। यहां काह गया कि एक भाई चीफ मिनिस्अर बनाना चाहते थे इसलिए वह उस वक्त यह बात मान गये। यह बात नहीं है। उस वक्त कोई सरकार ही हरियाणा में नहीं थी जिसने ऐसा किया हो।

उस वक्त भारत सरकार ने हरियाणा को आश्वासन दिया था कि चंडीगढ़ बतौर अमानत वह अपने पास रख रहे हैं और जब हरियाणा में सरकार बनेगी उस वक्त चंडीगढ़ आपको मिल जायेगा। जब राज साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हरियाणा विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया और कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टी के लोगों ने एक आवाज से कहा कि चंडीगढ़ हमारा है हमारा इस पर शाह कमिशन के फैसले के मुताबिक हक है और यह हमें दिया जाये। इसके बा इस मौजूदा सरकार में काई वजीर ऐसा नहीं जिसने यह न कहा हो कि चंडीगढ़ हमारा है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब की पिछली स्टेटमैंटस देखो जो अखबारों में आती रही हैं इन्होंने जोर से कहा कि चंडीगढ़ हमारा है। एक दफा अखबारों में यह चर्चा आया कि चंडीगढ का सौदा किया जा रहा है लेकिन इनकी तरफ से इस बात की पुरजोर तरदीद की गई और कहा गया कि हरियाणा की मान मर्यादा का सवाल है कोई इस बारे में सौदा नहीं किया जायेगा। फिर आप जानते हैं चंडीगढ़ की प्राप्ति के लिये हरियाणा में दो दफा भारी 'बन्द' किया गया। सड़कों पर मोटर, कारें, टांगे रिक्शे तक नहीं चले और सारा कारोबार बंद किया गया और यहां तक कि किसानों ने खेतों के ट्रैक्टर तक नहीं चलाये। भारी प्रदर्शन हुये और पूरी हडताले हुई। एक बड़ा भारी प्रदर्शन देहली में जाकर हरियाणा के लोगों ने किया। अखबारों का कहना है कि आजतक देहली की हिस्टरी में इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ कोई आठ दस लाख लोग उसमें शामिल हुये। इन्होंने खुद लोगों को वहां जाने

के लिये मुफत सवारी दी और सारी सुविधायें वहां जाने के लिये दीं। हमारे इस कांग्रेसी भाईयौं ने हजारों की तादाद में झंडियां जीपों मैं भर–भर कर लोगों को तकसीम कीं। आखिर यह इतना कुछ किस लिये हुआ और क्यों किया गया? प्रधान मंत्री साहिबा ने भी कहा कि दबाव में आकर हरियाणा के साथ गैर–इन्साफभ नहीं करूंगी। इस काग्रेस पार्टी के हरियाणा के एम.पीज. ने जोर लगा लगाकर कहा कि हरियाणा के साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई गैरइन्साफी नहीं होगी। लेकिन 27 तारीख का संत फतेह सिंह ने कहा कि पांच दिन के अन्दर अगर चंडीगढ़ पंजाब को न दिया गया तो वह जल कर मर जायेगा। उसके बाद सब काम ठंडा हो गया। चीफ मिनिस्टर साहब को देहली बुलाया गया और इनके दस्तखत लिये गये। गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाषण में माना है कि उनकी सरकार यह जो फैसला हुआ उसका एक पक्ष थी मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने हरियाणा की जनता के साथ गद्दारी की है। यह जो कहते हैं कि हमने फाजिल्का हालिस किया है उस बारे में कहना चाहता हूं कि हमें 400 गांव मिलने चाहियें, 112 नहीं। यह हमारे साथ गैरइन्साफी हुई है। फिर ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। शाह साहब जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस हुये इस कमिशन के प्रधान थे और उन्होंने फैसला हरियाणा के हक में किया। मैं भारत सरकार के उस झगडें की बात भी बताता हूं जो कच्छ के बारे में हुआ। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का कच्छ के मामले पर झगड़ास हुआ और उस ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुआ जिसके मैंब्र गैर मुल्की थे। उसने फैसला

हिन्दुस्तान के खिलाफ दिया और जब वह फैसला लोगों के सामने आया तो पार्लियामैंट के हरेक मैम्बर ने बगैर किसी पार्टी के भेदभाव के उसकी मुखालिफत की और भारत सरकार से कहा कि यह फैसला गलत है और इसे नहीं मानना चाहिए। यह हिन्दुस्तान के साथ धोखा है। क्या आपको मालूम है हमारी भारत सरकार ने इस मामले में क्या कहा था? इसने कहा था कि यह हमारी इज्जत का सवाल है। कितने अफसोस की बात है कि एक गैर सरकारी ट्रिब्यूनल के हिन्दुस्तान के खिलाफ फैसला दिया जिसके विरोध में हिन्दुस्तान की सब पार्टियों ने कहा कि यह फैसला गलत है और हमें नहीं मानना चाहिए लेकिन तमाम पार्टियों की इच्छा के अगेन्स्ट सरकार ने उस फैसले को माना है। इसी तरह चंडीगढ़ के मामले में एक ट्रिब्यूनल ने जिसका चेयरमैन हमारे देश का चीफ जस्टिस रहा हो उसने हरियाणा के हक में फैसला दिया जिसके विरूद्ध सरकार ने कहा कि हम इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार कहती है कि यह फैसला नेशनल इन्ट्रेस्ट में नहीं है। जब यह फैसला हरियाणा के निवासियों को सुनाया गया तो लाख जनता ने दिल्ली के बाजरों में जलूस निकाला। ये हरियाणा के खैरखाह बड़ी बड़ी स्पीचें करते थे, बड़ी डीगें मारते थे ओर पम्फलैट्स छपवाते थे लेकिन हरियणा के इन्ट्रेस्ट्स को सेव नहीं कर सके। उन दिनों हरियाणा के लोगों में बड़ा जोश था, सारे हरियाणा में आग सी लगी हुई थी, जलूस निकले, जायदाद का नुक्सान हुआ और हरियाणा की सरकार ने विद्यार्थियों को उकसाया कि तुम इस एजीटेशन में हिस्सा लो। लेकिन बाद में जब

स्टूडैंट्स ने एजीटेशन किया ता नारनौल, महेन्द्रगढ़, दादरी, रिवाड़ी और जगाधरी में पुलिस ने उनको गोली का शिकार बनाया। जब पुलिस ने उनकी हत्या कर दी और कोई चारा नहीं रहा तो उनकी लाशों को रेलगाड़ी के डिब्बों में डाल दिया और आग लगा दी और कह दिया कि ये रेल के डिब्बों को आग लगा रहे थे। इन्होंने विद्यार्थियों का खून किया और यह सरकार खूनी है। आप जाकर देखें आज भी उन सड़कों पर उन शहीदों का खून पड़ा है। अगर गवर्नर महोदय इन शहीदों के बारे में जिन्होंने हरियाणा के हित में अपने प्राणों का बलिदान किया, एक आध प्रशसा की बात कह देते तो ठीक था लेकिन आप देख इसमें एक लफ्ज भी नहीं है। क्या कसूर है उस बाप का जिसका इकलौता बेटा था, जिसने कर्ज ले-ले कर अपने बच्चे को पढ़ाया, क्या कसूर है उस बूढी मां का जिसका एक ही बेटा था, क्या कसूर है उस बहन का जिसका अकेला ही भाई था और क्या कसूर है उन बहनों का जिनकी नई नई शादी हुई थीं लेकिन आज विधवा हुई बैठी हैं? यह अत्याचार करके यह सरकार बड़े घमंड के साथ कहती है कि हमने फाजिल्का ले लिया है। मैं इावे के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार फालिल्का नहीं ले सकती। हम अपोजीशन में बैठे हुए भाई सरकार की मदद करना चाहते है। कि फाजिल्का मिले लेकिन ये इस मामले में कामयाब नहीं हो सकते। यह सरकार हिजडा सरकार है जो उधर बैठी है। उन बेगुनाज बच्चों पर मुकदमें चलाए गए, जो लोग जलूस में शामिल नहीं हुए थे उनका गिरफतार किया गया और जेल भेजा गया ओर आज भी

सैकडों मुकदमें चलाए जा रहे हैं। विद्यार्थी हमारे प्रान्त की शान हैं लेकिन जब हम इस किसम की वारदातें देखते हैं कि उन पर क्या गुजरती है, उनकी पढ़ाई के वक्त उन्हें परेशान किया जा रहा है तो हमें दुख होता है। सरकार खुद उक्साती है और फिर कहती है कि जाओ, वाईस चांसलर से माफी मांग लो, वे माफ कर देंगे। लानत है इस फैसले पर, जो सरकार ने किया है। खुद ही भड़काया और खुद ही कहते हैं कि माफी मांग लो और अगर माफभ न मांगे तो मुकदमें चलाए जा रहे हैं। यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है। विद्यार्थियो का एक डेपूटेशन चीफ मिनिस्टर साहिब के पास आया। जब डेपुटेशन कमरे में दाखिल हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास आया। जब डेपुटेशन कमरे में दाखिल हुाआ तो चीफ मिपिस्टर फरमाते हैं कि तुम गोली चाहते हो या लाठी? मैं आज भी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर सरकार जरा–सा भी दिमांग रखती है तो बच्चों पर चलाए यहुए तमाम मुकदमें वापिस ले ले और कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी मेें जो गुण्डागर्दी मची हुई है उसको खतम किया जाए।

स्पीकर साहब, गवर्नर के अभिभाषण में ला–एंड–आर्डर का जिक्र किया गया कि हरियाणा में ला–एंड–आर्डर बहुत अच्छा है। (इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य चौधरी जय सिंह राठी पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जुह दिलाना चाहात हूं। पिछले चन्द महीनों में एक कत्ल जुलाना के नजदीक, एक कत्ल बरोली गांव में दो कत्ल अमरहेड़ी

में और एक कत्ल सिंघाना गांव में हुआ है इनके इलावा काफी चोरियां भी हुई हैं। मेरे जिला में तीन चार महीनों में काफी चोरियां हुई लेकिन किसी केस की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अगर चोरियां न हो तो रिपोट्ट कहां से दर्ज होगी?

चौ. दल सिंह: सच्चाई तो यह है कि चोरियां हुई लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। गरीब लोगों का नुक्सान हुआ है, वे बेचारे बोलते नहीं हैं (व्यवधान)

श्री बंसी लाल: मेरे नोटिस में लाएं कौन कौन से ऐसे केसिल हैं।

चौ. दल सिंह: मैं आपके नोटिस में ही ला रहा हूं मुझे पता है आपके कैसे ख्यालात हैं इसलिए किसी काम के बारे में मैं आपसे स्पैशिली नहीं मिलता और न ही किसी थानेदार से मिलता हूं। इसलिए नहीं मिलता कि मेरे दिमाग में कोई गर्मी है, बल्कि इसलिए कि मैं समझता हूं कि आपके आफिसर्ज नाकारा आफिसर्ज हैं। उनको आपकी तरफ से हिदायतें हें जिनके कारण वे कुछ कर नहीं सकते। दो महीने का अर्सा हुआ मुझे एस.पी. साहब ने बुलाया और कहा कि तुम आते नहीं हो। मैंने कहा आपके पास चीफ मिनिस्टर साहब की इन्स्ट्रक्शन्ज हैं, इसीलिए नहीं आता। मैंने उन्हें कहा कि बरोली गांव है। वहां श्री पृथ्वी सिंह हैं जिनके भाई श्री मन्फूल सिंह है वे पिछले   साल से उस जमीन को जोत रहे हैं,

गिरदावरी उनके नाम है लेकिन कुछ गुण्डों ने उनकी बीजी हुई खेती उखेड़ दी। वे मेरे पास आए। मैंने कहा कि भाई मैं मुखलिफ पार्टी में हूं ओम प्रभा जैन जी आती हैं उनके पास पेश हो जाओ। वह गया लकिन उसने उनकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद उसकी टांग तोड़ दी, सिर फोड़ दिया। इसके बाद वह फिर मेरे पास आए मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास चले जाओ। वे कैनाल रैस्ट हाउस रोहतक में उनके किसी रिश्तेदार को साथ लेकर मिले, उन्होंने वह अर्जी एस.पी. जींद को भेजी लेकिन इन्होंने भी कोई नोटिस नहीं लिया। इसके बाद उसकी फसल को दोबारा ट्रैक्टर के साथ उखेड़ दिया और उसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया। मैंने कह दिया था कि उस गांव में कोई न कोई खून होने वाला है और पांच दिन के बाद ही खून हो गया। मैंने एस.पी. साहब को कहा तो उन्होंने कहा कि वह हमारे पास नहीं आया मिनिस्टरों के पास चला गया और इस केस की तहकीकात करने के लिए पुलिस नहीं गई। अगर चीफ मिनिस्टर यह कहते हैं कि मुझे इस केस का बिल्कुल पता नहीं तो इन बातों पर गौर करें और तहकीकात करें, तफतीश करें, अगर गलत हो तो हमें सजा दें। लेकिन यह बात गलत नहीं, सही है।

चेयरमैन साहब, ये कहते हैं कि हमने एजुकेशन के मामले में बहुत तरक्की की है, बहुत से स्कूल खोले हैं और इसकी इन्होंने फिगर्ज भी दी हैं। फिगर्ज देगा तो ऐक्सपर्टस का काम है, आपके पास आफिसर्ज हैं जो फिगर्ज देते हैं। मैं पूछना हूं स्कूल

अपग्रेड करने का क्या क्राइटेरिया है? हाई स्कूल कम से कम 5 मील के एरिए में होना चाहिए और एक या दो मील के एरिए में मिडल स्कूल होना चाहिए। लेकिन इनका क्राइटेरिया यह है कि जो वजीर साहब को पैसे दे देते हैं वहां मिडल स्कूल भी मंजूर कर देते है ओर हाई स्कूल भी मंजूर कर देते हैं। चेयरमैंन साहब, कई ऐसे बड़े–बड़े गांव हैं जहां की आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन उनके सात–सात मील के एरिए में कोई स्कूल नहीं है, डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन की कि फलां जगह स्कूल होना चाहिए लेकिन सरकार ने कोई गौर नहीं किया।

चेयरमैन साहब, स्कूल में पढ़ाई की जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है। अगर पढ़ाई में कोई कमी हो तो आप उनको सजा दें यह बात ठीक है लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि तमाम अध्यापकों को ट्रांसफर करते रहें और वे बेचारे सिर पर बिस्तर उठाकर मारे मारे फिरते रहें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि तालीम का म्यार जितना हरियाणा में आजकल गिरा है उतना कभी नहीं गिर था और न ही कभी गिर सकता है। हमें एहसास होना चाहिए कि एक बूढ़ा बाप है जिसका इकलौता बेटा मास्टर है। अगर वह ट्रांसफर होकर बाहर जाता है तो उनको बहुत परेशानी होती है। हमें अध्यापकों से कोई दुश्मनी नहीं जिसके कारण उन्हें परेशान करते रहें। जब अध्यापकों का डैपुटेशन गया तो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं, डैपुटेशन के प्रधान को कि इन्हें कान से पकड़कर बाहर निकाल दो, तब बात करेंगे। क्या यह

प्रजातन्त्र राज है, मैं तो कहूंगा कि यह डंडेशाही का राम है। ठीक है, हमारी प्राईम मिनिस्टर डंडा चाहती हैं ....।

श्री बनारसी दास गुप्ताः वोट लेकर आए हैं, ऐसे नहीं आए (व्यवधान)।

चौ. दल सिंहः आपका तो ट्रकों में हिस्सा है, ब्लैक–मार्केटिंग में हिस्सा है, आपकी हर बात का हमें पता है, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ताः मैंने आपकी तरह भट्ठों के लाईसैन्स नहीं लिए।

चौ. दल सिंहः मैं चैलेन्ज करता हूं। अगर यह बात साबित हो जाए तो मैं आज ही रिजाईन कर दूंगा इस सीट से।

श्री बनारसी दास गुप्ताः मैं भी चैलेंज करता हूं।

चौ. दल सिंहः यह तो रिकार्ड की चीज है। मेरे नाम अगर भट्ठा हो तो I should be hanged. (विघ्न) पब्लिक रिलेशन वालों की गवर्नर साहब ने बड़ी तारीफ की परन्तु मुझे तो तारीफ वाली कोई बात नजर नहीं आती। वे तो मिनिस्टरों का प्रचार करते फिरते हैं। पीछे जब सात तारीख को चव्हान साहब आए तो उनके गुण गाते रहे और जब आपके मिनिस्टर जाते हैं तो उनका प्रचार करते हैं।

श्री बंसीलालः चाहिए भी।

चौ. दल सिंहः आप भले ही कहें कि चाहिए लेकिन हम तो जरूर कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। पब्लिक का रूपया हो, पब्लिक एक्सचैकर पर बोझ पड़ता हो और ये प्रचार करें वजीरों का, जो कि पब्लिक के सरवैन्ट हो, और वह भी उस समय बि इलैक्शन की मीटिंग हो, तो इसमें मुझे कोई अच्छी बात दिखाई नहीं देती।

श्री बंसी लालः इलैक्शन की मीटिंग में नहीं करते।

चौ. दल सिंहः यह अगर गलत हो तो जो सजा आप चाहें मुझे दे सकते हैं। जब चव्हान साहब आए तो चार रोज तक आपकी गाड़ी फिरती रही। आपके कर्मचारी ढोलक बजाते फिरते रहे। आज मैं दावे से कहता हूं कि राज्य के अन्दर अनुशासनहीनता है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो जब दूसरी कोई गवर्नमैंट आएगी तो वह भी ऐसा ही करेगी। अगर आप ठीक रहेंगे तो दूसरी गवर्नमैंट भी ठीक रहेगी। (विघ्न) पटटेदारी तो आपकी नहीं है। यहां चीफ मिनिस्टर दो तीन आ लिए और आगे भी कई आएंगे।

श्री बनारसी दास गुप्ताः आपकी तरह तीन महीने में नहीं जाएंगे।

श्री सभापतिः आप इंट्रप्ट न करें।

चौ. दल सिंहः आप फिक्र न करें चेयरमैंन साहब, इनको बोल लेने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। (विघ्न)

श्री सभापतिः बोल तो लेने दीजिए।

चौ. दलसिंहः चेयरमैंन साहब, आज हमारी स्टेट में रिश्वत–खोरी बड़े जोरों से चल रही हैं कोई पूछने वाला नहीं है। शिकायत भी कोई सुनता नहीं। जहां जाओ वहीं कुछ न कुछ भेंट करना पड़ता है। अगर आप रजिस्ट्री कराने के लिए स्टैम्प खरीदने के लिए ट्रेज्री में जाते हैं तो वहां पैसा दो, बैक में जाते हैं तो वहां पैसा दो, तहसीलदार के पास जाएं, वह तो खाल निकाल लेता है निचोड़ कर। इसी तरह से छोटी बचत की बात आप देख लें। जबरदस्ती लोगों से पैसा लिया जाता है। जिनके पास पैसा जमा करवाने को नहीं होता उनसे जबरदस्ती सूद ले लिया जाता है। मान लो किसी को पांच हजार रूपया जमा करने के लिए कहा जाता है और वह कहता है कि मेरे पास पांच हमार रूपया नहीं है तो उससे कहा जाता है कि अच्छा पांच हमार रूपये का पचास रूपये महीने के हिसाब से छह सौ रूपया साल का सूद बनता है इसलिये तुम सूद ही दे दो हम तुम्हारे से पांच हजार रूपया जमा नहीं करवाते। इस सूद की कोई रसीद नहीं दी जाती और इसे गवर्नमैंट के खाते में भी जमा नहीं किया जाता बल्कि अपनी जेब में रखा जाता है। भला इसका क्या फायदा? यह धन्धा खतम होना चाहिए। छोटी बचत की बात में मानता हूं ठीक है लेकिन जबरदस्ती करना, डंडे के जोर से मजबूर करके और तंग करके लोगों से पैसा जमा करवाना और बाद में उसे अपनी जेब में रखना सबसे गलत बात है। जब हम उनसे पूछते हैं कि पैसा जमा

करवाने का यह कौन–सा कायदा या ढंग है तो वे कहते हैं कि हमारे पास ऊपर से आर्डर है कि इतने पैसा इकट्ठा करो।

चेयरमैन साहब, इलैक्ट्रिफिकेशन का यह ढिंढोरा पीट रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बड़े खुश हैं। हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री यहां आने में कितना खर्चा करवा गई हैं और सच्चाई क्या है यह भी इनको पता है। एक गांव में भी बिना रिश्वत लिए यदि कनैक्शन दिया गया हो तो एक हजार जूत मेरे सिर पर लगाएं। यह आपकी इलैक्ट्रिफिकेशन की हालत है। जो पोल रिजैक्ट किये पंजाब सरकार ने वे यहां लगाए गए। जो तार उन्होंने रिजैक्ट किए वे इन्होंने मोल किए। बाहर के आपके अफसर हैं, हरियाणा के अफसर इनको मिलते नहीं। पंजाब में पहले सरकारी टयूबवैलों का रेट 25 पैसे यूनिट था लेकिन अब 14 पैसे यूनिट है जबकि हरियाणा में पहले 15 पैसे यूनिट था वहां अब 37 पैसे युनिट है। करोड़ों रूपया कर्जा लेकर आप जो मर्जी करते जाइये मेरग यह कोई अच्छी बात नहीं है। आज हालत यह है कि टयूबवैल का स्विच आन होता है, खेत में पानी गया नहीं कि टयूबवैल बंद। दुबारा स्विच आन किया, फिर खेत में पानी गया फिर टयूबवैल बंद। डेढ़ सौ, दो सौ रूपया देकर लोगों के कुनैक्शन लिए होते हैं मगर आज रिपोर्ट मंगवाकर देख लो कि कितने कुनैक्शन डिसकुनैक्ट हो चुके हैं। लोगौं ने खुद अर्जियां देकर डि–कुनैक्ट करवाये हैं। अगर इसी तरह से बिजली के रेट

की मंहगाई रही और काम ठीक नहीं रहा तो आपके पास लोग खुद आ आकर कहेंगे कि बंसीलाल जी हमें बिजली नहीं चाहिए।

इसी तरह से इरीगेशन की बात का बड़ा जिक्र है परन्तु फैक्ट यह है कि दोनों चीफ मिनिस्टर साहब के इलाके में गई हैं। ठीक है, तोशाम से तो अब ये खड़े नहीं हो सकते। इन्होंने सोचा लोहारू से ही खड़े हो जायेंगे, इसलिए वहां कुछ न कुछ कर दें।

श्री बंसी लालः सारी उमर तोशाम से चुनाव लड्रूंगा। आपकी तरह भागूंगा नहीं।

चौ. दल सिंहः मैं भागा नहीं। दयाकृष्ण जी, आपके नुमांयदे यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि कांग्रेस की टिकट लेकर लड़ लो मगर मैंने इन्हें कहा था कि आधी रोटी खा लूंगा मगर कांग्रेस का टिकल नहीं लूंगा।

श्री बंसी लालः जनरल मोहन सिंह की सिफारिश जो कराते फिरते थे, वह किस लिये कराते थे?

चौ. दल सिंहः मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं करवाई और न कभी भागा। भागती हमेशा सरकार है या फिर वजीर भागते है। आपके सभी मिनिस्टरों ने पिछले इलैक्शन में ऐसी–तैसी फिरवा कर देख ली, मगर कुछ बना नहीं। बहिन ओम प्रभा जी एक शराबी को इधर और एक शराबी को उधर बैठाकर भागी फिरती रहीं मगर ये भी सफल नहीं हुई मेरी जान जा सकती है

पर मैं भाग नहीं सकता, यह मेरा दावा है। (विरोधी पक्ष से तालियाँ)

चेयरमैन साहब, मैं इरीगेशन की बात अर्ज कर रहा था। आज हरियाणा के अन्दर हमारा यह अन्दाजा है कि 60 फीसदी पानी अकेले जिला हिसार को जाता है और 40 फीसदी पानी बाकी के 6 जिलों को, इसी तरह से डिवैल्पमैंट के मामले में 50 परसैंट खर्चा जिला हिसार में होता है और 50 परसैंट दूसरे 6 जिलों में। चीफ मिनिस्टर साहब हमारे बनाए हुए हैं, ये लोगों के नुमाँयदे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी सम्बन्ध में मुझे एक मिसाल याद आई। एक तेली था रमलू। वह थानेदार बन गया। जिस किसी को वह मिले उसे ही ठोकर मारा करे, ठीक ढंग से किसी से बात ही न करे। तो आज मैं समझता हूं उस थानेदार का ही यहाँ राज है क्योंकि यहां प्रजातन्त्र की सी तो कोई बात ही नहीं है और मैं बता देता हूं कि यह राज ज्यादा देर चल नहीं सकता। (विघ्न)

ब्यास प्रोजैक्ट का भी इसमें जिक्र आया है, उस पर 220 करोड़ रूपया खर्च होने जा रहा है। मगर मुझे अफसोस है कि ये उससे पानी नहीं ले सकेंगे। एक बार इनके इंजीनियर और लेबर पंजाब के अन्दर गई थी मगर टोकरी और कस्सी खुसवा कर भागी। प्रोजैक्ट बन जाएगा मगर यह हिजड़ा सरकार उससे पानी लेने का बंदोबस्त नहीं कर सकती।

श्री बंसी लाल: इस सरकार के हिजड़ेपन के हाथ तो चौधरी साहब ने अच्छी तरह से देख रखे हैं।

चौ. दल सिंह: चेयरमैंन साहिब, 'ठाडे' आदमी ऐसा कह सकते हैं मगर हमें भी कोई डर नहीं, हम भी ठोककर जवाब देंगे। मैं दावे से कहता हूं कि ब्यास प्रोजैक्ट से हरियाणा को पानी नहीं मिल सकता। हमें इस बात से काई द्वेश नहीं कि ये जुई और लोहारू कैनाल्ज क्यों बनाई? हम तो चाहते हैं कि जिन भाइयौं को पानी नहीं मिलता उन्हें पानी मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए और लाजमी तौर पर मिलना चाहिए लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि तमाम पानी वहाँ ले जाओ यह कह कर कि इस इलाके के अन्दर कहते हैं। कितना अनाज आप पैदा करते हैं यह बात भी सामने आ जाएगी।

चेयरमैंन साहिब, ये कहते हैं कि हम डिवैल्पमैंट के बहुत काम करेंगे हर गांव को रोड से कनैक्ट करने की बात बड़े जोर से कहते हैं मगर मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप कहां से पैसा लेंगे जबकि टैक्स कोई नहीं लगाएंगे। ये कहते है कि गांव गांव में बिजली दे दी है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने अपने घरों से पैसा लगाया है। कोई वजीर कह सकता है कि मैंने अपने घर से पैसा लगाया है। ये कमाल की बातें लोगों के सामने करते हैं कि हमने यह कर दिया वह कर दिया। इस सरकार ने इतने हैवी टैक्स जनता पर लगाये हुए हैं जो आजतक किसी भी सरकार ने नहीं लगाये थे। अगर कोई

विकास के कार्य किये हैं तो पब्लिक से रेवेन्यू लेते हैं। क्या इनके पास इस बात का कोई हिसाब किताब है जो जनता से पैसा लिया जाता है? कभी कोई मिनिस्टर जा रहा है छः हजार ले आया, कोई 12 हजार ले आया मैं इनसे पूछना चाहता हूँ उसका कोई हिसाब किताब है अब इनसे पूछा जाय इनको कौन पैसा देता है। यह सरकार तो थानेदारों के जरिए पैसा लेती है। यह बात वजीर साहब के नालेज में भी होगी। जीप में थानेदारों के साथ बैठ कर तो इस सरकार के वजीर घूमते हैं। क्या इम्प्रैशन जनता पर होगा इन वजीरों का जब वे थानेदारों के साथ जीप में बैठकर घूमते हैं। गाँवों गाँवों में जाते हैं अगर वहाँ पर पब्लिक की हाजरी न हो तो लेबर को इक्ट्ठा कर लेते हैं। क्या तमाशा बना रखा है आज की इस सरकार ने? यह सरकार तरक्की नहीं कर रही है यह तो लोगों के साथ ठगी कर रही है। ठीक है कुछ तरक्की होती है इसमें कोई शक नहीं लेकन इस सरकार की जगह कोई और सरकार होती तो इससे ड्योढ़ी तरक्की होनी थी। इस सरकार ने हरियाणा में तमाशा बनाया हुआ है और लोगों को कहते है। कि हमने यह काम किया है वह काम किया जैसे उन पर कोई एहसान कर रहे हों। इस सरकार ने तालब इल्मों के साथ अत्याचार किया है। स्कूला मास्टरों को अलग से परेशान कर रही है मैं तो यह कहता हूँ कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हें इसकी जरूर सजा मिलेगी।

इन्होंने गवर्नर साहब के एड्रेस में फरमाया कि हम इतनी रोडज बनायेंगे और मार्किट कमेटियों से एक करोड़ और दस लाख रूपया लेंगे और बहिन जी अपने बजट भाषण में फरमाती हैं कि दो करोड़ रूपया लेंगे। अब मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि 90 लाख कहाँ से लायेगे। क्या वित्तमंत्री महोदया के भाषण देने से ही इजाफा हो गया।

मार्किट कमेटी की फीस 20 पैसे सौ रूपये पर होती थी और अब इस सरकार ने सौ रूपये के पीछे सौ पैसे कर दिये हैं और फिर यहां कहते हैं कि हम गांव गांव में सड़कें बनवायेंगे। वहां कहते हैं कि वजीर साहब आ रहे हैं, आपकी सड़कें बन रही हैं। क्या हक है इस सरकार को जनता से माल लेने का? क्यों गरीब जनता का खून चूसते हो। गरीबों पर यह चलने वाली बात नहीं है। हां आप कितना ही ढ़िढोरा पीटो लेकिन यह क्रेडिट तुम्हें नहीं दिया जा सकता क्योंकि सड़कें तेा आप लोगों से बनवाते हो और क्रेडिट खुद लेना चाहते हो। आप खादउ पर टैक्स बढ़ा रहे हो, सीमेंट पर टैक्स लगाते हो, क्रेशर पर टैक्स लगाते हो। कोई चीज ऐसी छोड़ी है जिस पर टैक्स न हो? मंहगाई की तरफ भी देखना चाहिए। पांच साल पहले यहां पर क्या भाव थे? राव साहब के जमाने का ही देख लो। लोहे के भाव पहले से बढ़ गये हैं। पहले पौने चार रूपये फुट लोहा होता था और आज दस रूपये फुट जबकि एक बालिश्त में एक सेर वजन होता है इस तरह से यह अब सात रूपये फायदा लेते हैं। यहां किसी का कारखाना नहीं

है न आपका है और मेरा है। सब साहुकारों के कारखाने हैं। जितने की कारखाने हैं सब बिरला और टाटा के हैं। क्या ये इसी तरह से देश के अन्दर सोशलिज्म लायेंगे, गरीबों का राज लायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री रण सिंह): पंडित जी लायेंगे?

चौ. दल सिंह: आप तो पंडित जी के पांवों को हाथ लगाते थे। मैंने इनसे कहा कि पंडित जी के पांवों को हाथ न लगाया करो परन्तु ये लगाते थे। आज ये उन दिनों को भूल गये। रामधारी गौड़ जी भी भूल गये। चेयरमैंन साहब पंडित भगवत दयाल जी ने कहा कि यह बंगला तो अब छोड़ दो, क्योंकि आपने वजारत से इस्तीफा तो दे ही दिया है और वजारत छोड़ने के बाद 15 दिन तक ही रह सकता है। तो रामधारी गौड़ साहब कहने लगे कि इसमें टमाटर लगा रखे हैं कुछ दिनों के बाद छोड़ दूंगा। यह तो इनकी हालत है। 25 रूपये से टमाटरों के पीछे पंडित जी ने अपनी जेब से एक हजार रूपया किराया का दिया। आपको वह समय याद नहीं। आज पंडित जी की बातें करते हो। पंडित जी के तो आप लोगों पर और आपके चीफ मिनिस्टर साहब पर वे एहसान हैं जो आप दस दफा पैदा होकर भी नहीं उतार सकते हो। हम पंडित जी के कोई ठेकेदार नहीं। पंडित जी के एहसान तो सारी गवर्नमैंट पर हैं। यह गवर्नमैंट तो सब बिक्री पर बैठी है कोई 25 हजार में तो कोई कितने हजार में (राव महाबीर सिंह की तरफ इशारा करते हुए)। गौड़ साहब 40 हजार में और राव साहब 52 हजार में। यह तो कोई तमाशा है और डंगरों की बिक्री है। यहां

कहते हैं कि बड़ी स्टेबल गवर्नमैंट है। क्यों न स्टेबल हो, आपके पास पैसा है, आपके पास राय हैं, क्यों न आपकी गवर्नमैंट मजबूत हो। अगर हम आपकी तरह से करते तो वह गवर्नमेंट हिल नहीं सकती थी। हमने किसी को खरीदा नहीं। हमने दूर से ही कह दिया था कि थामो अपनी कुर्सी। लेकिन यह सरकार तो लोगों को आफर देती है। (विघ्न) आज चेयरमैंन बने फिरते हैं, फिर चीज के चेयरमैंन हैं आप? (विघ्न)

श्री सभापतिः आप ध्यान से सुन लीजिए, बीच में न बोलें। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो जवाब कैसे दे सकेंगे?

चौ. दल सिंहः चेयरमैंन साहब, एग्रो इन्डस्ट्रीज करपोरेशन और इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के चेयरमैंन एम.एल.ए. बने फिरते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर और एक एस.डी.ओ. की नौकरी एक एम. एल.ए. करता हैं यह कितीन जलालत की बात है। मार्किट कमेटीज की भी मैं हालत बता हूं क्योंकि वजीर साहब भी यहीं तशरीफ रखे हुए हैं। 18–18 हजार रूपये वजीरों की जेबों में गये हैं तब कही मार्किट कमेटी बनी हैं। (विघ्न) आपके नालेज में चाहे न हो लेकिन मैं धर्म से कहता हूं कि 18–18 हजार रूपये दे–देकर मार्किट कमेटी बनी हैं।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, यह अगर साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर गलत साबित हो तो ये इस्तीफा दे। ये * * * बात करते हैं?

श्री सभापतिः आप अपना प्वायंट आफ आर्डर बतलाइये।

श्री भजन लालः मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है। इन्होंने जो यह कहा है कि मार्किट कमेटियां पैसा ले-ले कर बनायी गई हैं। ये कितनी *** करते हैं। अगर यह साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर साबित न कर सकें तो ये इस्तीफा दे दें। (शोर)

श्री सभापतिः आप तशरीफ रखिए यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। इस पर तो यही रूलिंग है। (शोर)

श्री भजन लालः यह कोई तमाशा है जैसे मर्जी आया कह दिया। जब कोई बात ही नहीं है और फिजूल में ही बात करें। इनसे ज्यादा जानता हूं मैं इनकी बातें। (शोर)

श्री सभापतिः अगर उन्होंने कोई अनपार्लियामेंटरी लफज कहा है तो वह बताइये। (शोर)

श्री भजन लालः आप चेयर पर हैं। आपको कहना चाहिए कि ऐसी कोई बात न करें जिससे ऐसा माहौल बने। (शोर)

श्री सभापतिः मैम्बर को कहने का हक है। अगर आपको कोई एतराज है तो आप बाद में अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इन्होंने यह गलत कहा है। (शोर)

श्री भजन लालः आपने उनको तो खुली छुट्टी दे रखी है चाहे वे कुछ भी कहें।

श्री सभापति: अगर आनरेबल मैम्बर आपके खिलाफ कोई बात कहते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। जवाब देने में इतनी बाधा नहीं पड़ेगी जितनी अब हो रही है। आप उनको अपनी स्पीच कम्पलीट करने दें।

श्री भजन लाल: हम गलत बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति: यही तो मैं कह रहा हूं आपको भी हक है। आप उनको जवाब दे सकते हैं कि यह गलत है। एक मैम्बर को भी हक है वह हाउस में किसी बात को बता सकता है और आनरेबल मिनिस्टर को भी उतना ही हक है कहने का कि ये गलत कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री रण सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, चेयरमैंन साहब आनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि गलत बात नही सुनेंगे, उन्होंने कहा कि उनको गलत नहीं कहना चाहिए। आपने चेयर पर बैठ कर कहा कि उनको कहने का हक है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें गलत बातें कहने का हक है? (शोर)

श्री सभापति: चौधरी रण सिंह, मैंने यह नहीं कहा कि उन्हें गलत बात कहने का हक है। मैंने यह कहा है कि उन्हें बोलने का हक हैं। (शोर)

एक आवाज: ये गलत कहते हैं। उनको ये शब्द विदड्रा करने चाहिएं।

श्री सभापतिः आपकी बात प्वायंट आउट हो गई। आपका प्रोटैस्ट नोट कर लिया गया है। अब विदड्रा कराने की कोई बात नहीं रही है। (विघ्न)

चौ. दल सिंहः चेयरमैन साहब, जितने भी ये वजीर बने हुए हैं ये सब करप्शन से बनाए हुए हैं। गुस्ताखी की माफी हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। क्योंकि ये दूसरों पर भी इलजाम लगाते हैं (विघ्न)

चेयरमैन साहब सारे वजीर बैठे हैं। ये खुद ही कहें कि मैंने गलत कहा है। लोग जानते हैं, सारी प्रजा जानती है, हरियाणा का सारा इलाका जानता है (विघ्न) मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि ये सारे भाई जो वजीर बने बैठे हैं ये सब बिके हुए बैठे हैं। यह तो आप लोगों का ही कसूर है मेरा नहीं है।

चौ. हरि सिंह सैनीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब, चौधरी दल सिंह जी ने कहा है कि सारे मैम्बर और वजीर बिके बैठे हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं। अगर मुझे साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा यह ये दे दें।

चौ. दल सिंहः मैंने किसी मैम्बर को नहीं कहा। मैंने वजीरों की बात कही है। मैं मैम्बर साहिबान से हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूं।

श्री प्रभु सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैंन साहब मेरी रिक्वैस्ट यह है कि दोनों तरफ का माहौल

काफी गर्म हो गया है। हाउस को आपने चलाना है। इसलिए इस माहौल को बन्द करवाइये ताकि हम अच्छे माहौल में बैइ सकें।

श्री सभापति: मैंने भी इसी अर्ज की है।

चौ. दल सिंह: चेयरमैंन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं किसी की गलत बात करने वाला नहीं हूं। मैंने वे बातें कह दी हैं जो इन भाईयों को पिंच करने वाली है। मैं समझता था कि ये मेरे बैरी बनेगे, इनको दुःख होगा लेकिन मैं इन बातों को न बताऊ तो इनको शक रहता कि लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग लाखों लो, मुझे क्या है। आपको यह भी पिंच होगा कि ट्रांसफरों के पांच पांच सौ रूपये मिनिस्टर लेते हैं। मेरे पास टेपरिकार्डर है। मैं आपको टाईम पर साबित करके दिखाऊंगा। I have got a tape record. Do not think like that. मुझे पता है डाक बंगलों में वजीर साहिबान ठहरते हैं और ट्रांसफर कराने के पांच पांच सौ रूपए रिश्वत के लेते हैं। (विघ्न)

श्री भजन लाल: यह गलत बात कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री सभापति: मैं आपसे कई बार रिक्वैस्ट कर चुका हूं। इनको कनटिन्यू करने दें। आप बीच में इन्टरप्ट न करें।

महंत गंगा सागर: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैंन साहब चौधरी भजन लाल जी ने कई बार दखल दिया हैं मैं दोनों तरफ से यही रिक्वैस्ट करूंगा कि अगर चौधरी दल सिंह जी ने मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई बात कही तो वे आराम से

उस बात को सुन कर जवाब दे सकते हैं। अगर कोई अन–पार्लियामेंटरी शब्द मैम्बर इस्तेमाल करते हैं तो वे कार्यवाही से निकाल दिये जाये वरना कोई ऐसी बात नहीं है तो उनकी अपनी बात कहने का हक है। मिनिस्टर महोदय अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन के जरिए चैलेन्ज कर सकते हैं कि उन्होंने गलत कहा है।

श्री सभापति: यह अब प्वायंट आफ आर्डर की बात नहीं रहीं, यह बात हो चुकी है। हम अब एक अच्छे ढंग से हाउस को चला रहे हैं। We are running the House in a better way.

चौ. दल सिंह: चेयरमैंन साहब मैं बड़ा साफ आदमी हूं (विघ्न) जब ये हमें हिजडा कह रहे थे हम उस वक्त नहीं बोले। अब खुद भी हिजड़े कहलाने के हकदार जरूर हैं वरना मैं कभी किसी भाई को कुछ नहीं कहता। मेरे कहने से जिस भाई का दुःख हुआ हो मैं मजलिस के अन्दर माफी चाहता हूं। मैंने जो भी यहां बात रखी है वह फैक्ट पर आधारित बात रखी है। These are the facts. People know you best. You cannot stand again. यहां जो भाई बैठे हुए हैं मैं देखूंगा कि उनमें से 1972 के चुनाव में कितने आ सकेंगे। यह जो एड्रैस राज्यपाल महोदय ने पेश किया यह सत्य पर आधारित नहीं, यह सत्य से दूर है फिगर देने का काम गवर्नमेंट का है इनके पास एक्सपर्टस है। मैं गवर्नर एड्रैस की ताईद तो जरूर करता बशर्ते कि इसमें यह अलफाज होते कि सरकार ने खून किया है, बच्चों का खून किया है और मासूम

शहीदों पर अफसोस जाहिर करते अगर यह शब्द होते तो मैं इसकी ताईद जरूर करता। और दूसरे बाबू दया कृष्ण जी ने भी कहा है कि रिश्वतखोर हैं बड़ी भारी रिश्वत लेते हैं मैं कहता हूं कि जब घर वाले ही कहने लगे हैं फिर यह सरकार क्यों नहीं बात मानती, इसको मानना चाहिए था कि इन्होंने कोशिश की है, पर रिश्वतबड़ी भारी है, या यह सरकार कहती कि वह लुटेरे हैं तो भी मैं इस एड्रैस की ताईद जरूर करता। गरीब बच्चों के साथ धक्का हुआ है, गरीब मास्टरों के साथ ज्यादती हुई है बेचारे दर दर के भिखारी हो गये। हमने गलती की है हम कन्सिडर करेंगे। अब ये बेड़ा गर्क करके हमारे से ताइद करवाना चाहते है। इसलिये चेयरमैंन साहब, मैं इसकी पुरजोर मुखालफ्त करता हुआ और मैंने जो गलत अलफाज किसी भाई को कहें हैं उन सभी से माफी मांगता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सत्य नारायण सिंगाल (सफीदों): चेयरमैंन साहब, यह जो प्रस्ताव आज इस हाउस में गवर्नर साहब के अभिभाषण के बारे में आया है, इस बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अव्वल तो गवर्नर साहब जब यहां आये उसके लिये हमें उनका धन्यवादी होना चाहिए लेकिन उन्होंने बिसमिल्ला ही गलत किया वे जिस ढंग से इस हाउस में आये वह एक गलत बात थी कोई अच्छा तरीका नहीं था। इस हाउस की कुछपरम्परायें हैं इस हाउस के कुछ रूलज हैं उनके अन्दर टाइम फिक्सड होता है। सिवाये शुक्रवार के हरके दिन यह हाउस 2 बजे मीट करेगा। वे सोमवार

के दिन यहां आये, यह ठीक है कि कन्स्टीच्यूशन के मुताबिक उनका यह हक है कि टाइम, डेस वे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस हाउस के रूल, रेगुलेशन और परम्पराओं का ख्याल रखते हुए गवर्नर साहब के लिये यह जरूरी था कि वे बजाये अपनी तरफ से साढ़े नौ बजे का टाईम मुकर्रर करने के इस हाउस के रूलज के मुताबिक दो बजे आते और अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते दूसरे पहले भी हमने इनको इस हाउस में इस तरह से करते दखा है, हमेशा वे आते थे तो तीनों तरफ टरेजरी बैंचों की तरफ सामने की तरफ और अपोजीशन की तरफ बो करते थे। इस बार यह चीज उनके दिन में नहीं थी या उनके दिमांग में नहीं थी, शायद वे भूल गये थे यह मैं नहीं समझता क्या बात थी उन्होंने वह भी नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आया कि इस फार्मेलटी को इन्होंने पूरा क्यों नहीं किया। दोनों चीजें ऐसी हैं जो किसी गवर्नर को शोभा नहीं देती, इसमें हाउस की तौहीन है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) गवर्नर साहब के अग्रेंजी के एड्रैस के अन्दर सफा 11 पर लिखा हुआ है।

"It is very gratifying to note that the shortage of doctors, which stood in the way of extension of medical facilities earlier, has to a large extent been removed, and now the endeavour of the Government is to open a larger number of primary Health Centres. In ordr to recue the danger of the shortage of doctors occurring again, it was decided to increase the seats in the Medical Colldge at Rohtak from 125 to 150 in 1971-72. The bed strength in the hospital attached to the College will be increased from 750 to

1000. Steps will also be taken to provide the most modern equipment and highly qualified staff"

स्पीकर साहब, जब मैं इस पैरे को पढ़ता हूं तो मेरा दिल भर आता हैं। यह हरियाणा में हासपीटलज की और मैडिकल कालेज के विकास की बात करते हैं लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि यहां से डाक्टर्ज नहीं बुच्चउद्यज निकाले जाते हैं। 32 साल का एक नौजवान जींद के अन्दर बेचारा प्रैक्टिस करता था हमारे आनरेबल मिनिस्टर श्री सरूप सिंह का वह सगा बहनोई था। उसके हाथ में दर्द हुआ तो उसे जींद के डाक्टर के पास ले गये। डाक्टर ने कहा मैं रोहतक जा रहा हूं वहाँ दिखा दूंगा। उसको इन हास्पीटल के बुच्चड़ों ने जान से मार दिया। रात के 12 बजे उनको हार्ट अटैक हुआ, पहले उसको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ था। उस हस्पताल में उसकी कोई दवा नहीं हुई, उसका भतीजा भाग दौड़ करता है वहां पर कोई डाक्टर आन डयूटी नहीं है। वह वकील एक डिस्ट्रक्ट कांग्रेस कमेटी का कनवीनर था, उसको 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हार्ट अटैक रहा परन्तु भगवान की कृपा से बच गया। फिर 4 बजें दोबारा उसे अटेक हुआ उसका भतीजा फिर दौड़ता है उस हस्पताल में, सारे हरियाणा के अन्दर इतने डाक्टर नहीं हैं जितने कि उस अकेले कालेज में है, लेकिन फिर भी उसको कोई डाक्टर नहीं मिलता। तो वह एक प्रोफेसर के पास जाता है जो उस वकील का क्लास फैलो था। उसको लेकर आया और जाकर डाक्टर का दरवाजा तोड़ा और तब कहीं बड़ी मुश्किल से डाक्टर को अन्दर से निकाला और कहा कि इनसानियत की भी

कोई हद होती है, तब डाक्टर आया और उसने मरीज को देखा तो वह कहता हैं, ही इज डैड'। यह हालत है इनके हास्पीटलज की, जिनके बारे में यह कहते हैं कि हम उनके अन्दर साढ़े सात सौ से बढ़ाकर एक हजार बिस्तरों की व्यवस्था करेंगे। मैं यह कहूंगा कि एक हजार बिस्तरों की व्यवस्था जो आप करने जा रहे हैं उसकी बजाये आप 100 ही कर दो ताकि वहाँ न कोई जाये और न वहां पर लोग मरे। हमारे जींद के अन्दर तो लोग यह कहते हैं कि जो कोई मरीज वहां चला जाता है बेच कर नहीं लौटता। बगैर पैसे वहां कोई काम नहीं होता। छोटे से लेकर बड़े डाक्टर तक कोई भी पैसा लिये बगैर बात नहीं करता और ऐसे हस्पताल के अन्दर यह सरकारी बिस्तरों की स्ट्रैंथ बढ़ाने जा रही है ताकि वह लोगों को और मारे और उनका खून करे। उस घर के अन्दर अगर आप जाकर देखें स्पीकर साहब, उसके बाप की क्या हालत है। जिस बात का 32 साल का जवान पुत्र मर जाये उस बाप की क्या हालत हो सकती हैं आप जानते हैं। गवर्नर साहब ने कह दिया कि बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यहां पर डाक्टर शब्द का इस्तेमाल करना गलत है बल्कि यहां पर तो ये बुच्चड़ज पैदा करेंगे। एक बात यह है कि इन्होंने डाक्टर का नाम इस्तेमाल करके तौहीन की है डाक्टर के नाम की। डाक्टर तो भगवान का रूप होता हे, उसका दूसरा दर्जा होता है। ये जो डाक्अर कालेज में पैदा करते हैं ये न तो काम करते है और न दवाई देते हैं। जिसको मारा गया वह इनका अपना एक डिस्ट्रिक्अ कांग्रेस कमेटी का कनवीनर था। उसके

अन्दर कोई ऐब नहीं था, डाक्टर तो कहते हें कि शराब पीने से हार्ट अटैक होता है लेकिन वह शराब कभी पीता नहीं था, यहां तक कि उसके पास एक शराब पीने वाला आया तो उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा कि हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि यह शराब से कितनी नफरत करता था। कभी उसने वैजीटेबल घी नहीं खाया था, घर में उनके दूध था, देसी घी खाता था लेकिन उसके बावजूद पता नहीं इन्होंने क्या दवाई दी उस हस्पताल से, वह बेचारा चल बसा। उसका दाह संस्कार हो चुका है वरना अब भी उसका पता लगाया जा सकता था। चौ. सरूप सिंह वहां थे इनको पता है क्या बात घटी।

श्री अध्यक्ष: आप कितना टाइम और लेंगे?

श्री सत्यनाराण सिंगोल: स्पीकर साहब, अपोजीशन वाले बाकी मैम्बर तो आये नहीं हैं। कभी–कभी तो मेरा बोलने का मौका आता है, आप मुझे बोलते रहने दीजिए।

Mr. Speaker: There are so many members who want to speak. I have got a list of 20 members here.

श्री सत्यनाराण सिंगोल: स्पीकर साहब, इनमें से तो कोई बोलेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैं तो आपसे इसलिये कह रहा था क्योंकि आपने एक ही चीज को दो बार कह दिया।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, बात यह है कि मेरे उस फैमिली के बुजुर्गों से रिलेशन्ज थे। वह 32 साल का नौजवान वकील था, इनकी अपनी ही पार्टी का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का कन्वीनर था। इतना शरीफ था जिसकी कि कोई हद नहीं और उसकी यह हालत हो किउसके इलाज के लिये कोई डाक्टर तक न आये और वह बेचारा मैडिकल कालेज, रोहतक में दम तोड़ दे। हमारा दिल भर आता है और फिर यह सरकार उसी कालेज और हस्पतालों के लिये पैसा माँग रही है जहाँ पर कि लोगों को कोई सहूलियत नहीं मिलती।

Mr. Speaker: I appreciate your feelings. But the main thing is that you kindly do not indulge in repetition. And how much more time do you want?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: 15 मिनट।

गुह मंत्री: (श्री के.एल.पोसवाल) सर, आप इनसे ही बुलवा लीजिये। यह रेपीटीशन कर करके ही थक जायेंगे और जल्दी ही बैठ जायेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहिब, सरकार की टैक्सेशन पालिसी के बारे में कहा गया है कि यह बहुत बढ़िया है लेकिन जिस ढंग से यह टैक्सेशन पालिसी बनाते हैं जिस ढंग से टैक्स वसूल करते हैं और जिस ढंग से यह टैक्स माफ करते हैं, यह एक अजीब सा तमाशा है।

कपास के ऊपर 2 प्रतिशत परचेज टैक्स लगता था। उसके बाद कपास से रूई और बिनौले बनते थे। इन्होंने, क्योंकि प्रौसैस होने के बाद कपास से रूई और बिनौले अलग चीज होते थे, तीनों चीजों पर परचेज टैक्स लगाया था। व्यापारी इस केस के अन्दर हाई कोर्ट में रिट ले गये। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि कपास, रूई और बिनौले एक ही चीज हैं इसलिए एक बार कपास पर परचेज टैक्स लेने के बाद रूई और बिनौलों आदि पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इन तीनों चीजों पर टैक्स लगना ही चाहिए और यह उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गये। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दे दिया कि यह ठीक है कि कपास एक अगल चीज है। रूई एक अलग चीज है और बिनौले एक अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद इनको चाहिए था कि होई कोर्ट से लेकर सुप्रीमउ कोर्ट तक के पीरियड का जिस पीरियड का कि टैक्स स्टे किया गया था, उसे वसूल करते लेकिन एक्साईज या फाइनान्स डिपार्टमैंट ने नोटिसफिकेशन जारी करके करोड़ों रूपये का टैक्स एकदम माफ कर दिया और आदेश दे दिया कि उस पीरियड का टैक्स वसूल न किया जाये। इसके बावजूद फिर भी यह कहते हैं कि हमारी टक्सेशन पालिसी बढ़िया है। जहाँ तक मैं समझता हूं इसके अन्दर बगैर गोल माल के कोई और बात नहीं क्योंकि बिना गोलमाल के कोई इतनी बड़ी रकम का टैक्स माफ नहीं कर सकता। इस रूपये से स्टेट के अन्दर एक दो प्रोजैक्ट बन सकते थे। इन्होंने मेरे विचार से व्यापारियों से यह टैक्स वसूल

किया हुआ है लेकिन इनकी नीयत जो है, वह जरूर बिगड़ी हुई है। यदि इनकी नीयत सदभावना की होती तो यह ऐसी बात न करते यानी टैक्स माफ करने की बजाय व्यापारियों से वसूल करते। मैं समझता हूं कि इनकी टैक्स माफ करने की कार्यवाही एक तरह से गलत है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऐसी बात क्यों हुई है। हमारी सरकार बड़ा कहती है कि हम जमींदार का भला करेंगे लेकिन हरियाणा के अन्दर डंगर तो वैसे ही नहीं रहे बैल यहाँ से बाहर चले गये है, इसलिये हमारे जमीदारों की अटैन्शन ट्रैक्टरों की तरफ डाइवर्ड हुई है। एक हुक्म जारी करके इन्होंने ट्रैक्टरों पर भी सेल्ज टैक्स लगा दिया है। एक एक ट्रैक्टर पर दो दो और तीन तीन हजार रूपया सेल्ज टैक्स देना पड़ता है। गरीब जमींदार कर्जा लेकर, चाहे वह कोआप्रेटिव बैंक से ले या किसी सोसायटी से, तो ट्रैक्टर खरीदता है और फिर उस पर यह 6 प्रतिशत सेल्ज टैक्स लगाते हैं, वह बेचारा गरीब है, कहाँ से इतना पैसा दे सकेगा। एक तरफ तो कहते हैं कि हम उनका भला करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर इस तरह का टैक्स लगाकर तबाही की ओर ले जा रहे हैं। इनको चाहिए कि टैक्सेशन एक्ट में या अपनी पालिसी में अमैन्डमेंट करें। जो भी ट्रैक्टरों की खरीद पर टैक्स लगा हुआ है, वह माफ होना चाहिए। मैं तो यहां तब चाहता हूं कि ट्रैक्टरों पर जो फैक्ट्री से निकलते समय एक्साईज डयूटी वगैरा सेंटर की तरफ से लगती है, वह भी हमारी सरकार की तरफ से फाइनान्स होनी चाहिए ताकि जमीदारों को कम से कम कीमत पर ट्रैक्टर

मिल सकें। समाल सेविंग के बारे में चौ. दल सिंह जी ने भी कहा हैं लेकिन मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि हमारे जिले के अन्दर हर गांव में एक एक पटवारी लगा हुआ है कि वह एक एक गांव से 50–50 हमारे रूपया इक्ट्ठा करेगा। मैंने उनसे पूदा यदि तुम यह पैसा इक्ट्ठा करके सरकार को दे दोगे क्या गाँव की कुछ तरक्की करेंगे? मैंने कहा यहां कोई फैक्टरी नहीं लगा देंगे या हमें कोई हैलीकौप्टर नहीं ले देंगे, हमारे यहां वही चीजें रहेगी जो अब मौजूद हैं। मैंने यह भी पूछा कि यदि गाँव नहीं देगा तो? वह कहने लगा कि मुझे तो सरकार सस्पैंड कर देगी यानी उस पटवारी की सस्पैन्शन बचाने के लिये गांव को 50 हजार रूपये देने पड़ेगे।

स्पीकर साहब, समाल सेविंग के जो किसान पैसे जमा कराते हैं उसका ब्याज दफ्तरों में बैठने वाले मुलाजम अपनी जेब में ले जाते हैं। यह कोई ठीक चीज नहीं हैं वह या तो किसान की जेब में जाना चाहिए या फिर ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इन्हें चाहिए कि किसी भी किस्म की गलत बातें जो हैं, वह नहीं होनी चाहिएं। इन्होंने यह भी कहा है कि:

The ‘Pass Book System’ regarding right holders in land which was initiated in Ambala District last year, was extended to cover other districts.

अभी तक भी वह सिस्टम कहीं कम्पलीट नहीं हुआ इसके अन्दर बहुत सारी खामियां हैं। अभी तक भी यह कापियां

बंटी नहीं हैं, अगर कहीं बनी भी हे। तो पटवारी उन्हें विद–होल्ड कर लेता है इससे किसानों को बड़ा नुक्सान हो रहा है। जब कभी रजिस्ट्री वगैरहा करवानी होती है, तब भी उनको नम्बर लेने के लिये पटवारी के पास ही जाना पड़ता है। वह उससे डेढ़ सौ, दो सौ या अढ़ाई सौ रूपये लिये बिना नम्बर नहीं देता। लोग अगर उसकी शिकायत भी करें, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती।

फिर उन्होंन यह काह है किः

Till very recently there was no shortage of slack coal and soft coke ....

स्पीकर साहब, जिस सोफ्ट और सलैक कोक का आज से 4–5 महीने पहले भाव 12–13 रूपए क्विंटल होता था, आज वह 40 रूपए क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। (इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य प्रिंसीपल ईश्वर सिंह पदासीलन हुए) देश के रेल मंत्री पार्लियामैंट में हरियाणा की नुमायन्दगी करते हैं। वह हरियाणा से चुन कर गए हुए हैं। उनके सामने यह सब कमी हरियाणा में हो रही है लेकिन उस सरकार की तरफ से उन्हें कोई रिप्रजैन्टेशन नहीं दिया गया कि हमारे यहां कुछ कोयले की ट्रेन्ज भिजवा दें ताकि आज जो हरियाणा में कोयले की ब्लैक मार्किट बढ़ रही है, वह कम हो जाये।

श्री सभापतिः वैसे तो आपका टाईम हो गया है लेकिन आप दो मिनट और ले लें। ....

श्री सत्य नारायण सिंगोल: चेयरमैंन साहब, इरीगेशन के बारे में श्री बनारसी दास गुप्ता ने भी कहा कि जुई ओर लोहारू योजनाओं से यहां केवल 3 महीने ही पानी दिया जा सकेगा। उन्होंने यह भी माना कि 9 महीने यह इलाका सूखा रहेगा ओर यहां आक पैदा होगा क्योंकि यह खुद मानते हैं कि जुई और लोहारू योजना केवल 3 महीने पानी देगी। बिजली के बारे में मैं आपको बताऊ। इस सरकार के पास 30 करोड़ रूपए के बिल पैडिंग हैं जिसकी कि इन्होंने पैमेंट करनी है। इन्होंने जितना भी मैटेरियल खरीदा है, सब डिफैक्टिव है। इन्होंने इतना मैटेरियल खरीद करके रख दिया है कि 20 साल तक तो अब खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अपना काम थोड़े मैटेरियल से चल सकात था तो फालतू मैटेरियल खरीदने की क्या जरूरत थी? यह तो सोचते है और साफ बात है कि हरियाणा, मरे या जिए हम तो अपना काम करते जायेंगे। पहले भी दास कमीशन ने रिपोर्ट करके देख ली। तो कुछ नहीं बिगड़ा। चेयरमैंन साहब, ऐसे यह आदमी हैं कि लोगों को खिताब दिया दिए लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हरियणा कि बदकिस्मती है कि यह सरकार कोइ काम ठीक से करने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार कहती है कि सारे हरियाणा के अन्दर बिजली आई है। मैं कहता हूं कि आई नहीं बिजली चहली गई है। आज हरियाणा के अन्दर किसानों को कुओं के लिए बिजली नहीं मिलती है।

चेयरमैंन साहब, एक चीज और है इन्होंने एक आयुर्वेदिक बोर्ड बनाना था और सेन्ट्रल गवर्नमैंट ने आर्डर भी निकाल दिए थे कि पहले दिसम्बर 1970 तक बोर्ड कायम हो जायेगा। उस आर्डर में लिखा हुआ है कि –

"There shall be a Board for Haryana and Punjab separately."

लेकिन उसको तीन महीने हो गए हैं लेकिन वह बोर्ड नहीं बना है। सिर्फ बोर्ड बनाने के पीछे अस्तलबोर के कालेज को नुक्सान पहुँचाना है। क्योंकि अगर इन्होंने बोर्ड बना दिया तो वहां पर जो लड़के पढ़ते हैं वे पास हो जाएंगे। बोर्ड के न बनने से हमें जो पैसा पंजाब से मिलता था वह भी नहीं मिल रहा है और इस तरह स्टेट को काफी नुकसान हो रहा है। उस कालेज में 450 लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं। जो पैसा पंजाब से मिलता उसकी रेशो 8:7 की है।

चेयरमैंन साहब मैं आपसे यह अर्ज करूं कि गवर्नर साहब के एड्रैस में बड़ी त्रुटियां हैं। इसके अन्दर गवर्नमैंट की जितनी खामियां थी उनको हेरफेर करके दिखाया जा रहा है। जब से यह सरकार आई हैं तभी से यह कर्जा, लोन, ग्रांट तथा जिस प्रकार से भी पैसा मिल सकता है, ले रही है और इस व्रकार से स्टेट को कर्जदार बना रही है। कल को अगर इलैक्शन हो जाएं और कोई दूसरी सरकार आ जाए और वह यह बात न माने तो वह ठीक नहीं रहेगा। इस सरकार के आने से बनारसी दास जैसे

लोगों का भला जरूर हो गया है। इसलिए अन्त में मेरा यही कहना है कि गवर्नर साहब के इस ऐड्रेस में बहुत खामियां हैं।

चौ. लाल सिंह (नारायणगढ़): चेयरमैन साहब, गवर्नर साहब के एड्रैस पर बहस हो रही हैं बहस कुछ लड़ाई–झगड़े का रूख पकड रही थी और हमें ऐसा महसूस होता था कि हर आदमी नुक्ताचीनी करना चाहता हैं। बहुत कम लोग हैं जो काम की बात करना चाहते हैं। इस असेम्बली में सारे प्रदेश की क्रीम चुनकर आती है और प्रदेश की भलाई करने के लिए लोग चुनकर आते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो बाहर मैदान है। यहां तो सिर्फ हमको अपने–अपने इलाके की तरक्की की बात करनी चाहिए। किसी को मिनिस्ट्री न मिले वही नुक्ताचीनी करने लगता है, जिसको कुछ न मिले वही शोर मचाने लगता है। आखिर हम भी तो जीत कर आए हैं। कहीं नहीं गए अब तक और सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूँ। इसलिए सन्तोष रखना चाहिए। यहां तक जो भी बात की जाय वह इस देश की तरक्की और सूबे की तरक्की की हो। मैं अपने गवर्नर साहब का स्वागत करता हूं जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारी स्टेट को चला रखा है। ऐसा गवर्नर मिलना बहुत मुश्किल है। वह बहुत पुराने आई.सी.एस. अफसर हैं और हरियाणा के हित में काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि साढ़े नौ बजे सर्दी के मौसम में भाषण दिया यह ठीक नहीं हैं दो बजे करना चाहिए था। अगर दो बजे भाषण करते तो कुछ और बात कहकर उसकी मुखालफत की जाती।

अब मैं गवर्नर साहब का स्वागत करते हुए अपनी सरकार को मुबारिकबाद देता हूँ जिसने हरियाणा को अच्छे तरीके से चलाया हुआ है। जो लोग सरकार के काम में नुक्स निकाल रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वे हरियाणा के हित की बात नहीं करते। मैं आपकी मारफत अपनी इस बहुत ज्यादा काम करने वाली सरकार से कुछ और भी कहना चाहता हूं क्योंकि जो बैल ज्यादा चलता है उसी पर ज्यादा बोझ डाला जाता हैं इसलिए मैं सरकार का ध्यान नारायणगढ़ जैसे इलाकों की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार टयूबवैलों का काम बड़ी तेजी से कर रही है हमारे इलाके में दो सौ टयूबवैल लगाने की बात की थी जिसमें से 170 तो आ गए हैं। मेरा कहना यह है कि टयूबवैल लगाने के लिए जो कारपोरेशन बनी है उसके कर्मचारी कहते हैं कि हम सिर्फ कारपोरेशन की बात सुनेगे और किसी की नहीं सुनेंगे। कोई भी बात अगर हम मिनिस्टर से लिखवा कर ले जाते हैं तो वे सुनते नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि इस निगम पर हमारी सरकार का शासन होना चाहिए। हरियाणा के अफसर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं उनके अन्डर यह कारपोरेशन होनी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जमींदार को ट्यूबवैल का पानी और खाद कम से कम दाम पर मिलती चाहिए। जमीदार की जिन्दगी पानी और खाद पर होती हैं अगर अनाज पैदा न हो तो कोई भी आदमी चाहे वह अफसर हो या कोई मिनिस्टर हो, जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसे ये चीजें

सस्ती मिलेंगी और समय पर मिलेंगी तो वह अधिक पैदा कर सकेगा। और हमारे प्रदेश की तरक्की होगी। इस समय जमींदार को खाद बहुत महंगा मिल रहा है। सरकारा को चाहिए कि वह जमींदार को सस्ते रेट पर खाद दे और प्राईवेट फैक्टरी से जो खाद मिल रहा है उसमें नमक मिला हुआ है। अगर खाद के अनदर नकम मिला होगा तो वह फसल को गला देगा। इसलिए इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां तक ट्यूबवैल के पानी का सवाल है चाहे किसी चीज पर टैक्स लगे लेकिन उस पानी पर टैक्स नहीं लगना चाहिए और वह पानी ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए।

आज हमारे जमींदार और मुजारे के बीच बड़े झगड़े पैदा हो रहे हैं। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जितनी जमीन जमींदार को देनी हो वह उसे दे दी जाए और जितनी मुहारे को देनी हो वह उसे दें। एक जमींदार के पास बीस एकड़ जमीन है लेकिन वह फिर भी बेकार बैठा हुआ है क्योंकि वह मुजारे के पास है। मेरी सरकार से दरखास्त है कि इस तरफ ध्यान दें जिससे गांवों के झगड़े कम हो। चौधरी नेकी राम मेरे इलाके में गए थे और उन्होंने बहुत सुधार किया है।

एक और बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है पटवारी जमींदार से पैसा लेकर फर्द बनाता है। मेरा यह कहना है कि वह पैसा पटवारी न ले बल्कि उसे बैंक में जमा करा दे। पटवारी का कोढ हक नहीं होना चाहिए कि वह

जमींदार से पैसा लेकर फर्द दे। होना यह चाहिए कि पटवारी जमींदार को फर्द दे और जमींदार वह पैसा बैंक या खजाने में जमा करा दे। यह भी देखा गया है कि पटवारी शहर में रहता है और जमींदार फर्द लेने के लिए उसके पीछे मारा–मारा फिरता है। जमींदार को उसके पीछे दो–दो हफ्ते घूमना पड़ता हैं पटवारी का हेडक्वार्टर गांव में होना चाहिए। अगर कोई पटवारी गैरहाजिर मिलता है तो उस पर पूरा एक्शन होना चाहिए। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और जमींदार की तकलीफ को दूर करना चाहिए। सरकार को ऐसे आर्डर जारी करने चाहिएं जिससे पटवारी देहातों में डियूटी दें और अगर वह वहां से गैर हाजिर पाए जाएं तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके इलावा जो फर्द वगैरा लेने के लिए लोग उनको सरकारी फीस देते हैं वह पटवारियों को लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए बल्कि वह खजने में जमा होने चाहिएं। अगर पटवारी यह कहते हैं कि हमारे पास रहने के लिए देहातों में जगह नहीं होती तो सरकार वहां पर उनके लिए कमरे बनाकर दे सकती है। मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार पटवारियों के लिए देहातों में रिहायश का प्रबन्ध करे और उनके वहां पर पटवारखाने बनवाए ताकि जमीदारों को जब जरूरत पड़े तो उनको मिलने के लिए तकलीफ न हो। आज कल पटवारी को ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है जैसे भगवान को ढूंढना हो। इसके बाद मैं दूसरे प्वायंट पर आता हूं। हमारे यहां किसानों ने बड़ी मेहनत करके गन्ने की फसल पैदा की हुई है लेकिन बिजली का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि लोगों के कई कई दिनों

के गन्ने खड़े पड़े हुए सूख रहे हैं मगर क्रेशर चलाने के लिए बिजली नहीं मिलती, गन्नों का आधा आधा रस सूख गया है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह तो सरकार वहां पर से गन्ना खरीद कर किसी मिल का भेजे और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो लोगों को बिजली की सप्लाई पूरी दी जाए। सरकार को इस तरफ तवज्जों देनी चाहिए। सर छोटू राम ने पहले जमीदारों को ऊपर उठाया था। आज हमारी खुशकिस्मती है कि उसी तरह हमारे माल मंत्री चौ. नेकीराम जी भी जमीदारों के साथ हमदर्दी रखते हैं और उनकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका वाले हर साल लाखों टन अनाज समुद्र में ढाल देते हैं और फिर दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसका कारण क्या है, वह यह है कि वहां पर जमींदारों को पूरी सहूलतें मिलती हैं। हमारी सरकार को भी जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें देनी चाहिएं। हमारे जमींदार सारा दिन खेत में काम करते हैं लेकिन जब वह अपना अनाज मंडी में ले जाता है तो उस वक्त उसको बहुत कम कीमत मिलती है और बाद में मुनाफा आढ़ती लोग खाते हैं। आप मक्की को ही देख लीजिए, जिस वक्त किसानों के बेची थी उस वक्त क्या भाव था और अब क्या भाव है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि किसानों की अपनी आढ़त की दुकानें होनी चाहियें चाहे कोआपरेटिव बेसिज पर हों ताकि उनको अपनी प्रोडयूस का पूरा फायदा पहुंचे। सरकार को चाहिए कि जमीदारों को सबसे आगे रखे क्योंकि वह देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर किसान अनाज पैदा न करे तो सारा देश भूखा मर

जाएगा। आज मैंने सुबह खाना नहीं खाया और मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसलिए किसानों को सब तरह की सहूलतें दी जानी चाहिए। जो ट्रैक्टर हैं, उसके बारे में देखा गया है कि जिनको जरूरत होती है उनको नहीं दिए जाते और ऐसे आदमियों को दिए जाते हैं जो कि ब्लैक में बेच कर किसानों से नाजायज पैसा कमाते हैं। हमारी सरकार को ऐसी ब्लैक को रोकना चाहिए और ट्रैक्अर उन लोगों को देने चाहिएं जिनको उनकी अपनी खेती करने के लिए जरूरत हो। अब इसके बाद मैं हस्पतालों की तरफ आता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सरकार हस्पताल खोल रही है और काफी काम हो रहा है। लेकिन इतवार के दिन अगर कोई आदमी सख्त बीमार हो जाए तो हस्पताल में ताला लगा हुआ दिखाई देता है। ऐसे हालात में मरीज बेचारा कैसे बच सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इतवार को भी हस्पताल खुले रहने चाहिएं ओर वहां पर किसी न किसी डाक्टर की डियूटी लगनी चाहिए। इसके इलावा जो गरीब मरीज हो या जिनका कोई वालीवारिस न हो उनके लिए दवाई के इलावा हस्पताल में खाने का ओर दूध वगैरह का भी प्रबन्ध होना चाहिए। बाकी आजकल हमने दखेा है कि मिलावट इस हद तक बढ़ चुकी है कि और चीजों का तो क्या कहना अगर किसी ने जहिर भी खरीदना हो तो वह भी खालिस नहीं मिलता। आजकल कोई खाने पीने की चीज ऐसी नहीं है जो बगैर मिलावट के मिल सकती हो। अगर किसी ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेना हो तो उस में मिलावट और अगर किसी ने मरीज के लिए दवाई लेनी हो तो उसके ऊपर

लेबल कुछ होता है और अन्दर कुछ ओर भरा हुआ होता है। अब आप बताए कि बच्चे को क्या ताकत मिलेगी और मरीज कैसे ठीक होगा। इसलिए मैं अपनी सरमार को जोरदार अलफाज में यह कहूंगा कि जो लोग मिलावट करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और कोई ऐसा रास्त निकाला जाए जिससे खाने पनी की चीजें बगैर मिलावअ के मिलें। बहुत सी बिमारियां तो लोगों को इसलिए हैं कि उनको खाने की चीजें खालिस नहीं मिलती, अगर खाने की चीजें बगैर मिलावट के बननी शुरू हो जाएं तो लोगों को हस्पतालों में जाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। दूसरे देशों में अगर आप देखें तो तो वहां पर खाने की चीज बिल्कुल खालिस मिलेगी, इसलिए वहाँ पर लोगों की सेहतें हमसे बहुत अच्छी हैं ओर वह हर मामले में हम से आगे हैं। यहाँ पर हालत यह है कि जो दूध चैक करने वाले हैं वह कोठियाँ बना रहे हैं, इसी तरह जो दवाईयां चैक करने वाले हैं उनकी मन्यलीज लगी हुई हैं। हमारे देश में जो बबा फैल चुकी है इसको जैसे भी हो सके रोका जाए। जो कम्पनियाँ जाली दवाईयाँ बनाकर भेजती हैं वह बंद करवा दी जानी चाहिएं। डाक्टर जब दवाई लिख कर देता है और बाजार से वह दवाई सही न मिले तो फिर मरीज का तो खुदा ही हाफिज है। तो मरेा कहने का भाव है कि इन चीजों को सरकार को सख्ती के साथ हटाना चाहिए। मैंने अपनी गांव में देखा एक सरकारी मुलाजिम टट्टी पर कुछ लिख कर जाने लगा। मैंने उससे पूदा कि यह आप क्या लिखकर जा रहे हैं तो उसने जवाब दिया कि मैं अपनी हाजरी की तारीख डालकर जा

रहा हूं। मैंने उसको पूछा कि आप किस महकमें के हैं तो वह कहने लगा कि हम मलेरिया को रोकते हैं लेकिन न उसके पास कोई दवाई थी न कोई सप्रे करने का सामान था। इस तरह के महकमें का क्या फायदा है, सिर्फ तारीखें डालने से ही मलेरिया कैसे रोका जा सकता है फिर हमने दखा है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, वह बगैर कोई सरटिफिकेट हासिल करने के ही चार शीशियों रख कर दवाइयों की दुकान खोल लेता है, एक आदमी है उसके सारे लड़के लड़कियाँ दवाईयाँ बेच रहे हैं और पढ़े हुए वह चौथी जमात तक भी नहीं है। तो इस चीज को भी सरकार को चैक करना चाहिए। हमारे देहातों के लोग बहुत गरीब हैं इसलिए वह डाक्टरों को फीस नहीं दे सकते। सरकार को चाहिए कि सरकारी डाक्टरों को हिदायत करे कि देहाती लोगों से वे फीस न लिया करें चाहे उनकी तनख्वाह बेशक ज्यादा कर दे या कोई और सहूलतें दे दे। शहरों में तो लोग फीसें दे सकते हैं क्योंकि उनके पास काफी पैसा होता है। मैं डाक्टरों क खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं खिलाफ इस चीज के हूं कि जो गरीब आदमी हैं उनको दवाई क्यों ठीक ढंग से नहीं मिलती। एक आदमी जो महीने के साठ रूपयें लेता है उसका तो आटा भी पूरा नहीं हो सकता, वह बेचारा डाक्टर को फीस कहाँ से दे सकता है। इसी तरह से जो जिला स्तर पर सरकारी मुलाजम हैं उनके लिए रिहायशी जगहों का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना उनको किराया मकान का देना पड़ता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि उनके लिये क्वार्टर बना कर दिये जायें और उनकी तनख्वाह में से

किराया काट लिया जाये। (घंटी) अभी तो जनाब मैंने अपनी बातें शुरू ही की हैं और आपको देखकर मैंने टाइम लिया था कि आप गरीब आदमी की बात सुनेंगे। मे। गरीब आदमी हूं ओर गरीब आदमी ही की बात करता हूं। मैं समझता था कि स्पीकर साहब तो मुझे दस मिनट फालतू देते हैं और आप बीस देंगे (हंसी)। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत गरीब आदमी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिये घर नहीं है और उनको घर बनाने के लिये कर्ज भी नहीं मिलता। यह जो हरिजनों को मकान के लिये कर्ज दिया जाता है उसके बारे में मैं वजीर साहब से जो हरिजनों के लिये बहुत हमदर्दी रखते हैं दरखास्त करूंगा कि वह दसकी तरफ ध्यान दें ओर देखें कि क्या जिनको पैसे की जरूरत है उसको मिलता भी है या नहीं। जिस हरिजन को पैसा दिया जाना है ठीक उसी को पैसा मिले तब बात बनेगी। ऐसा न हो कि कमेग्भ बन जाये और वह अपने रिश्तेदारों को दे दें और किसी वजीर या एम.एल.ए. के कहने पर किसी को दे दें। मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक उसी आदमी को पैसा मिले जिसे सरकार देना चाहती है और जो जरूरतमंद हैं। यह पैसा जल्दी मिलना चाहिये। सरकार तो ऊपर से जल्दी पैसा दे देती है और तेली से काम करती है लेकिन नीचे जाकर रफ्तार कम हो जाती है ओर आहिस्सा–आहिस्ता पैसा बांटता है। इस तरह ध्यान दिया जाये। फिर जो हरिजनों की बस्तियां हैं वहां पर सड़कें, पानी, बिजली ओर दूसरे सारे साधन मिलने चाहियें जैसे कि दूसरों को मिले हुये हैं। कहने को कहा जाता है कि हरेक हरिजन को पांच एकड़

जमीन मिलेगी लेकिन हालत उनकी यह है कि उनके पास रहने के लिये झुग्गी तक नहीं है। हरिजनों को रहने के लिये, मकान बनाने के लिये पूरा खर्च मिलना चाहिये और सुविधा मिलनी चाहिये। हरिजन कौन है? मैं हर गरीब आदमी को हरिजन समझता हूं। गरीब का मतलब ही हरिजन है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमर गरीब आदमी की तरफ ध्यान दिया जाये ताकि जरूरत के मुताबिक हर चीज मिल सके। सरकार ने लोगों से वायदा भी किया हुआ है कि देश में से गरीबी को दूर भगा देना है। लेकिन अगर सरकार ऊपर से तो चीज भेज दे और नीचे नहीं देखेगी कि वह चीज कहां पहुँची है और सही आदमी को जिसे जरूरत है पहुंची है यह नहीं तो यह गरीबी पांच साल की बजाये दस साल में भी दूर नहीं होगी। बहन ओम प्रभा जी बड़ी काबिल वित्तमंत्री हैं और उनका हमेशा ख्याल रहता है कि जो बजट का पैसा है वह गरीब लोगों के लिये हो और जरूरतमदों के लिये खर्च हो लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वह चैक अप भी करें कि वाकई वह पैसा जहां जाना चाहिये वहां पहुंच गया है और रास्ते में लीक आउट तो नहीं हो गया है। अगर इस तरफ ध्यान दिया जायेगा तब ही पूरा फायदा होगा। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि सैंटर की सरकार ने जगाधरी से लुधियाना रेलवे लाइन मन्जूर की हैं इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि लाइन जगाधरी से वाया नारायणगढ़ सढौरा रायपुररानी चंडीगढ़ होते हुये लुधियाना जानी चाहिये तभी इस लाइन का कोई फायदा हो सकता है वरना जगाधरी से लुधियाना लाइन तो पहले ही बनी हुई है। मैं इस हाउस से

दरखास्त करूंगा कि अगर इसके लिये कोई रैजुलेशन भी पास करने की जरूरत हो तो पास करना चाहिये और यह रेलवे लाईन इन शहरों के रास्ते लुधियाना जानी चाहियें तब ही इसका फायदा होगा। फिर मेरी नारायणगढ़ तहसील में कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे और उसके मां बाप हिम्मत करके पढ़ाना चाहें तो पढ़ा नहीं सकते हैं। लोग गरीब हैं इसलिये वह शहरों में पढ़ने के लिये भेज नहीं सकते हैं। यह बात मे। मानता हूं कि सरकार नारायणगढ़ की तरफ काफी ध्यान दे रही है और काफी खर्च कर रही है। वैसे सारी सटेट में ही खर्च कर रही है लेकिन मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि चाहे कहीं से भी पैसा निकालें नारायणगढ़ में या शहजादपुर में एक गवर्नमैंट कालिज जरूर खोला जायें। वह पिछड़ा हुआ इलाका है और वजीर साहबान भी जब वहां जाते हैं तो इस बात का मानते हैं कि वहां इस चीज की जरूरत है। हमारे देश में इस वक्त अनाज की बहुत जरूरत है और जमीन को ज्यादा जेरकाश्त लाने की बहुत जरूरत है। हरियाणा सरकार ने जो इस बारे में प्रोग्राम बनाया है वह किसी ने नहीं बनाया। मैं तो कहता हूं कि ऐसी सरकार न पहले आई और न आयेगी। जरायत के मामला में हमारी सरकार चाहती है कि हरियाणा पहले नम्बर की स्टेट बने लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी जमीन जिसमें अन्न पैदा हो सकता है जंगलात वालों ने बेमतलब दबा रखी है। अगर जंगलात के वजीर साहब मेरे साथ चलें तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि सैंकडों एकड़ जमीन पर फजूल का कब्जा जंगलात वालों ने कर रखा है। वह जमीन

किसानों को दे दी जाये ताकि वह उसे काश्त करके उसमें अनाज पैदा कर सकें। एक बात मैं वित्तमंत्री जी, और कहना चाहता हूं कि बेशुमार शराबकी दुकानें खुल रही हैं और जैसे चायें की दुकानें हैं उस तरह से शराब की दुकानें हो रही हैं। आज हालत यह है कि कोई शरीफ आदमी उन दुकानों के सामने से सात बजे शाम के बाद ठीक तरह से गुजर नहीं सकता है। मैं कहना चाहात हूं कि यह दुकानें किसी खास एक जगह खोली जानी चाहियें और हर जगह नहीं खुलनी चाहियें। एक बात आपने यह कर दी है कि बोतल सस्ती कर दी है। इससे जो पहले नहीं भी पीते थे वह भी पीने लग गये हैं। तो आप यह बोतल महिंगी करो। एक मंगलवार मुकर्रर कर रखा है जिस दिन शराब नहीं बिकेगी लेकिन वह लोग सोमबार को ही शराब की बोतलें बोरियों में भर करके रख लेते हैं और बाहर बैठकर बेचते हैं। फिर यह जो शराब बिकती हे इससे लोग बेमौत मर रहे है। कैपसूल से शराब बनाई जाती है और लोगों के उसे पीकर हार्ट फेल होते हैं और हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि यह जो आदमी की सोचने की शक्ति है इसके कीड़े होते हैं जो आदमी के दिमांग में एक पोटली में होते हैं आप जानते हैं कि अगर किसी डंगर को कीड़े पड़ जायें तो थोड़ी स्प्रिट डाल दें तो वह मर जाते हैं। तो शराब पीने से लोगों के दिमांग में जो सोचने के कीड़ों की पोटली है वह कीड़े मर जाते हैं और यही वजह है कि आज लोगों के दिमांग लैटर बक्स बन गये हैं (हसी) और सोचने की सारी शक्ति खतम

हो गई है। इसलिये यह जरूरी है कि चाहे आमदनी के और साधन देखने पड़े यह शराब की लानत खतम करनी चाहिये।

सरकार ने एक मिल्क पलांट जींद में लगया है। बड़ी अच्छी बात की है और यह तरक्की का काम है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मिल्क प्लाट वहां लगाए जाने चाहिए जहां मिल्क ज्यादा होता है। नारायणगढ़ में मिल्क पलांट खुलना चाहिए वहां लोग दो दो सेर दूध बेचकर रोटी का गुजारा चलाते हैं। वहां पर अगर यह पलांट लगा दिया जाए तो वहां के लोगों को काम मिल सकता है। इसलिए वहां पर मिल्क पलांट लगाया जाए।

चेयरमैंन साहब जो गरीब आदमी हैं वह पहले लैंड मार्टगेज बैंक से पैसा ले लेते थे जमीन खरीदने के लिए लेकिन अब यह कर दिया गया है कि जो ट्रैक्अर लेगा और टयूबवैल लगाएगा उसे ही वहाँ से कर्ज मिलेगा। यह बात ठीक नहीं। मैं कहता हूं कि जिसके पास जमीन होगी वही ट्रैक्टर खरीदेगा और टयूबवैल लगाएगा और जिसके पास जमीन ही नहीं वह कैसे लगाएगा। इसलिए पहले जमीन खरीदने के लिए साधन दिए जाने चाहियें और इसके लिए बैंक से कर्ज मिलना चाहिए और वह जमीन बैंक के पास रहन रहेगी। मेरा ख्याल है कि सरकार को जो बात बताई जाती है उस पर सरकार की तरफ से पूरी तरह से अमल होता है। चौत्र बंसी लाल जी की मैं क्या तारीफ करूं। जब ये खेती किया करते थे तो इनके पिता कहने लगे कि हमारे खेतों में 'मूल' बहुत हैं। इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। चौ. बंसी लाल

जी ने क्या किया कि सारे के सारे 'मूल' उखेड़ दिए। इसके बाद हरियाणा की जनता कहने लगी कि हमारे हरियाणा में सियास्त के मूल हैं। इन्होंने सियास्त के मूल भी साफ कर दिए। मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने अपने बाप के खेत में मूल नहीं छोड़े, हरियाणा की सियास्त में मूल नहीं छोड़े तो हमारे इलाके में 'गरीबी के मूल' क्यों रखे हुए हैं? मैं चौधरी साहब से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे काम करते हैं और जो काम करने वाला आदमी है उसके पास हर आदमी अपनी बात कहेगा। इसलिए मैं चौधरी साहब से दरखास्त करूंगा कि उन्होंने खेत के मूल साफ किए, सियास्त के मूल साफ किए और अब हरियाणा में यानी हमारे इलाके में सैकड़ों सालों से गड़े हुए गरीबी के मूलों को भी साफ कर दें।

चेयरमैन साहब, मैं आपकी मारफत अर्ज कर रहा हूं कि जो डाक्टर अच्छा काम करता है उसी के पास मरीज जाता है। इसी तरह से हम लोग चौधरी बंसी लाल जी के पास इसलिए नहीं भागते रहे कि हमने उनसे वजारत लेनी है, इसलिए भागते हैं कि उन्होंने हरियाणा की तरक्की के वास्ते बहुत काम किया। यह इनकी बड़ी मेहरबानी है। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक, अगर इसी तरह से काम करते रहे तो अगले सैशन तक परले बैंच खाली मिलेंगे (हंसी)।

चौ. जय सिंह राठी: वे तो अब भी खाली पड़े हैं।

चौ. लाल सिंह: मैं कह रहा था कि मेरे इलाके नारायणगढ़ में पोसवाल साहब और डिवैल्पमैंट मिनिस्टर चौधरी स्वरूप सिंह गए। इन्होंने सारे इलाका को देखा और ऐलान किया कि वाकई इस इलाका के लोगों को बहुत तकलीफ हैं। पशुओं के पानी पीने के कुछ तालाब थी जिनकी बड़ी खस्ता हालत थी, इन्होंने कहा कि इनकी मुरम्मत हो जाएगी। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी हुक्म जारी करें और इम्पलीमेंट करें ताकि हमारे पशुओं को पीने का पानी मिल सके।

अब मैं एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। लड़कों के लिए तो स्कूल काफी हैं लेकिन लड़कियों के लिए बहुत कम हैं। इसके अलावा जो गरीब लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए कुछ फीसदी वजीफे या और दूसरी सहूलियतें दी जानी चाहिए।

अब मैं आपकी मारफत अपने बहुत बड़े बुजुर्ग खान साहब से दरखास्त करूंगा क्योंकि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उनके पास है और ये बहुत तजर्बेकार पुराने कांग्रेसी हैं। चूंकि खान साहब अम्बाला जिला के वजीर हैं, यह उनकी जन्म-भूमि है, अगर ये नारायणगढ़ में कारखाने खोल दें तो मैं हमेशा के लिए उनका गुलाम रहूँगा। आज उस इलाके की हालत खराब है। अगर इस गरीब इलाके में एक आध मिल लगा दें, इंडस्ट्री लगा दें तो लोगों को रोजगार मिलेगा और तरक्की करेंगे। सरकार छोटे कारखाने जिला मोहिन्द्रगढ़ में चलाना चाहती है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि वह मोहिन्द्रगढ़ की बजाये नारायणगढ़ से शुरू करें

क्योंकि हवा और नदियां भी उपर से ही आती हैं। इसी तरह यह काम भी ऊपर से यानी नारायणगढ़ की तरफ से शुरू करना चाहिए ताकि अम्बाला जिले की गरीबी दूर हो सके। चौ. बंसी लाल जी ने हरियाणा में नाम पैदा कर दिया है, जितना काम इस शख्स के राज में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। अगर ये इसी तरह काम करते रहे तो हरियाणा की गरीब जनता इनके लिए हमेशा चिराग जलाती रहेगी। गरीबी कभी एक दो आदमियों के पेट भरने से दूर नहीं होगी, यह तब दूर होती है अगर हर गरीब को फायदा पहुंचे। इन्होंने हर गरीब को फायदा पहुंचाया है। ये कभी फालतू बात नहीं सुनते और जो बात मतलब की न हो तो कह देते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मैरे पास टाईम नहीं।

चेयरमैन साहब, एक बात गेहूं के बारे में कहना चाहता हूं जो गेहूं के गोदाम हैं, उनको साफ सुथरा रखा जाए और समय समय पर चैक किया करें। अगर गेहूं खराब हो रहा है तो ठीक करें, कहीं ऐससा न हो कि सारे का सारा खराब हो जाए। पीने के पानी के बारे में मेरी अर्ज है कि यह पानी हर आदमी को मिलना चाहिए और हर गांव में इंतजाम किया जाए। मैं बसों की तरफ सरकार की तवज्जों दिलाना चाहता हूँ। जो बसें चला रखी हैं वे मेरे गावों में बिल्कुल नहीं जाती। लोकल बसों का फायदा गांवों को भी पहुंचना चाहिए। सरकार ने यह बहुत बड़ा काम किया है कि बसों का राष्ट्रीयकरण किया है लेकिन इस राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा क्योंकि ये बसें शहरों

में ही घूमती हैं गांवों में नहीं जातीं। गांवों का भी हक है सबको फायदा पहुंचाना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि जनता तो हिन्दुस्तान के गांवों में बसती है लेकिन गांवों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। जो सहूलियत मिलती है वह शहर के भाई को मिलती है। स्कीमें शहरों में चलाई जाती हैं, दूसरे किसम के आराम के साधन शहरों में हैं लेकिन गांवों के गरीब हरिजन और जमीदारों को कोई सहूलियत नहीं मिलती जबकि उनका हक है और मिलनी चाहिए। हरियाणा की सरकार बहुत पापुलर है इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि जो सहलतें शहरों में हैं वही गाँवों में होनी चाहिएं ताकि आने वाले अढ़ाई सालों में कोई यह न कह सके कि हरियाणा का गांव कौन सा है और शहर कौन सा है। जो गांव हैं वे शहरों की तरह नजर आएं। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, अगर मेम्बर साहिबान इन्ट्रप्शन करके मेरा टाईम जाया कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा टाईम जाया करके ये गरीबों के ऊपर छुरा चला रहे हैं। मैं गरीबों का प्रतिनिधि हूं मैंने फटे हुए कपड़े डाल रखे हैं (घंटी)। चेयरमैंन साहब, आपने घंटी बजा दी, आप इनको रोकें जो शोर मचा रहे हैं।

चेयरमैन साहब, फैमिली प्लेनिंग बहुत ठीक ढंग से हो रही है और लोग अपने ऊपर अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। मैं एक दर्खास्त करूंगा कि हम साधू हैं, साधू सन्तों के साथ रहे हैं। मैं सिगरेट, चाय शराब और मांस नहीं खाता। कोई ऐब मेरे में नहीं है। फैमिली प्लेनिंग का काम सरकार अच्छा कर रही है लेकिन

इसमें मैं एक सुझााव दूंगा। फैमिली प्लेनिंग के ऊपर सरकार बहुत खर्च कर रही है इसमें थोडी सी तब्दीली ला दें तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। वह सुझाव यह है कि हमारा गृहस्थ का टाईम–टेबल बनाया जाए जैसे कि हम खाने–पीने का प्रोग्राम बनाते हैं इसी तरह गृहस्त का प्रोग्राम होना चाहिए और लोगों को सिखा दें। अगर किसी आदमी का टाईम टेबल बना हो और उस पर अमल करे तो जीवन की गाड़ी बिल्कुल सही चलती है। रेल का टाईम टेबल होता है वह सही चलती है। हर चीज का टाईमटेबल होना चाहिए। अगर हमारे खाने का टाईम टेबल, रहने का टाईम टेबल और सारी चीजों का टाईम टेबल हो तो गृहस्थ ही स्वर्ग बन सकता है। मनु स्मृति को पढ़ लो। स्वामी दयानन्द द्वारा लिखी 'जीवन का आनन्द' नामक पुस्तक पढ़ लो, इनसे यही शिक्षा मिलेगी कि आदमी की सेहत बिल्कुल ठीक रह सकती है, आदमी की फैमिली अपने आप कम होगी यदि उसके खाने पानी और, रहने सहने का टाईम टेबल ठीक हो। खा जाओ डट कर और बाद में उसे चूर्ण से हजम करने की कोशिश करें यह बात नहीं होनी चाहिए। पुराने जमाने में जो महापुरूष होते थे उनका हर बात पर टाईम टेबल होता था। वे टाईम से खाते थे, टाईम से उठते थे, टाईम से संध्या करते थे, टाईम से सोते थे और टाईम से सब चीजे करते थे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए एक प्रचार मंडली बनाइ जाए जो इन बातों का प्रचार करे।

अब मैं एक बात कहूंगा जिसके ऊपर मैंने 19 आदमियों के दस्तखत करवा रखे हैं। इस बात को मैंने पार्टी मीटिंग में भी रखा था। मेरा एक सुझाव है कि हमारे जो धार्मिक स्थान हैं उनके पैसे क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं इसलिए एक कानून पास कर दिया जाए कि वह पैसा सिर्फ धार्मिक स्थान की मुरम्मत के लिए, या हस्पताल में इवाईयाँ आदि खरीदने के लिए या फिर स्कूल आदि में खर्च होना चाहिए। अगर धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जैसे गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी पैसे को जाया नहीं होने देती उसी तरह से हमारे धार्मिक स्थानों के पैसे का सही इस्तेमान करने के लिए भी कोई ऐक्ट बनना चाहिए जिसके तहत गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी की तरह हमारी भी कोई कमेटी बन सके। इस प्रार्थना पत्र को, चेयरमैने साहब, मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं इसलिए इसे मंगवा लिया जाए। (इस समय * कागजात सदन की मेज पर रखे गए।)

श्री सभापतिः अब आपका टाईम हो गया है।

चौ. लाल सिंहः चेयरमैन साहब, थोड़ा सा टाईम और दे दीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सी बातें करने की हैं।

श्री ओम प्रकाश गर्गः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, चेयरमैन साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि मेरा टाईम भी चौधरी लाल सिंह को दे दें क्योंकि ये काम की बातें कर रहे हैं।

चौ. लाल सिंह: मैं गर्ग साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने अपना टाईम भी मुझे देने की आफर दी है। चेयरमैन साहब, मैं दरखास्त करूंगा कि जो अफसर या कोई कर्मचारी अच्छा कमा करे उसे सरकार को शाबाशी देनी चाहिए ताकि वह आगे के लिए और अच्छा काम कर सके। उस अफसर को या उस आदमी को जो अच्छा काम करे बिना किसी सीनियोरिटी जूनियोरिटी के चक्कर के तरक्की देनी चाहिए ताकि दूसरे अफसर और कर्मचारी भी अच्छा काम करें। अच्छा काम करने वाले को हरियाणा में सीनियोरिटी जूनियोरिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में अच्छा काम करता है वही हरियाणा का लाल है। एक बढ़िया काम करने वाले गरीब आदमी को भी आगे

*Kept in the Library.

बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। (विघ्न) मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा है कि मैं किसी तरह से आगे आ गया लेकिन दूसरे गरीब आदमियों को भी आगे निकलने का मौका दिया जाए। मेरे ऊपर भले ही गरीबी है मगर मैं चाहता हूं कि हरियाणा की बेहतरी के लिए अगर मेरी जान की कुर्बानी की भी जरूरत हो तो मैं उसे देने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं। (तालियां) एक बार, चेयरमैंन साहब, मुझे राजस्थान की हैल्थ मिनिस्टर मिलीं। वे कहने लगीं कि आप हरियाणा मैं रहते हो? मैंने कहा, ''हां जी''। तो वे कहने लगीं कि तुम लोगों ने तो हमारा सारा काम खराब कर दिया। मैंने कहा बहिन जी क्या बात है? तो वे कहने लगीं कि तुम्हारी सरकार

ने इतना काम कर दिया कि तुम्हारे पड़ौसी इलाके हमें वोट नहीं देते। तो देखिए, अच्छे काम की हर जगह तारीफ होती है। इस सरकार की नेक नीयती को देखकर तो प्राईम मिनिस्टर के खजाने भी खुल गए हैं। (विघ्न) मैं अगर कोई काम की बात कहता हूं या किसी काम को किसी जगह करने के लिए प्रार्थना करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं सरकार के खिलाफ हूं। काम करने वाले आदमी के लिए तो मेरी जान हर वक्त हाजिर रहती है, मुझे इस बात का गर्व नहीं है क्योंकि मेरे जैसे नेक एम.एल.ए. पहले भी आए होंगे ओर आगे भी आएंगे। मैं तो इतनी ही दरखास्त करूंगा, चेयरमैंन साहब, कि हाउस का टाईम हरियाणा की बेहतरी के लिए ही खर्च होना चाहिए। हमारा हरियाणा जो कुछ है वही हमारे लिए जिन्दगी है। हम तो एक बात समझते है कि अगर यह सरकार काम नहीं करेगी कम को जनता इसे बदल देगी। जनता तो काम करने वालों की तारीफ करती है। आज लोग छोटूराम जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसने काम किया है। देश के अन्दर काम करने वाले आदमी की पूजा होती है। नारायणगढ़ तहसील के अन्दर बहुत से घरड़ जमीन के ऐसे पड़े हैं उनको अगर यह सरकार ठीक कर दे और वहां पानी पहुँया दे तथा जहां यह सरकार कहती है कि हर गांव को बिजली मिल गई है और सड़के जल्दी ही मिल जाएगी वहां अगर एक बात यह और कर दे कि कोई भूमि नहीं रहेगी जिसका खेती के लिए तथा कोई इलाका ऐसा नहीं रहेगा जिसको पानी के लिए पानी नहीं मिलेगा तो लोग इसकी भी हमेशा पूजा करेंगे। अगर इस सरकार से हम फायदा नहीं उठा

सके तो फिर कभी भी नही उठा सकेंगे। अब मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी सरकार से इतना ही कहूँगा कि यह अपने काम को रोड़ा अटकाने वालों की परवाह किए बिना जारी रखे। जो हमारे काम में रोड़ा अटकाता हो वह चाहे हमारा सगा भाई क्यों न हो हम उसका साथ देने को तैयार नहीं। मैंने शुरू में ही चौधरी बंसी लाल जी को कह दिया था कि अगर आप हरियाणा की बेहतरी के लिए काम करोगे तो आपको कोई हटा नहीं सकेगा। आत जनता का राज है। हमारा मित्र वही है तो जनता की भलाई के लिए काम करे। प्रजातंत्र में हर आदमी को पूरा हक मिलना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि नारायणगढ़ तहसील के लड़के लड़कियों के लिए नौकरी में सीटें रिजर्व होनी चाहिएं ताकि वे भी हरियाणा के बाकी हिस्सों के लड़के लड़कियों की तरह आगे आ सकें।

चेयरमैन साहब, मैं 29 तारीख को सर छोटूराम के जन्म दिवन के अवसर पर नरवाना गया था। गवर्नर साहब भी वहां गये हुए थे। उनका भाषण सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो काम करेगा वही सच्चा हरियाणवी है। इसी तरह से जब कभी में किसी अफसर के कमेर में जाता हूँ तो वे फौरन कहते हैं कि भाई चौधरी कोई एसी बात कहना जिससे हमारी स्टेट की तरक्की हो। तो जब ऐसी बात है फिर हमें भी ख्वामखाह कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के दिल को फजूल ही ठेस पहुँचे। इस शब्दों के साथ, चेयरमैन साहब

मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने के एिल काफी समय दिया और उम्मीद करता हूं कि यह सरकार इस हरियाणा के सूबे को जल्दी से जल्दी हिन्दुतान के अन्य सूबों से आगे ले जाएगी।

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट और आर्डर, मेरी एक गुजारिश है। मेरे काबिल दोस्त जो अभी बोल रहे थे उन्होंने एक गलत बात कह दी कि 29 तारीख को वे सर छोटू राम जी के जन्म दिन के अवसर पर नरवाना में मीटिंग अटैंड करने गए थे। उनका जन्मदिन तो 31 तारीख को था। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस डेट को कोरैक्ट कर लिया जाए।

श्री सभापति: यह प्वायंट आफ आर्डर तो नहीं है।

चौ. जय सिंह राठी: फिर सबमिशन समझ लीजिए। मेरी तो इतनी प्रार्थना है कि इस डेट को कुरैक्ट किया जाए।

राजस्व मंत्री (श्री नेकी राम): चेयरमैन साहब, यह डेट बिल्कुल ठीक है। गवर्नर साहब, छोटूराम के जन्मदिन के सिलसिले में ही 29 तारीख को इनामात तक्सीम करने गए थे।

चौ. जयसिंह राठी (नौल्था): चेयरमैन साहब, गवर्नर साहब का ऐड्रेस मैंने बड़े ध्यान से पढा और जिस वक्त मैंने यह एक पैराग्राफ चंडीगढ़ के बारे में पढ़ा जिसमें कि हरियाणा वालों क आसू पोंछने की कोशिश की गई है तो मुझे एक बात याद आ गई। जैसे किसी ने कहा है:—

जो चुप रहूँ दम घुटता है, कह दूं तो बात पराई है,

मेरे आंसू पोंछने वाले अपने दामन धोते हैं।

इनके दामन पर दाग है और वह ऐसा दाग है कि हरियाणा वाले उन दागों को दूर से देखकर ही पहचान लेते हैं कि हरियाणा को कौन गद्दार आ रहा है। ये तो अपने दाग को धोना चाहते हैं लेकिन इन्होंने जो गुनाह और जुल्म किए हैं वे ऐसे हैं कि मिट नहीं सकते। इस सरकार के गवर्नर ऐड्रैस को पढ़ कर जो इन्होंने गवर्नर साहब से पढ़वाया है जिसमें चंडीगढ़ के मामले में जो कुछ कहा गया वह इनके लिखे हुए से सहज ही यह दास्तां भुलाई नहीं जा सकती। चेयरमैंन साहब, मुझे दुःख होता है कि कोई इंसान शीशे के महलों में बैठकर दूसरे के कच्चे कोठे पर पत्थर फेंकें, उससे ज्यादा गलत काम ओर कौन कर सकता है। परन्तु यह सरकार और जिसने यह तैयार किया और टिप्पणी कर रहे हैं कहते हैं कि चंडीगढ का फैसला श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है। इस बात को ज्यादा खोलने की मैं जरूरत नहीं समझता परन्तु इनकी एक कलम नहीं उठी, इनकी जबान नहीं खुली, यह कहने के लिए कि चंड्डीगढ़ का फैसला तो हमारा एक ही है वह है तो हमारी असेम्बली ने एक युनौनीमसली रेज्योलूशन पास किया है। यह सरकार तो अपनी चुनौनीमसली रेज्योलूशन की भी कदर नहीं कर सकी है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यह हमारा अपना

रेज्योलूशन है। इनको कहना चाहिए था कि जब तक हमारा वह रेज्योलूशन कायम है तब तक हम कोई अन्य फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हैं यह जब तक कोई दूसरा चुनौनीमसली हमारी असम्बली रेज्योलूशन पास नहीं कर देती तब तक हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। परन्तु आज ये कहते है कि पंजाब के गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रैस में यह कहा। उन्हें अपने वचन से भागना नहीं चाहिए था। उन्हें उसकी कदर करनी चाहिए थी। यह सब किस की खातिर हुआ है? इन्दिरा गांधी को सालम मुकर्रर किया गया और दोबारा चंडीगढ़ का फैसला कराया गया। उनको सालम जनता की खातिर मुकर्रर नहीं किया। यह जो उन्होंने फैसला किया यह न तो जनता की खातिर किया और न ही उन्होंने हरियाणा के असेम्बली के रेज्योलूशन का ध्यान रखा।

एक आवाजः इन्दिरा को सालम तो भगवत दयाल ने मुकर्रर किया था।

चौ. जय सिंह राठीः कहना आसान है।

चौ. दल सिंहः होम मिनिस्टर साहब चुप क्यों बैठे हो?

चौ. जय सिंह राठीः जब चंडीगढ़ का फैसला होने के बाद अपने घरों को लौट रहे थे उस वक्त होम मिनिस्टर साहब तो आराम से अपनी कोठी में बैठे थे।

श्री के.एल. पोसवालः आपकी एक्टीविटीज का भी मुझे पता है।

चौ. जय सिंह राठी: सी.आई.डी सब खबर देती है परन्तु मैं आपकी तरह से अपनी एक्टीविटीज को छुपा कर नहीं रखता। एक्टीविटीज तो आपकी मालूम करने की जरूरत होती है। मेरी तो सब खुली होती हैं। आप, अपनी ही पोशौदा रखिए।

श्री सभापति: राठी साहब, आप चेयर को ऐड्रैस करें।

चौ. जय सिंह राठी: चेयरमैंन साहब, मैं अर्ज कर रहा था।

श्री के.एल. पोसवाल: क्या हम आपको बैठे भी बुरे लगते हैं?

चौ. जय सिंह राठी: मुझे बैठे बुरे नहीं लगते लेकिन आज स्टेट में लोगों की क्या हालत है इसके बारे में आपको मालूम नहीं है। ला–एण्ड–आर्डर की हालत क्या है? वह अब मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले यह बताना ही पड़ेगा और मुझे इसेस पहले चंडीगढ के सब्जेक्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। चेयरमैन साहब मैं एक ग्रीवेन्स कमेटभ की मीटिंग में गया वहां पर मैंने एक बात कही कि हमारे समालका थाने में एक वाक्या हुआ है। मैं यह जो कुछ कह रहा हूँ इसका ताल्लुक हमारे हाउस से भी है और साथ ही साथ मैं होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी लाना चाहता हूँ। एक लड़की का कत्ल हुआ जो कि एक स्कूल की टीचरस थी। उसमें बड़े आदमी इन्वालवड थे। मैं ये सारी बातें इनके नोटिस में लाया लेकिन उस लड़की की मौत की रिपोर्ट

आजतक दर्ज नहीं की गई। उसकी रिपोर्ट बड़े आदमियों ने दर्ज नहीं होने दी। (अपोजीशन की ओर से शेम शेम)

मैं इन्हें नहीं कहता क्योंकि ये तो शेमप्रूफ हो चुके हैं। ये क्या महसूस करेंगे? मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो केवल ला–एंड–आर्डर की हालत बता रहा हूँ। इसी प्रकार से कुराना गांव में एक हरिजन का कत्ल किया गया और कत्ल भी दिन में किया गया। मैं वहां पर एस.पी. पुलिस को लेकर गया परन्तु आजतक उसका भी पर्चा दर्ज नहीं किया गया। उसमें भी बड़े आदमियों ने इन्टरफीयर करके पर्चा दर्ज नहीं होने दिया क्योंकि उसमें अपने रिश्तेदार उसमें फंसते थे। होम मिनिस्टर साहब को यह बात बताई कि कत्ल के केस में भी मुलजिमों को छोड़ा जाता है। इस हरियाणा मं ला–एंड–आर्डर की यह हालत हो गई है। पोसवाल साहब आपके विषय में तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आपने जो भी महकमा लिया है उसी का ही कल्याण कर दिया है। ग्रीवेन्सिज कमेटी की मींटिग में जाते हैं उसका कल्याण कर दिया, पुलिस का महकमा लिया उसका भी कल्याणा कर दिया। कुछ रेविन्यू का थोड़ा–बहुत काम चल रहा है इस महकमे को आप ले लें इसका भी कल्याण हो जायेगा। मैंने पहले भी आपको आपके डिपार्टमेंट की ला–एंड–आर्डर की हालत बतायी और आज फिर बता दी है।

श्री के.एल.पोसवाल: कोई अच्छा काम भी तो बताओ। कोई बिजली सड़कें वगैरह की बात भी बताओ।

चौ. जय सिंह राठीः आपने जो किये हैं वही तो बता रहा हूं। अभी तो मैं आपके कर्म बता रहा हूं करतूतें नहीं बता रहा क्योंकि मुझे समय थोडा ही मिलेगा। चेयरमैंन साहब, आपसे क्या क्या बताऊ ला–एंड–आर्डर के बारे में, इस हद तक हालत चली गई है कि कोई शरीफ आदमी किसी ऐसे आदमी से जो कि किसी वजीर का या किसी एम.एल.ए. का रिश्तेदार भी हो सके साथ बात करने में भी डरने लगता है। हमारे यहां पानीपत में एक आदमी से गलती से किसी वजीर के रिश्तेदार वे थे उनके साथ किसी बात पर नौक–झौक हो गई। ऐसे ही कहा सुनी पर दोनों आदमियों में गर्मी आ गई। उसने उसको थप्पड़ मारा। उसको थाने में ले गये। कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था ज्यादा से ज्यादा इस आदमी को दफा 107 में गिरफ्तार कर सकते थे या ज्यादा चाहते तो दफा 161 में गिरफ्तार कर लेते लेकिन उस आदमी को थाने में ले जाकर इतना पीटा कि उस आदमी ने कमस उठाई और नाक रगड़ी पुलिस के सामने कि मैं तो कुत्तों को भी नहीं मारूंगा कि कभी वे भी इनके रिश्तेदार न निकल आयें? पोसवाल साहब इन बातों का आपको सब मालूम है।

श्री के.एल.पोसवालः वे आप ही तो नहीं थे।

चौ. जय सिंह राठीः मैं आपका ही जिक्र कर रहा हूँ। आदमियों पर जुल्म हो और उनके विरूद्ध कोई एक्शन न लिया जाये इससे दुःखदायी और क्या बात हो सकती है? इस सरकार को तो एक चीज मिलनी चाहिए कि कोई अफसर इन सरकार बैंचों

पर बैठे हुए साथियों का रिश्तेदार हो, फिर उसकी छुट्टी है वह कुछ भी करता रहे। उसको दूसरा अफसर कोई नहीं रोकता। वह कोई भी जुल्म करे, कुछ भी पाप करे ` वही पवित्र होता है। लेकिन जिस गरीब का कोई नहीं है उसकी यहां कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। अकेले करनाल जिले में छः छः महीने से इंतजार कर रहे हैं कि उस ग्रीवेन्सिज कमेटी में हमारी कुछ सुनवाई हो परन्तु जिस वक्त चेयरमैंन साहब के सामने कम्पलेन्ट रखी जाये तो ये यही कहते हैं कि इसमें क्या हुआ है? उनका जवाब होता है कि इन्कवायरी कर ली और रिपोर्ट आ चुकी है उसमें कुछ नहीं मिला। हम जाते हैं हमें वहां कोई पूछता नहीं। कहने का वह ग्रीवेन्सिज कमेटी बना रखी है। शिकायत जाती है न पूरी होती हैं और न ही खतम करते हैं बल्कि क्रियेट करते हैं। ये हालत बना रखी है। अब होम मिनिस्टर से ही पूछ लें कि करनाल जिले के पुलिस के अफसरों के हर साल तबादले क्यों हो रहे हैं?

Mr. Chairman: You should conclude at 6.25 P.M. please.

Ch. Jai Singh Rathi: No, why? I have to continue for tomorrow also. मैंने कम से कम अभी एक घंटा बोलना है। मेरा तो इतना ही टाईम बकाया है। यहाँ अभी चौधरी लाल सिंह पौने घंटा बोलकर गए हैं। शायद डेढ़ घंटा उन्होंने टाईम लिया हो।

एक आवाज: आप भी लाल सिंह वाली बातें करें।

चौ. जय सिंह राठी: मैं कोई पागल हूं, मुझे कोई बावले कुत्ते ने नहीं काटा है?

चौ. लाल सिंह: चेयरमैंन साहब अगर मैं पागल होता तो मैं एम.एल.ए. कैसे बन जाता।

श्री सभापति: आपको पागल किसने कहा है?

चौ. जय सिंह राठी: चौ. लाल सिंह जी को मैंने पागल नहीं कहा। मैंने तो यह कहा है कि मैं कोई पागल थोड़ा ही हूं। इसके सिवाए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अगर यो कहता कि कोई मेम्बर पागल है तब भी कोई बात होती।

श्री भजन लाल: आप दोनों में से कोई भी पागल नहीं है। आप दोनों ठीक है।

चौ. जय सिंह राठी: हाँ समझौता कराने वाला भी पागल ही हो सकता है क्योंकि उनकी जजमैंट तो वही कर सकता है।

चेयरमैंन साहब, मैं हरियाणा में ला–एंड–आर्डर की सिच्युएशन पर बात कर रहा था। ला–एंड–आर्डर की सिच्युएशन यह है कि लोगों के कत्ल कर दिये जाए तो भी उनके लिए कोइ सुनवाई नहीं की जाती और कत्ल करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारी जनता में एक एहसास आ जोय कि हमें इन्साफ मिल जायेगा, इस चीज का जिक्र तो हरियाणा से ही निकाल दिया जाये कि किसी को यहां पर यह एहसास होगा

कि उसको इन्साफ मिल सकेगा। पोसवाल साहब से मैंने ग्रीवैसज कमेटी में एक सवाल किया था। जब भी वे कमेटी में जाते हैं तो मैं कोई सवाल करता हूँ तो वह हंस देते हैं तो इससे दूसरे भी अन्दाजा लगा सकते हैं, मैंने तो अन्दाजा लगाना शुरू कर दिया है कि यह हमारी हर बात पर हंस देते हैं, चलो हंल लीजिये, लेकिन हंसने की भी कोई इन्तहा होती हे हर आदमी की। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं ला–एंड–आर्डर की बात छोड़ता हूं, अब मैं चंडीगढ़ के मामले के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ चंडीगढ़ का मसला जिसके बारे में हमने अपनी असैम्बली में एक रेज्योलूशन पास किया था कि चंडीगढ़ हमारा है और उसको शाह कमीशन ने हमें दिया है, इसके ऊपर वह किसी किस्म का समझौता न करें। लेकिन अपनी असैम्बली के फैसले के खिलाफ, अपनी जनता की राय लिये बगैर, बगैर किसी कायदे के इन्होंने अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए और प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए यह सब कुछ किया है। क्योंकि यह कमजोर थे, इसमें इनकी अपनी खुदगर्जी थी और उस खुदगर्जी को कायम रखने के लिए, हरियाणें का यह हिस्सा चंडीगढ़, इन्होंने तश्तरी में रखकर प्रधानमंत्री को दे दिया, ताकि प्रधानमंत्री को खुश कर लें। चंडीगढ़ का फैसला होने के पश्चात् यह सड़क से न आकर हवाई जहाज से आए क्योंकि सड़क से तो ये आ ही नहीं सकते थे। ओम प्रभा जी यहाँ बैठी नहीं हैं, नारी होने के नाते मे। इनके विषय में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नारी भगवान का रूप होती है और उसको जनता के सामने निकलते हुए कोई डर नहीं है।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन्होंने हिम्मत की लेकिन इनको शाहबाद में रोक लिया गया। लोगों के जजबात भडके हुए थे, उन जजबात की वजह से लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमें बनाये गए और कहा गया कि मुझे लूट लिया गया। मैंने पिछले सैशन में भी बताया था, इस चंडीगढ़ के बारे में कि हमने इस पांच सौ करोड़ के शहर को देरक हमने दस करोड़ का सौदा किया है और यह कहते हैं कि फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र हमें मिलेंगे। (विघ्न)

श्री बंसी लाल: अब वह दस्तखत करने वाले भी तो आपके साथ चले गये।

चौ. जय सिंह राठी: आपने भी तो दस्तखत किये हैं आपके प्रोफैसर साहब ने भी किये हैं।

श्री बंसी लाल: बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बात कर रहे हैं।

चौ. दल सिंह: वे छह फुटे आदमी हमारे में नहीं हैं।

श्री बंसी लाल: चौ. दलसिंह से उसका कोई वास्ता नहीं।

चौ. जय सिंह राठी: यह तो आदमी का कायदा है, ताकत के नशे में चपेड मारने लगता है और न बाप को देखता है, न भाई को देखता है। चौ. देवी लाल के बारे झगड़े में जाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ और फाजिल्का का आप लोगों ने फैसला

ले लिया था और फाजिल्का के जितने गांव निकलते हैं उनको भाखड़ा का पानी लगता है ज्यों ही वे पंजाब से ट्रांसफर होंगे तो हमारी बिजली और पानी का हिस्सा 23 प्रतिशत रह जायेंगा और हमारे यहां कही पानी मिलेगा नहीं। जो यह नक्शा दिखाते है हरियाणे का और कहते हैं कि हम बिजली दे देंगे। यह बिजली के खम्बे सिर्फ इसलिये रह जायेंगे कि भूखे लोग उनकी तारों से खुदकुशी कर सकें।

उपाध्यक्षाः सदन कल प्रातः 9.30 बजें दिनांक 12.2.71 तक के लिए स्थापित किया जाता है।

6.23 P.M.

The House then adjourned till 9.30 A.M. on Friday the 12th February, 1971